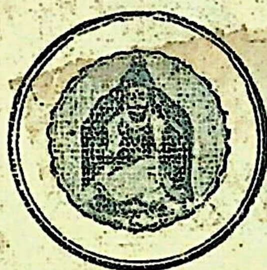
श्रीगणेशाय नमः।



अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी अग्रवाल "पञ्चायत" के विशेषाधिवेशन बम्बई का "विवरण"

शुभ मिती चैत्र शुक्ला ३—४—५

संवत १९८५.

प्रकाशक—

श्रीनिवास बजाज.

मन्त्री—स्वागतकारिणी समिति.



मुद्रक—

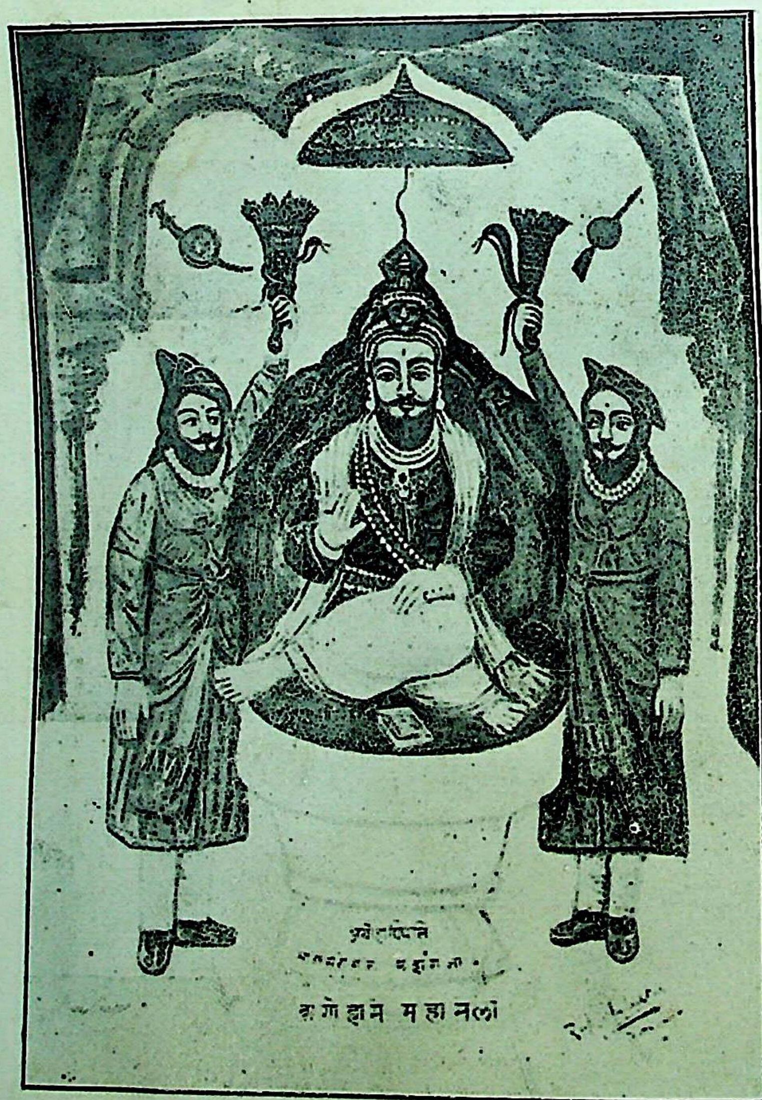
खेमराज श्रीकृष्णदास,

अध्यक्ष—"श्रीवेङ्कटेश्वर" स्टीम् प्रेस बम्बई

Printed at Shri Venkateshwar Steam Press, Khetwadi Bombay.

॥ श्रीः ॥

पूज्यपाद महाराज श्री अग्रसेनजी ।

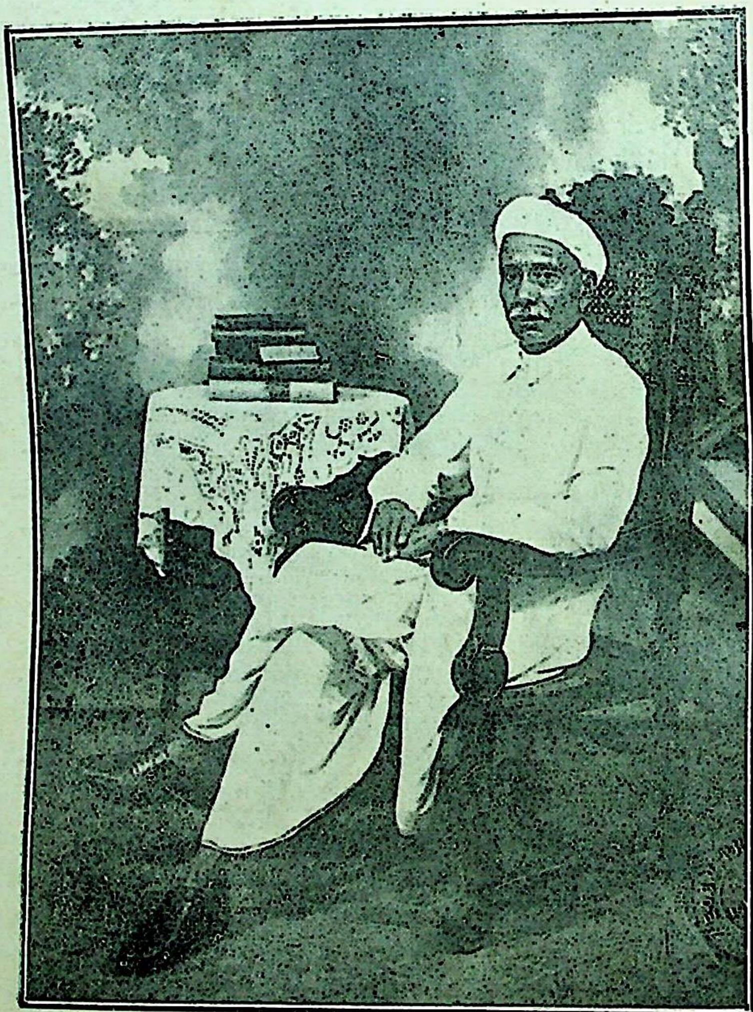


एक मात्र हार्दिक कामना

प्रातः पूजनीय महाराज श्रीअग्रसेनजीकी धवलकीर्तिकी रक्षक मारवाड़ी अग्रवाल जाति संसारके उच्चासनपर विराजमान हो !

दिगदिगन्तमें महाराजकी सन्तानोंका यशसौरभ परिव्याप्त हो !

अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी अग्रवाल पञ्चायतके विशेषाधिवेशनके सभापति.



स्वधर्म-रक्षक सुप्रसिद्ध साहित्यसेवी श्रीमान सेठ कन्हैयालालजी पोद्दार

श्रीगणेशाय नमः ।



प्रारम्भिक निवेदन।

अखिल ब्रह्माण्डनायक, परमकारुणिक श्रीवेङ्कटेश भगवानकी असीम अनुकम्पासे, अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी अग्रवाल पञ्चायतके विशेषाधिवेशनकी रिपोर्ट लेकर आज आपकी सेवामें उपस्थित होते हुए मुझे परम हर्ष होता है। यह बतानेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि इस अधिवेशनके सम्बन्धमें तैयारियां करनेके लिये बम्बई निवासियोंको १ दिनका अवसर भी नहीं मिला था। सच पूछिये तो अधिवेशनके लिये स्थानादि निश्चित करने और पण्डाल बनानेके लिये भी एक रात्रिका समय ही इन्हें मिला था। इतना स्वल्प समय मिलनेपर भी जिस उत्साहके साथ विशेषाधिवेशनमें योग दिया गया उसने यह सिद्ध कर दिया कि महाराज श्रीअग्रसेनजीके वंशजोंमें आज भी धर्मभावका अभाव नहीं है।

यद्यपि इस प्रारम्भिक निवेदनको अधिक विस्तार देनेकी इच्छा नहीं है और विषयप्रवेश करानेके बाद ही लेखनीको विश्राम देना चाहता हूँ, तथापि प्रसङ्गवश यह बता देना भी आवश्यक हो गया है कि महासभाको छोड़कर हमें क्यों स्वतन्त्र संस्थाका आश्रय लेना पड़ा। महासभाकी नींव धर्मप्राण महापुरुषोंके हाथसे रखी गयी थी और बहुत दिनतक वह उन्हींके आश्रयमें लालित पालित और संवर्द्धित होती रही। इसलिये उसके प्रति हृदयोंमें कुछ ऐसा भाव पैदा हो गया था कि मुट्ठीभर सुधारकोंकी असीम उच्छृङ्खलता देखते हुए भी उसे छोड़नेको जी नहीं चाहता था। कलकत्ते तथा अन्य स्थानोंके बहुसंख्यक भाइयोंने निराश होकर १ वर्ष पहले ही महासभाको छोड़ दिया था; पर बम्बईके सभी भाई अन्तसमयतक यही सोचते रहे कि जिस संस्थाको ९ वर्षतक, प्रेमपूर्वक हाथोंकी छाँहमें रखा है उसको समाज–मर्यादा–विनाशक लोगोंकी दया पर छोड़ देना, संस्थाके जीवनके लिये अच्छा न होगा। कहा भी गया है कि अपने हाथसे लगाये हुए और सींचे हुए विषवृक्षको भी नहीं काटना चाहिये। (विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्।) पर यह सब भाव होते

हुए भी समाज और धर्मकी मर्यादाके लिये हमें अलग खड़ा होना पड़ा। जैसा कि रिपोर्टके पढ़नेपर विदित हो जायगा। मुट्ठीभर सुधारक इस बात-पर तुले हुए थे कि अपने मनमाने अधार्मिक सुधारोंका प्रचार समाजमें, महासभाके नामपर किया जाय। उन्होंने सुसङ्गठित रूपसे यह कार्य पहले ही शुरू कर दिया था। पर जब उन्हें मालूम हुआ कि समाजमें यह धांधली समझदार आदमियोंके रहते नहीं चल सकती, तो उन्होंने एक विचित्र और सर्वथा अवैध एवं अन्यायमूलक रीतिसे, अपने जाने और माने हुए मुट्ठीभर आदमियोंके सिवा, सब भाइयोंको महासभामें सम्मिलित होनेसे रोक दिया। जब यह स्पष्ट हो गया कि समाजसुधारक कहलाने-वालोंकी उच्छृङ्खलतासे उसका सार्वजनिक रूप और महत्त्व नष्ट हो चुका है तो जातिका निश्चय और उसकी आवाज़ सर्वत्र पहुँचा देनेके लिये यह उचित समझा गया कि पञ्चायतको सुदृढ़ बनाया जाय। वास्तवमें सदैवसे पञ्चायत-प्रथाने ही जातिकी रक्षा की है। अब भी जातिकी मर्यादा-की रक्षा पञ्चायतोंसे ही होगी। आज इस विषयपर अधिक जोर देनेकी आवश्यकता भी नहीं रही है, क्योंकि पञ्चायतकी शङ्खध्वनि भारतके कोने कोनेमें परिव्याप्त हो चुकी है और समस्त जातिने पञ्चायत द्वारा प्रेषित धर्मसन्देशको सुन लिया है। उन्होंने इस जागरणपर हर्षोल्लास प्रकट करते हुए हाथ उठाकर इसको आशीर्वाद दिया है।

इस विशेषाधिवेशनमें 'पञ्चायत' को जो सफलता मिली एवं जाति हितैषियोंने एकत्र होकर जात्युन्नतिके लिये जो मार्ग निश्चित किये, यदि उनके अनुसार कार्य होता रहा तो वह दिन—वह सुवर्ण सुयोग, दूर नहीं जब हमारी यह विशाल मारवाड़ी अग्रवाल जाति कुरीतियोंको कुचलती हुई सनातनधर्मके आदेश तथा भावोंके साथ अपने पूर्व गौरवको निःसन्देह प्राप्त कर लेगी। सजातीय बन्धुओंसे मेरा सादर और साग्रह अनुरोध है है कि वे इस संस्थाको अधिकाधिक शक्ति सम्पन्न बनाना अपना कर्त्तव्य समझें, क्योंकि अब मारवाड़ी अग्रवाल पंचायत ही एक मात्र एसी संस्था है जिसके द्वारा जातिका उत्थान हो सकता है और धर्मकी मर्यादाको अक्षुण्य रखा जा सकता है।

विनीत

श्रीनिवास बजाज

मन्त्री

स्वागतकारिणी समिति-

श्रीगणेशाय नमः ।

'श्रीअग्रसेनजी महाराजकी जय'

भारतवर्षकी धर्मप्राण व्यवसायी जातियोंमें 'मारवाड़ी अग्रवाल' जाति प्राचीन कालसे ही अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। व्यवसायी जाति होनेसे यह स्वाभाविक ही था कि वह भारतवर्षमें सर्वत्र फैल जाय। तदनुसार भारतवर्षके कोने कोनेमें केसरिया पगड़ीधारी मारवाड़ी अग्रवाल जा बसे। आप कहीं भी देखिये, घनघोर जंगलोंमें; विकटतम पहाड़ियोंमें, बड़े बड़े नगरोंकी ऊंची अट्टालिकाओंमें, कदाचित ही ऐसा कोई स्थान दृष्टिगोचर होगा जहाँ मारवाड़ी अग्रवाल जातिके लाल प्यारा केसरिया झण्डा फहराते हुए न दिखायी दें। बड़े बड़े नगरोंको देखकर बहुधा यह भ्रम हो जाता है कि यह नगर कहीं मारवाड़ियोंका ही न हो। हजारों मीलोंकी दूरीपर बसे हुए भारतवर्षके सिरमौर कलकत्ता, बम्बई, कराची, दिल्ली, रंगून, मांडला इत्यादि अनेक नगरोंमें आज मारवाड़ियोंकी ही तूती बोल रही है। धर्मशालाएं, कुएं, विद्यालय, पुस्तकालय, सभाएं तथा सदावर्त इत्यादि जहाँ मारवाड़ियोंकी धर्मभीरुता तथा उदारताका परिचय दे रहे हैं, वहाँ अपनी स्वदेशी पोशाकके प्रति-मारवाड़ियोंके समान प्रेम, आज कदाचित ही कहीं दिखलायी दे सकेगा। अपने सरल, धर्मभीरु, उदार तथा सहृदय स्वभावके कारण, जहाँ कहीं भी मारवाड़ी बन्धु पहुँचे, शीघ्र ही लोकप्रिय हो गये।

भारतकी राजनैतिक शान तो कुछ शेष थी ही नहीं, एक अंशतक धर्मभीरुता अवश्य ही अवशेष थी। इसी धर्मभीरुतापर भारतवर्षको-भारतवर्षकी जातियोंको गर्व था। यही विशेषता मारवाड़ी अग्रवाल जातिकी भी थी-और आज भी है। कलिकालमें अपने अस्तित्वको स्थिर रखनेके लिये 'संघशक्ति' की ओर शास्त्रकारोंने विशेष ध्यान आकर्षित कराया है। कलिकालमें संगठनकी महिमा निश्चय ही अपरम्पार है। फिर भी उस समय जातिगत सभी कार्योंको जातिगत पंचायतें ही सम्हाल लिया करती थीं। पंचायत प्रणाली प्राचीनकालसे ही-परम्परासे, प्रचलित है। इसी पंचायत प्रणालीका मारवाड़ी अग्रवाल जातिमें भी प्रचलन था। राजनैतिक-सत्ता हाथसे चली जानेपर भी, सामाजिक शासनके लिये पंचायत प्रणाली निश्चय ही विशेष उपयुक्त सिद्ध हुई है। आज तो भारतीय राजनैतिक क्षेत्रमें भी पंचायत प्रणालीके पुनरुत्थानके लिये 'कौमी पंचायत' आदिकी स्थापना की जाती है। इन पंचायतोंसे ही समाजपर शासन हुआ करता था। परन्तु राजसत्ताके हाथसे निकल जानेके कारण पंचायत प्रणालीके

विषयमें सर्व साधारणमें शिथिलता छा गयी है। इस शिथिलताका प्रभाव मारवाड़ी अग्रवाल जातिपर भी पड़े विना न रह सका। विदेशी राज्यके कारण भारतवर्षकी राजभक्त प्रजा शनैः शनैः विदेशी रीति रिवाजोंके सांचोंमें ढलने लगी। मारवाड़ी जाति पहलेसे ही अपने घरोंसे हजारों मीलोंकी दूरीपर जा बसी थी, अब पंचायत प्रणालीमें भी शिथिलताने घर कर लिया। पाश्चात्य रंगढंग नवयुवकोंको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। परिणामतः जात्युन्नतिका मार्ग बन्दसा हो गया। ऐसी अवस्थामें मारवाड़ी अग्रवाल जातिका जातीय संगठनकी ओर ध्यान आकर्षित हुआ। यह स्वाभाविक ही था।

पाश्चात्य रीति रिवाजोंके आकर्षणसे कितनी ही जातियोंने पंचायत-प्रणालीको त्यागकर 'सभा सुसायटियों'की पाश्चात्य प्रणालीका अनुसरण आरम्भ कर दिया था। किसीको यह न सूझी कि जातिगत पंचायतोंका संगठन किया जाय। अ-संगठित पंचायतोंके मुकाविलेमें संगठित 'सभा सुसायटियां' विशेष कार्यक्षम दिखायी देने लगीं। इसका परिणाम यह हुआ कि कितने ही समाजभक्तोंने पंचायत प्रणालीकी ओर उदासीनता दर्शायी और पाश्चात्य प्रणालीके अनुसार 'सभा सुसायटियों' का अभिनय करना आरम्भ कर दिया। मारवाड़ी अग्रवाल जातिमें भी जो थोड़े बहुत महानुभाव पाश्चात्य शिक्षा दीक्षासे शिक्षित तथा दीक्षित थे, उन्हें स्वभावतः ही 'सभा सुसाटियों' की प्रणाली जच गयी, और तदनुसार इन महानुभावोंने जातीय उन्नतिके बन्द दरवाज़ेको खोलनेके लिये एक केन्द्रीय सभा स्थापित करनेका विचार किया। फलतः अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी अग्रवाल महासभाके नामसे—एक अर्सेके बाद ही क्यों न हो—एक केन्द्रीय सभा 'वर्धामें' स्थापित कर दी गयी।

"महासभा"के रूपमें यद्यपि प्रकारान्तरसे "पञ्चायत" का ही नवीन संस्करण किया गया था, तथापि 'अखिल भारतवर्षीय' नाम धारण कर लेनेपर भी 'महासभा' अपने पास वह शक्ति नहीं रखती थी जो एक 'अखिल-भारतवर्षीय' संस्थाके लिये आवश्यक हुआ करती है। यही कारण था कि 'महासभा'के प्रथमाधिवेशनके सभापतित्वके लिये जब परलोकगत धर्मरत्न सेठ खेमराजजीको निमन्त्रित किया गया तो उस समय उन्होंने इस आशयका तार दिया था कि "यदि 'महासभा' सनातन धर्मके अनुसार चले और आप यह विश्वास दिलावें कि 'महासभा' के द्वारा धर्मविरुद्ध कार्य न होगा तो मैं सभापतित्व स्वीकार कर सकता हूँ; और यदि 'महासभा' में धर्मके विरुद्ध कोई कार्य होगा तो मैं सभाको तोड़ दूंगा।" प्रथमाधिवेशनके सभापतिके उक्त वाक्य यह सिद्ध करनेमें पूर्ण समर्थ हैं कि 'महासभा' के सम्बन्धमें जातिके अधिकांश महानुभावोंके मन सशंक थे।

धर्मरत्न वैकुण्ठवासी श्रीमान सेठ खेमराजजी बजाज.



“ 'महासभा' में सनातन धर्मके विरुद्ध कोई भी कार्य न होगा।” यह प्रतिज्ञा करवानेवाले भारतवर्षके समस्त मारवाड़ी अग्रवालों द्वारा एकमतसे निर्वाचित महासभाके प्रथम सभापति।

पश्चात् महासभावादियोंकी ओरसे तारद्वारा, तथा पं० नेकीरामजी शर्म्माको (जो उस समय पक्के सनातनधर्मावलम्बी थे) भेजकर, यह विश्वास दिलाया गया कि 'महासभा' में सनातनधर्मके विरुद्ध कोई कार्य न होगा। इस प्रकार स्वर्गीय सेठजीसे स्वीकृति प्राप्त कर लेनेपर 'महासभा' का प्रथमाधिवेशन बड़ी धूमधामसे वर्धामें मनाया गया।

फिर भी वे लोग 'महासभा'से दूर ही रहे, जिनके मन उसके सम्बन्धमें सशंक थे। परन्तु यह सच है कि 'महासभा'से दूर रहनेवालोंने स्वर्गीय सेठ खेमराजजीके प्रभावके कारण तथा 'महासभा' का किया हुआ कोई धर्मविरुद्ध-कार्य सम्मुख न होनेसे 'महासभा'में सम्मिलित न होनेपर भी, विरोध करना उचित न समझा।

प्रथमाधिवेशनमें बा० पद्मराज जैन जैसे व्यक्तियोंने-सभापतिको दिये हुए वचनोंकी किञ्चित् भी पर्वाह न कर, जब यकायक षोडश संस्कारोंके प्रस्तावपर विरोधकी बात उपस्थित कर दी थी, तब 'महासभा'के प्रति सशंक रहनेवालोंने अपनी धारणा उचित समझ ली थी। इतना ही नहीं अपितु इस सन्देहने खास कितने ही महासभावादियोंके मनोंमें भी घर कर लिया था। प्रथमाधिवेशनकी इस पहली घटनाने प्रकारान्तरसे भविष्यके लिये खतरेकी घंटी बजा दी, यह बात उस समय भी दूरदर्शी बन्धुओंसे छिपी न रही। इसी प्रकारकी घटनाके नमूने प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धिके रूपमें जनताको दिखायी देने लगे।

अन्तमें भंडाफोड़ होकर ही रहा। खतरेकी घंटीकी आवाज़ स्पष्ट सुनायी देने लगी। आग अन्दर ही अन्दर सुलग रही थी। यह आग सुलगायी जा रही थी आकर्षक 'सुधार' के नामपर। यह सत्य है कि खाने और दिखलानेके दांतोंको जनता भले प्रकार पहचान न सकी, और जनता उस समयतक अन्धकारमें ही रही जबतक कि सेठ जमनालालजी बजाजने दिल्लीके अष्टमाधिवेशनमें 'क्रान्ति' के नामपर सभापतिकी हैसियतसे अपने व्यक्तिगत विचारोंको प्रगट करके अन्दरही अन्दर सुलगती हुई आगमें घृत डाल उसे प्रज्वलित नहीं कर दिया।

सेठ जमनालालजी बजाजको सभापति बनानेका, भारतवर्षके कई स्थानोंसे,तार तथा पत्रोंद्वारा, विरोध इसीलिये किया गया था; क्योंकि सेठ जमनालालजीने कुछ ही दिन पूर्व अपनी कन्याका विवाह, जातीय मर्य्यादाओंको कुचलकर, सम्पन्न किया था। फिर भी विरोधकी उपेक्षा की गयी और सभापतिका पद सुशोभित कर दिया गया। इसपर लोग विक्षुब्ध हो गये। यहांतक कि खास स्वागतकारिणी समितिके सभापति महोदयने इस्तीफ़ा देनेका ऐलान कर दिया, व स्वागतकारिणी एवं 'महा-

सभाके दिल्लीस्थित तथा आसपासके आगंतुक प्रतिनिधियोंने भी इस्तीफ़ा देकर इस सभासे दूर हो अपने आपको पाक साफ़ बनानेकी घोषणा करनी चाही; परन्तु किसी तरह यह सभा कायम रहे इस विचारसे बम्बईसे बाबू हनुमानप्रसादजी पोद्दार दिल्ली बुलाये गये और आपने येनकेन प्रकारेण सबको समझा बुझाकर उस समय महासभा भंग होनेसे बचा ली, अन्यथा महासभाकी अन्त्येष्टि वहीं हो जाती। इस सम्बन्धमें यह बात विशेष रूपसे ध्यान देनेकी है कि एक ओर स्वागताध्यक्ष पक्के सनातनी चुने गये और दूसरी ओर सभापति क्रान्तिकारी विचार रखनेवाले। इस वैषम्यका परिणाम यह हुआ कि स्वागताध्यक्षके सनातनी होनेके प्रभावसे जो बहु संख्यक भाई वहां पहुचे थे उन्हें सभापतिके क्रान्तिकारी विचारोंसे एक दम निराश हो जाना पड़ा।

अन्दरके ही अन्दर सुलगती हुई आग धधक उठी। लपटें निकलीं। खास 'महासभा'के पण्डालमें भगदड़ मच गयी। अपने व्यक्तिगत विचारोंके सम्मुख सर्वसाधारणके विचारोंकी उपेक्षाका परिणाम यही हो सकता था। इस घटनाने उनको प्रकट विरोध करनेका अवसर दे दिया जो पहलेसे ही 'महासभा'के प्रति सशंक थे। 'महासभा' का प्रकट विरोध यहींसे-दिल्ली-वाली घटनासे-विशेषतः सेठ जमनालालजी बजाजके व्यक्तिगत विचारोंके सार्वजनिक प्रदर्शनसे-आरम्भ होता है। सेठ जमनालालजी बजाजके उस आग बरसानेवाले भाषणसे, उस समाज-मर्यादा विद्रोही भाषणसे, धर्मभीरु समाजको ठेंस पहुँचानेवाले भाषणसे, सर्वसाधारणकी जानकारी के लिये यहां कुछ अवतरण उद्धृत किये जाते हैं:-

"मेरी रायमें, सुधारकोंको क्रान्तिकारी सुधारोंका काम अपने ही बूतेपर उठाना चाहिये। जिस समय वे अपने निर्मल प्रयत्न सच्ची नम्रता और कष्ट-सहनके द्वारा,अपन विचारोंके लिये लोगोंके दिलोंमें जगह कर लेंगे, वही समय महासभासे अपने विचारोंके लिये आशीर्वाद पाने और महासभा-द्वारा उनका प्रचार करानेके लिये उपयुक्त होगा।"

"समाजकी वर्तमान स्थितिको देखते हुए मेरी यह राय है कि विवाहकी स्वाभाविक अवस्था लड़केके लिये २० वर्ष और लड़कीके लिये १६ वर्ष होनी चाहिये। पर लड़केकी शादी १८ से पहले और लड़कीकी १४ से पहले तो बिल्कुल ही न की जानी चाहिये। बालविधवाओंकी भारी तादाद हो जानेके कारण तथा समाजमें उनकी चरित्र-रक्षाके अनुकूल निर्मल वायुमंडल न होनेके कारण, आज कितनी ही विधवाओंको दुराचारियोंका शिकार हो जाना पड़ता है, और इससे आज विधवाविवाहका प्रश्न हिन्दू-समाजके सामने उपस्थित है। इस विषयमें मेरे कुछ विचार

हैं; मैं यह तो नहीं चाहता कि इस महासभाके मञ्चसे विधवाविवाहका प्रस्ताव पास हो, पर यह जरूर चाहता हूँ कि उसके विधानका रूप ऐसा कर दिया जाय कि जिससे इस आवश्यक विषयकी चर्चा-मात्रमें वह बाधक न हो सके।"

उपजातियोंमें विवाह।

"हिन्दू समाजमें मूल वर्ण चार हैं। पर देश-भेद और व्यवसाय-भेदसे अब अनेक उपजातियां हो गयी हैं और उनमें परस्पर इतनी भेदकी दीवारें खड़ी हो गयी हैं कि सामाजिक और राष्ट्रीय एकता कठिन हो रही है। यह विस्तार और विकासका युग है। निस्सार संकुचितताको अपनाते रहनेसे हमारा समाज दिन-दिन क्षीण होता जा रहा है, और सामाजिक असुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। व्यापारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय कामों और हितोंका अब इतना विस्तार हो गया है कि रोटी-बेटी सम्बन्धी पुरानी मर्यादा अब टिक नहीं सकती। कमसे-कम वैश्य जातिके उपविभागोंमें तो परस्पर रोटी-बेटी व्यवहार होनेमें कोई दिक्कत न होनी चाहिये।रोटी-व्यवहार तो हमारी बहुतेरी जातियोंमें दिन-दिन बढ़ता जा रहा है। पर बेटी-व्यवहार शुरू हो जानेसे भी एक तो सारी जातिकी एकता बढ़ती जायगी और दूसरे समान गुण और शील रखनेवाले वरों और वधुओंकी खोजका क्षेत्र विशाल हो जायगा।............... जिन उपजातियोंके संस्कार,शिक्षा-दीक्षा-रहन-सहन मिलते जुलते हों,उनके यहां बेटी देने लेनेमें कोई असुविधा या हानि नहीं हो सकती। अतएव मेरी रायमें अग्रवाल, माहेश्वरी, खंडेलवाल आदि वैश्योंकी भिन्न-भिन्न उपजातियोंमें परस्पर विवाह शुरू होनेमें कोई आपत्ति न होनी चाहिये।"

विदेशगमन।

"विदेश-यात्रा तो अब हमारे समाजमें धीरे-धीरे प्रचलित हो रही है। इस लिये उसके विषयमें अधिक कहनेकी ज़रूरत नहीं। सिर्फ़ इतना ही कहना काफी समझता हूँ कि मैं समुद्रयात्राको दोष नहीं मानता। पर हां,विदेश जानेवाले भाइयोंको एक संकेत कर देना जरूरी जान पड़ता है। वे विदेश जायँ शिक्षाप्राप्तिके लिये, व्यापार वृद्धिके लिये, सद्‌गुण ग्रहण करनेके लिये विलासिता और स्वेच्छाचार खरीदनेके लिये नहीं।"

अस्पृश्यता–निवारण।

"संतोषकी बात है कि मद्रास प्रान्त या गुजरात–काठियावाड़के वैष्णव-समाजकी तरह छूआछूतकी कुप्रथाका जोर हमारे राजस्थानमें

नहीं है। फिर भी हमें अपने अछूत भाइयोंको एक मनुष्यके सामान्य अधिकारोंसे वंचित न रखना चाहिये। हमें उन्हें अपने कुंओंसे पानी लेते हुए न रोकना चाहिये। अपने देवालयोंके द्वार उनके लिये खोल देने चाहिये। हमारे मदर्सोंमें उनके बच्चोंको शिक्षा मिलनी चाहिये। अस्पृश्यता-निवारणके लिये अछूतोंके साथ खान पान करना लाजिमी नहीं है; पर हमें कमसे कम उनको छूनेसे तो घृणा न करनी चाहिये। (अब लाजमी हो गया है। क्योंकि भंगियोंके हाथका मलीदा आप खा चुके हैं।)

"जबतक महासभा अपने प्रस्तावोंमें मेरे विचारोंको स्वीकार नहीं कर लेगी तबतक वह उनसे बँधी हुई नहीं है। हां, वे भाई अवश्य नैतिक रूपसे बंधे हुए हैं जो, चाहे संख्यामें कम हों, अपने आपको इन विचारोंको ग्रहण करने योग्य समझते हों; और उनसे मेरा आग्रह-पूर्वक निवेदन है कि महासभा अपने विचारोंके अनुसार जो कुछ भी प्रस्ताव पास करे, आप अपने विचारोंपर दृढ़ रहिये।" ....

"जिस दिन हम अपने आचार और साथ ही निर्मल प्रेमभावके द्वारा सभाके अधिकांश प्रतिनिधियोंको अपने विचारोंकी उपयोगिता समझा सकेंगे उसी दिन हमारे विचारोंके अनुकूल प्रस्ताव होनेमें देर न लगेगी। मेरे नजदीक प्रस्तावोंसे अधिक मूल्य आचारका है। हमारा कर्तव्य सिर्फ इतना ही है कि हम अपने विचारोंके अनुसार सचाईके साथ चलें। औरोंको जबरन अपने पीछे घसीटना उचित नहीं, न इससे किसीका लाभ है। अपनेसे भिन्न विचार रखनेवाले भाइयोंके जातिप्रेम और देशभक्तिपर हमें इतना विश्वास अवश्य रखना चाहिये कि जिस दिन वे हमारे मतको ठीक समझ लेंगे उसी दिन वे उसे ग्रहण कर लेंगे। और हम देखते हैं कि यही हो रहा है। महासभाका यह आठवां अधिवेशन है। पर अपने छोटेसे जीवनमें वह कितनी आगे बढ गयी है, कितनी बातोंमें उसने सुधारकी प्रवृत्ति पैदा कर दी है? इसके जन्मके समय जिन बातोंपर गहरा वाद विवाद होता था उनमेंसे बहुत सी बातें आज सिद्धान्त रूपमें मान ली गयी हैं। आज दूसरी बातों तथा दूसरे सुधारोंकी आवश्यकता प्रतीत होती है। महासभाकी यह सेवा कम नहीं है। फिर भी अभी हमें बहुत दूर जाना है। अब आगेके मार्गको हम केवल व्याख्यानों, लेखों और प्रस्तावोंके द्वारा नहीं तय कर सकते। उसके लिये तो अविचल आचारकी जरूरत है। इसलिये मैं अपने युवक भाइयोंसे कहता हूँ कि अधीर और आतुर न बनो, बनना हो तो अपने लिये बनो, औरोंके लिये नहीं। कठोर होना हो तो अपने लिये होओ, दूसरोंके लिये नहीं। वृद्धजनोंसे मेरी प्रार्थना है कि देश और जातिका वर्तमान चाहे आपके हाथ हो, भविष्य निस्सन्देह नहीं है। आप इस बातको अनुभव कीजिये। यदि नवयुवकोंके विचार और मन्तव्य आपको प्रिय न हों तो उन्हें उनके भविष्यपर छोड़ दीजिये। आप यदि उन्हें आशी-

वाद न दे सकें तो कमसे कम अपनी तरफ़से उनके रास्तेमें कोई बाधा न खड़ी कीजिये। न वे आपपर जब्र करें न आप उन्हें रोकें। यही मेरा सन्देश महासभाके लिये है।"

इसका सार यह है कि सेठ जमनालालजी नवयुवकोंको यह उपदेश देते हैं कि विधवाविवाह, अस्पृश्यतानिवारण, अछूत सहभोज इत्यादि कार्योंका, विना किसीकी परवाह किये, क्रियात्मक रूपसे प्रचार करते चलो। वे उन्हें प्रोत्साहन देते हुए कहते हैं कि यदि इस प्रकार कार्य करते चलोगे तो एक न एक दिन महासभामें अपना बहुमत हो जायगा और फिर मनमाना कार्य महासभाके द्वारा करा सकेंगे। नवयुवकोंके सिवा आप वृद्ध-जनोंको भी एक सुन्दर परामर्श देते हैं। वह परामर्श यह है कि आप नव-युवकोंको मनमाने ढंगसे समाजकी मर्यादाके विरुद्ध कार्योंमें प्रवृत्त देखकर उन्हें रोकनेकी चेष्टा न करें। सेठ जमनालाल चाहते तो यह हैं कि वृद्धज-नभी समाजमें धर्मक्रान्ति उपस्थित करनेमें नवयुवकोंका साथ दें। पर यदि वृद्धजन इतना करनेको तैयार नहीं तो सेठ जमनालालजीकी राय है कि वे बाधक न बन कर बैठे हुए टुकर टुकर देखते रहें।

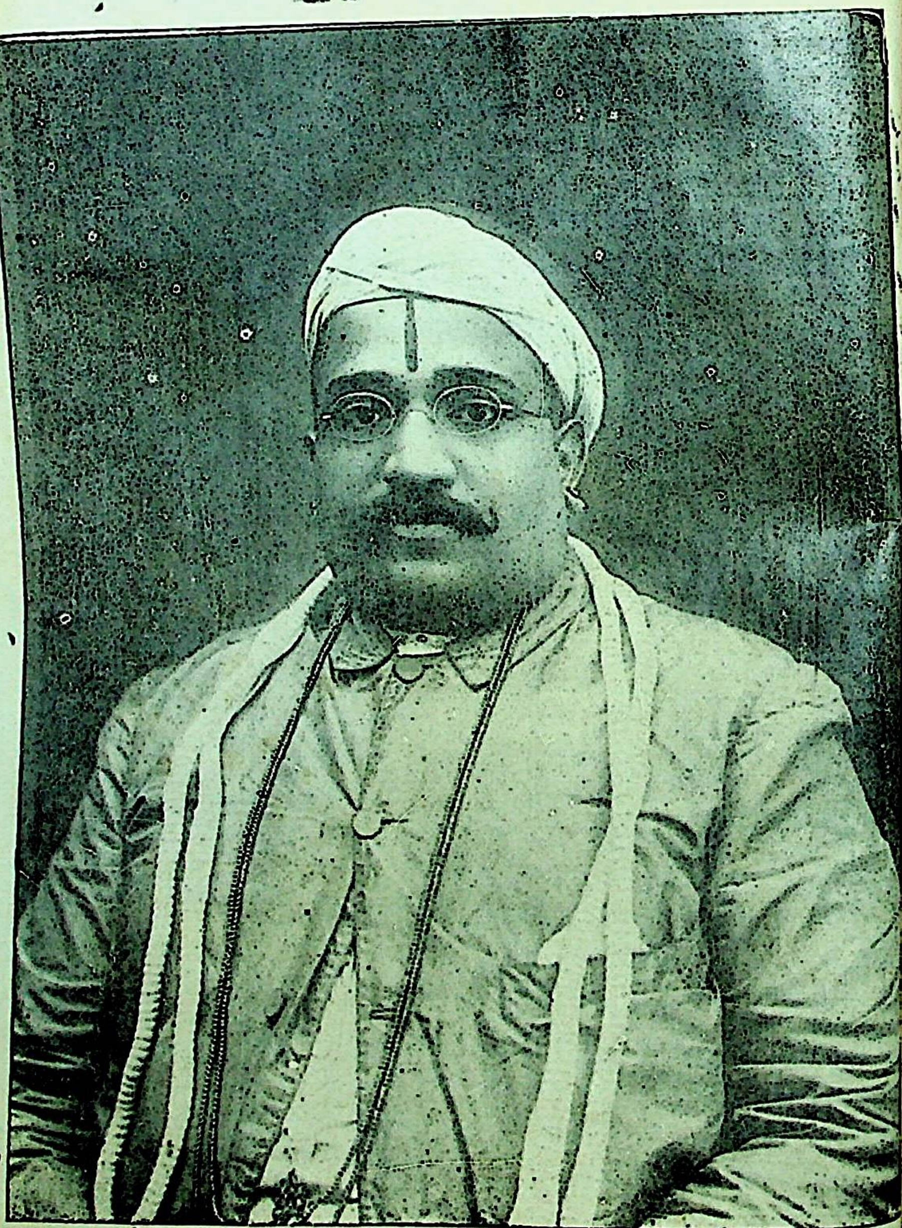
पहलेकी आवाज—'महासभा'के विरोधकी आवाज—यद्यपि पूर्णतया प्रभावशाली थी, फिर भी विधि विधानके नामपर वह प्रभावशाली आवाज़ दबा दी गयी। प्रकट विरोधने एक तीसरे दलको जन्म दे दिया, इसे स्मरण रखना चाहिये। इस अभिनव तीसरे दलको यदि 'समझौता' दल कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। इस समझौता दलमें महासभावादी और उसके विरोधी दोनों ही सम्मिलित थे। इस 'समझौता' दलने दिल्ली-से लेकर बम्बईतक सदा इस बातकी चेष्टा की कि 'महासभा' का विरोध उग्र रूप धारण कर कहीं एकतासम्पन्न मारवाड़ी अग्रवाल जातिमें दो दल न कर दे। 'महासभा' के विरोधियोंने इस 'समझौता' दलकी कभी भी उपेक्षा नहीं की। दिल्लीके अधिवेशनका सानन्द सम्पन्न हो जाना ही इस कथनका पर्याप्त पुष्ट प्रमाण है। यदि कहीं 'महासभा' के विरोधी 'समझौतादल' की प्रतिष्ठाको उठाकर ताकमें रख देते तो दिल्लीके अष्ट-माधिवेशनमें जो न हो जाता वही थोड़ा था।

जानकीका नाता।

यद्यपि 'महासभा' के विरोधियोंने दिल्लीमें आवश्यक गम्भीरताका परिचय दे दिया था, तथापि सेठ जमनालालजी बजाजके आग बरसाने-वाले भाषणने जिन हृदयोंको 'क्रांति' के नामपर, उद्विग्न बना दिया था, उनमें गम्भीरताका अन्ततक अभाव ही रहा। इस 'उद्विग्नता' ने 'गम्भीरता' से अनुचित लाभ उठानेका अवसर खोना 'मूर्खता' समझा। इसका प्रमाण

उस दिन, नवम अधिवेशनके अवसरके कुछ ही पहले, कलकत्तेमें प्रत्यक्षतः प्राप्त हो गया, जब कि कितने ही प्रतिष्ठित मारवाड़ी अग्रवाल बन्धुओंके लाख समझाने बुझानेपर भी, पुलीस और संगीनोंकी छत्रछायामें 'जानकी' नामक विधवाका 'नाता' रचा दिया गया। 'जानकी'के नातेकी घटना सर्व-विदित बात है। इसे कौन नहीं जानता है कि 'जानकी'के नातेमें कितने ही 'महासभा'के प्रसिद्ध पदाधिकारी सहर्ष और सोत्साह सम्मिलित हुए थे। इस नातेने मारवाड़ी अग्रवाल जनताको महासभाके विरोधियोंका समर्थक बना दिया। इस सर्वथा घृणित कार्यका सर्वत्र विरोध किया गया। स्थान स्थानपर विरोध सभाएं हुई और समाचारपत्रोंने (जो वर्णाश्रम और जातिपांतिकी मर्यादाको हेय नहीं समझते) इसके विरोधमें बड़े बड़े लेख प्रकाशित करके उसको विनाशकी ओर ले जाने वाला कार्य बतलाया। 'श्रीवेङ्कटेश्वर समाचार'ने इस पापमूलक कार्यका समाचार पातेही इसका घोर विरोध किया। बम्बईके विचारशील और प्रभावशाली मारवाड़ी अग्रवालोंका इस विषयमें मत जाननेके लिये 'श्रीवेङ्कटेश्वर समाचार'का प्रतिनिधि स्थानीय अनेक महानुभावोंसे मिला और उनका इन्टरव्यू लेकर पत्रमें प्रकाशित कराया। सभी सज्जनोंने इस पापमूलक कार्यका विरोध किया और इसको घृणास्पद बतलाया। महासभाके महामन्त्री बा० वेणीप्रसादजी डालमियांने, श्रीवेङ्कटेश्वर समाचारके प्रतिनिधिको इन्टरव्यू देते हुए, स्वीकार किया कि इस विवाहने समाजमें अवश्य क्रान्ति पैदा कर दी है और अब इस प्रश्नको लेकर जातिमें दो दल हो जांयगे। आपने यह भी मत दिया था कि महासभाकी बागडोर ऐसे आदमियोंके हाथमें नहीं रहने देनी चाहिये जो महासभाके निर्णयोंके अनुसार कार्य करनेको तैयार न हों, यानी केवल वे ही सज्जन महासभाके पदाधिकारी रह सकें जो जातिके निर्णयानुसार चलते हैं। आपने कहा कि कार्यकारिणीके जो सदस्य उक्त विधवा (नातेमें) विवाहमें सम्मिलित हुए हैं उनको पदाधिकारसे अलग कर देना चाहिये। बा० वेणीप्रसादजी डालमियांके अतिरिक्त जिन अन्य कई सज्जनोंके इण्टर व्यू उक्त पत्रमें प्रकाशित हुए थे उनमें बा० बालकृष्णलालजी पोद्दार, बा० हनुमान प्रसादजी पोद्दार आदिके नाम भी हैं। इससे यह प्रगट होता है कि कोई भी समझदार, आदमी उक्त विधवा-नातेका न तो समर्थ करनेको तैयार था और न उस नाता रचानेवाले महासभाके कार्यकर्त्ताओंको क्षमा करनेको। इतनेपर भी जिस प्रकार उनकी पीठ, महासभाके नेताओंकी ओरसे ठोकी गयी, उससे उनका मनोभाव प्रकट हो जाता है जो सुधारक कहलानेवालोंकी स्थितिको लज्जाजनक बना देता है।

विधवानातेके विरोधमें होनेवाली मारवाडियोंकी प्रथम विराट सभाके सभापति तथा–सनातन धर्मावलंबीय मारवाड़ी अग्रवाल सभा एवं पंचायताधिवेशनको सफल बनानेके विशेष सहायक



बाबू रंगनाथजी बजाज

अन्यान्य स्थानोंके अलावा २७ मार्च सन १९२७ ई० को रात्रिके ८से १२ बजेतक बम्बईके मारवाड़ी अग्रवालोंकी दो विराट सभाएं श्रीनरनारायणभगवानके मन्दिरमें की गयीं। पहली सभाके सभापति रावसाहब सेठ रंगनाथ जी बजाज थे और दूसरी सभाके सेठ शिवरामदासजी केड़िया। दोनों सभाओंमें इतनी अधिक उपस्थिति थी; जितनी गत २५-३० वर्षोंमें कभी किसी सभामें नहीं देखी गयी थी। उपस्थिति बतला रही थी कि महासभाके कर्णधारोंकी कुचालोंसे जनता कितनी क्षुब्ध हो उठी है। दोनों सभाओंने श्री. बा० हनुमान प्रसादजी पोद्दार द्वारा उपस्थित किया हुआ प्रस्ताव सर्वसम्मतिसे स्वीकृत किया। वह इस प्रकार है:—

"बम्बईके मारवाड़ियोंकी यह विराट सभा घोषणा करती है कि द्विजातियोंमें विधवा-नाता (विवाह) धर्मशास्त्र और लोक मर्यादाके सर्वथा विरुद्ध है, इसलिये, हालमें ही, कलकत्तेके मारवाड़ी अग्रवाल समाजमें जो विधवा नाता हुआ है उसका यह सभा घोर विरोध करती है और समाजको आदेश करती है कि समाजमें घुसती हुई इस अधार्मिक प्रथाको रोकनेका, शीघ्रही समुचित प्रबन्ध करे।"

इतना घोर विरोध होते हुए भी 'महासभा'के कार्यकर्ताओंने व्यक्तिगत विचारस्वतन्त्रता तथा विधि-विधानके परदेकी ओटमें अपनेको तथा 'महासभा'को पाक साफ़ प्रमाणित करनेमें पराकाष्ठाके प्रयत्न कर दिखाये थे। इन पराकाष्ठाके प्रयत्नोंमें महासभावादियोंको सफलता नसीब न हुई। 'महासभा' के नवमाधिवेशनकी तिथियां सन्निकट आ पहुँचीं। विरोध-उग्र विरोधकी महासभावादियोंने उपेक्षा की। परिणाम यह हुआ कि अधिकांश मारवाड़ी अग्रवाल बन्धुओंने 'महासभा' का बहिष्कार करनेके लिये कमर कस ली।

जनता-जनार्दनका उग्र रूप देखकर महासभावादी भी दहल गये। फिर क्या था। समझौतेके लिये 'महासभा' के पदाधिकारियोंने हाथ आगे बढ़ा दिया। श्री० जयदयालजी गोइनकाके सभापतित्वमें समझौता सभाकी कलकत्तेमें आयोजना हुई।

यह स्मरण रखने की बात है कि जहां किसी भी स्थानमें महासभाके पदाधिकारीका किसी प्रकारका सम्बन्ध रहा, लगभग उन सभी स्थानोंमें महासभावादियोंने घबड़ाकर समझौता सभामें सहयोग देनेकी इच्छा प्रगट की थी। कलकत्तेकी इस समझौता सभामें महासभावादियोंका जो रुख़ प्रकट हुआ, उससे जनता यह समझ गयी कि यह समझौता नवमाधिवेशनकी सफलता या निर्विघ्न समाप्तिके लिये एक

झांसा मात्र हैं। अन्ततोगत्वा 'महासभा' के 'बहिष्कार' की आवाज़ बुलन्द कर दी गयी। फिर भी जब महासभावादियोंने अपने विरोधियोंको बहुमतके नामपर ललकारा तो जनता पुनः महासभामें प्रवेशार्थ 'प्रवेशपत्र' मांगने लगी। पर प्रबल विरोध तथा विरोधियोंका प्रचण्ड बहुमत देखकर 'महासभा' के कार्यकर्त्ताओंने 'प्रवेशपत्र' (टिकिट) देनेसे इन्कार कर दिया। फिर भी दूरस्थ मारवाड़ी अग्रवाल बन्धु जिनके कानोंतक 'महासभा' के बहिष्कार की आवाज़ न पहुँच सकी थी, 'महासभा' के प्रतिनिधि बनाकर लाये गये। लेकिन उनकी भी आख उस समय खुल गयीं जब कि 'महासभा' के पण्डालके बाहर ही कुछ 'महासभा' के प्रतिनिधियोंका 'महासभा' के किसी पदाधिकारीने यथोचित अपमान कर दिया।

जब दूरस्थ नगरोंसे प्रतिनिधिगण कलकत्ते आये और जब उन्होंने परिस्थितिको भले प्रकार समझ लिया तो आगत प्रतिनिधियोंने मारवाड़ी अग्रवाल बन्धुओंकी एक विराट् सभा, परिस्थितिपर विचारार्थ, आयोजित करनेकी इच्छा प्रकट की। तदनुसार एक विराट् सभाका आयोजन हुआ और इसी विराट् सभामें अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी अग्रवाल पंचायतकी, सर्व-सम्मतिसे स्थापना की गयी। दूसरे ही दिवस और भी कितने ही महासभाके प्रतिनिधि जो 'महासभा' के पदाधिकारियोंद्वारा सुधार और एकताके परदेमें बिठलाये गये थे अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी अग्रवाल पंचायतमें आकर सम्मिलित हो गये। इनके प्रक्षुब्ध होनेका कारण नवमाधिवेशनके सभापति सेठ केशवदेवजी नेवटियाका भाषण ही सिद्ध हुआ।

सेठ जमनालालजी बजाजद्वारा गरम किये गये क्रान्तिके तवेपर अनायास रोटी सेकनेका जो अवसर प्राप्त हुआ था, सेठ केशवदेवजी नेवटियाने उसे हाथसे न जाने दिया। आपके भाषणसे तो कितने ही सुधारकतक आपसे खिन्न हो गये थे। सेठ केशवदेवजीके भाषणने उस आगके बुझनेकी सम्भावनाको समूल नष्ट कर दिया जिसे सेठ जमनालालजी बजाज दिल्लीमें धधका चुके थे। सेठ केशवदेवजीके भाषणमें ब्राह्मणोंपर भी जहर उगल दिया गया और उन सभी बातोंमें इकतर्फा डिगरी दे दी गयी जिनके बारेमें 'तटस्थ' कहकर एक अर्सेसे महासभा अपनी साख बैठाती आ रही थी। इस भाषणने 'महासभा' की असली सूरत भले प्रकार जनताको दिखला दी। सर्वसाधारणके विचारार्थ उक्त भाषणके कुछ अंश यहां उद्धृत किये जाते हैं:-

से० केशवदेवजी नेवटियाका फर्मान।

"मैं पूछता हूँ कि विवाह की आवश्यकता किसीको क्यों और कब होती है ? हम देखते हैं कि प्रत्येक स्त्री और पुरुषके मनमें एक अवस्थामें ए

ऐसा विकार उत्पन्न होता है जिससे दोनोंको एक दूसरेके साथ रहनेकी आवश्यकता मालूम होती है और एक अवस्थातक वह विकार रहकर लोप होने लगता है। जिस अवस्थामें लड़के या लड़कीके मनमें वह विकार इतना प्रबल हो कि वे एक दूसरेके निकट रहे बिना रह न सकें, वहीं अवस्था उनके विवाहके योग्य अवस्था है। इस विषयके विशेषज्ञोंका मत है कि लड़के के लिये यह अवस्था २५वर्ष के उपरांत और लड़कीके लिये १८ वर्ष के उपरांत है। अब, बताइये, इसके पहले उनका विवाह कर देना कहांतक बुद्धि और न्यायके अनुकूल है? जिस समय उनके मनमें विवाहकी भूख जागृत ही नहीं हुई है उस अवस्थामें उनको पशुकी तरह एक दूसरेके गले बाँध देना उनके साथ घोर अत्याचार नहीं, तो क्या है?"

"बाल-विवाहसे लड़के लड़कियोंके हितकी आशा करना भारी भूल है। यदि आज हम विवाहकी आदर्श अवस्थातक लड़के लड़कियोंको न पहुँचा सकें तो लड़कोंका विवाह १८-२० और लड़कियोंका विवाह १५-१६ वर्ष से कम अवस्थामें हरगिज़ न करना चाहिये। लड़कोंकी अवस्था अधिक होनेपर तो लोग अब कोई आपत्ति नहीं उठाते; पर लड़कियोंकी अवस्थाके सम्बन्ध में लोगोंमें अभी एक झूठा भय बना हुआ है। वे कहते हैं कि रजोदर्शनके बाद कन्याका विवाह करना धर्मशास्त्रमें मना है। इसपर मेरा निवेदन है कि 'धर्मशास्त्र समाजकी उन्नति और रक्षाके लिये बनाये गये नियमोंके संग्रह' के अतिरिक्त और क्या हैं?"

"यदि रजोदर्शन होते ही सन्तानोत्पत्ति करना धर्मशास्त्रको अभिमत है और उसके उल्लङ्घनसे माता-पिता नरक-गामी होते हैं तो मैं समझता हूँ कि अब तक प्रायः सभीके माता-पिता नरकमें जा पहुचे होंगे। अब जब कि सभी नरकमें पड़े हुए हैं तो हम मुट्ठी भर लोग स्वर्गमें जाकर कौन सा सौभाग्य प्राप्त कर लेंगे? यदि किसी समय रजस्वला होनेसे पूर्व विवाह करना धर्म था तो आज पाप है। कमजोर और अबोध कन्याओंको माता बनाना उनके जीवनको नष्ट करना है। यह धर्म नहीं, अधर्म है।"

"कुछ लोग यह बीच का रास्ता सुझाते हैं कि विवाह तो रजोदर्शनके पहले ही कर दिया जाय परन्तु मुकलावा अर्थात् द्विरागमन २-४ वर्ष बाद किया जाय। मगर इसमें भी कम बुराई नहीं है।"

"मेरे विचारसे हमारे समाजमें छोटे २ बच्चोंकी सगाई कर देनेकी प्रथा भी रजोदर्शनके पूर्व ही विवाह कर देनेकी भावना के कारण प्रचलित हुई है। इसी कारणसे बालिकाओंके माता-पिताओंको जल्दी सगाई कर देनेकी चिन्ता लगी रहती है। यदि वे अपने मनसे रजोदर्शनके पूर्व विवाह करनेकी कल्पना निकाल देंगे तो उन्हें जल्दी सगाई कर देनेकी चिन्ता न रह जायगी।

पुनर्विवाह ।

"एक प्रश्न समाजके सामने और उपस्थित हुआ है । वह है बालविधवाओंके पुनर्विवाहके सम्बन्ध में । हमारे समाजमें हालमें ही जो दो एक विवाह हुए हैं उनके कारण समाज में इस विषयपर चर्चा चल रही है। इसके सम्बन्धमें समाजमें अनेक प्रकारके विचार दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोग इस प्रथाके प्रचारकी बहुत आवश्यकता बताते हैं और इसमें समाज का हित ही देखते हैं । कुछ लोग इसकी आवश्यकताका अनुभव तो करते हैं पर इससे समाजका हित होगा या अहित, इसके विषयमें कोई निश्चय नहीं कर पाये हैं । कुछ लोग इसकी आवश्यकता नहीं समझते और इसके प्रचारसे समाजके अहितकी आशङ्का करते हैं । वे इसे अधर्म बताते हैं। हमें चाहिये कि हम इस प्रश्न पर शांति-पूर्वक विचार करें । धर्म और अधर्म का निर्णय बहुत कठिन कार्य है । जिसे हम अधर्म समझते हैं वह समय पाकर धर्म और जिसे धर्म समझते हैं वह अधर्म हो सकता है । कई शास्त्रों का मत है कि जिन कामोंसे समाजमें दुःख फैले, वह अधर्म है और जिस से सुखकी वृद्धि हो वही धर्म है । हमें यहाँ यही देखना है कि बालविधवाओंके पुनर्विवाहसे समाजमें दुःख फैलेगा या सुख । पुरुष कई बार पुनर्विवाह कर सकते हैं । पुरुषोंका पुनर्विवाह हो तो समाज उसे बुरा नहीं समझता । स्त्रियाँ भी पुरुषोंके पुनर्विवाह को बुरा नहीं समझतीं । बहुतसे मौकोंपर तो घर की वृद्धा स्त्रियाँ ही पुरुषोंको पुनर्विवाह करनेके लिये उत्साहित और बाध्य करती हैं । लेकिन अब समय के बदलनेसे परिस्थितिमें बहुत परिवर्तन हो गया है और दिन प्रतिदिन होता जा रहा है । स्त्रियोंके विचारोंमें भी परिवर्तन होने लगा है । पुरुषों को पुनर्विवाहकी छूट तथा स्त्रियोंके आजन्म वैधव्य में वे विरोध अनुभव करने लगी हैं । न्यायकी दृष्टिसे देखा जाय तो स्त्री और पुरुष समाजके समान अङ्ग हैं । समाजको दोनोंके लिये समान सुविधा और प्रतिबन्धन रखना चाहिये । यदि पुरुषोंका पुनर्विवाह समाज रोक दे तो समाजका कार्य न्याय-युक्त हो । विधुर या विधवाएं जो ब्रह्मचर्य-पूर्वक समाजकी सेवा करें, वे आदर्श समझी जाँय । परन्तु यह सम्भव नहीं कि पुरुष पुनर्विवाह बिल्कुल बन्द कर दें । ऐसी हालत में स्त्रियोंके पुनर्विवाह को भी रोकना समाजके लिये न्याय-युक्त तो नहीं । जो स्त्रियाँ वैधव्य प्राप्त होनेपर ब्रह्मचर्यपूर्वक जीवन व्यतीत करती हैं वे सचमुच समाजके लिये आदर्श और पूजनीय हैं और रहेंगी । पर जिनकी इच्छा पुनर्विवाह करनेकी हो, उनको नहीं रोकना चाहिये । बाल-विधवाओंके कारण उनके माता पिताओंको जो दुःख है वह उनके पुनर्विवाहसे बहुत कुछ कम हो सकता है । पर समाज

के सामने यह प्रश्न हाल हीमें उपस्थित हुआ है । कुछ लोगोंकी यह मान्यता है कि इस प्रकार पुनर्विवाह करने वालोंको सुख नहीं मिल सकेगा। समाजने इस बातके लाभालाभपर पूरी तरहसे अभी विचार नहीं किया है। बिना पूरी तरह विचार किये किसी कामको अपनाना कठिन होता है। अतएव जिन लोगोंके मनमें ऐसे विवाहोंके होनेकी आवश्यकता जँची हुई हो, उन्हें चाहिये कि समाजके ऊपर अपने विचार जल्दीसे लाद देनेकी चेष्टा न करें। जिन बालविधवाओं की इच्छा पुनर्विवाह करनेकी हो और जो ब्रह्मचर्य–पूर्वक वैधव्य निभाना कठिन समझें उनके पुनर्विवाह का प्रबन्ध करा दें। पर समाजमें इसके लिये आन्दोलन खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ वर्षोंके अनुभवसे जब समाजको यह दृढ़ विश्वास हो जायगा कि इसकी आवश्यकता है और पुनर्विवाहसे उत्पन्न होने वाले प्रश्नोंको समाज हल कर लेगा, तब सम्भव है कि समाजमें इसके प्रति विरोध न रहे। जिन लोगोंके विचार इस समय ऐसे विवाहोंके प्रति-कूल हैं, उन्हें भी चाहिये कि वे शांत रहकर इसके सम्बन्ध में विचार करें। जल्दीमें कोई ऐसा कार्य न करें, जिससे समाजके सामने व्यर्थकी कठिनाई उपस्थित हो। किसी को जाति-बहिष्कृत करनेकी धमकी देनेसे कोई काम रुक सके, अब ऐसा समय नहीं रहा । किसी को जाति बहिष्कृत करना या कहना समाजमें व्यर्थ विरोध फैलाना है । महासभामें इन विवाहोंके सम्बन्धमें किसी प्रकारका प्रस्ताव करने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। ....

वैवाहिक कुरीतियाँ।

"अब हमें यहांपर विवाह-सम्बन्धी थोथे रस्म-रिवाज और उनमें होने-वाली फ़िजूलखर्चियोंपर विचार करना चाहिये। यों तो स्वयं विवाह भी एक सामाजिक प्रथा है। उसे धर्म-संस्कारमें स्थान इसलिये मिल गया है कि एक तो विवाहके द्वारा स्त्री-पुरुष अपने सांसारिक कर्तव्योंका पालन करते हुए अपने आत्माके विकासकी कामना रखते हैं और दूसरे हमारे हिन्दूसमाजमें प्रत्येक छोटी बड़ी बातको धर्मका उच्च स्वरूप दे दिया गया है कि जिससे लोग उनका ध्यान देकर पालन करें। धार्मिक दृष्टिसे भी विवाह–संस्कारमें सिर्फ़ दो विधियां प्रधान हैं (१) पाणि-ग्रहण (२) सप्तपदी। ....

यदि वर और कन्या एक ही स्थानके निवासी हों तो दो चार रुपयेमें ही विवाह-विधि संपन्न हो सकती है। ... ...

सगाई होनेपर हरा भरा दिया जाता है, वह भी आंगी मेवोंकी तरह बन्द कर देना चाहिये। विवाहके समय जितनी देने लेनेकी प्रथाएँ हैं वे सब ही बन्द कर देनी चाहियें। ... ...

विवाह इत्यादिमें लोक-दिखावेके लिये हम जितनी बातें करते हैं वे सब हमें बन्द कर देनी चाहिये। इनके बंद कर देनेपर आप देखेंगे कि, हम अनेक झंझटों, जंजालों और चिन्ताओंसे मुक्त हो जायँगे।

संस्कारोंपर कुठार।

" संस्कारोंके संबन्धमें भी ऐसी सामाजिक कुप्रथाएं पड़ गयी हैं-जिनके पालनेसे लाभ तो कुछ नहीं, हानि हर तरह है। ... ...

"कर्णवेध जैसे संस्कारोंका उद्गम तो मेरी समझमें बच्चोंको सजाकर अपनी आंखोंको सुख देनेकी इच्छामें है। पर यदि धार्मिक दृष्टिसे वे आवश्यक ही हों तो फिर धार्मिक विधि मात्र कर देना काफी है। परोजन आदिके लिये स्त्रियोंका ज्यादा आग्रह होता है। स्पष्ट ही यह उनके अज्ञानका फल है, जिसकी सारी जिम्मेदारी हम पुरुषोंपर है। अतएव हमें चाहिये कि हम इन सब फ़िजूलख़र्चियोंको बन्द कर दें। कई लोगोंको तो भातका लोभ भी इस प्रथाको बन्द करनेसे रोकता है। परोजनमें भात देने लेनेका कारण तो ज़रा भी समझमें नहीं आता !इस तो रोक ही देना चाहिये। ......किसीकी मृत्यु होनेपर श्राद्धादि क्रिया-कर्म अपने अपने विश्वासके अनुसार करना बुरा नहीं है। पर वह करना चाहिये बिलकुल धार्मिक दृष्टिसे और वहीं तक, जहाँतक धर्म-शास्त्र उसकी आवश्यकता बताते हैं। जहाँतक मुझे मालूम है धर्म-शास्त्रमें तो सिर्फ श्राद्ध करनेका तथा कुछ ब्राह्मण-भोजनका विधान है। दूर दूरके लोगोंको बुलाकर समारोह करना आवश्यक नहीं है। नाम-यश कमानेका यह बड़ा घृणित तरीका है। एक ओर घरमें मृत्युका शोक छाया हुआ है और दूसरी ओर बड़े उत्साहसे भोजकी तैयारियाँ हो रही हैं—यह दृश्य क्या आपको ग्लानिकर नहीं मालूम होता ? ग़रीब ब्राह्मणोंको अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार भोजन करा देना काफ़ी है।"

"मैं तो श्राद्धके समय किये जानेवाले इन आडंबरोंमें किसी भी प्रकारका धार्मिक अंश नहीं देखता। यह धनी लोगोंका नामवरी पैदा करनेका साधन है।"

परदा उड़ा देनेकी सलाह।

"परदे और घूँघटकी प्रथा बड़ी अस्वाभाविक और मनुष्यत्वसे पीछे हटानेवाली है। यदि पुरुषके लिये घूंघट और परदा आवश्यक नहीं है तो स्त्रियोंने ही ऐसा कौन ख़ास अपराध किया है जिसका यह कड़ा दंड उन्हें इस २० वीं सदीमें भी दिया जा रहा है। परदेकी प्रथाको जारी रखना मानो अपने आधे अंगको जेलख़ानेमें डाले रखना है।"

दान ।

"दान देनेकी परिपाटी तो हम लोगोंमें है ही। परन्तु प्रायः सब लोगोंको शिकायत है कि हम सोच समझकर, देश, काल, पात्रका विचार कर, दान नहीं देते। वास्तवमें दान ऐसा होना चाहिये जिससे समाज और देश को लाभ पहुँचे, न कि हानि। हम लोगोंमें दान देनेकी दो चाल बहुत देखी जाती हैं—एक तो धर्मशाला या कुआँ बना देना और दूसरे संस्कृत पाठ-शाला या सदाव्रत खोल देना। इनको बहुतेरे बड़ा पुण्य-कार्य समझते हैं। इसके अलावा परोजन, मृत्यु और विवाहके समय ब्रह्मपुरी कर देना, घरू ब्राह्मणोंको कुछ दे देना, हेड़ा बाड़ा दे देना और गायों तथा कबूतरोंके लिये कुछ चन्दा दे देना, या एक नया मन्दिर बना देना, यहींतक हमारे दानकी दौड़ है।

"घरू ब्राह्मणोंके विषयमें एक बात कहना ज़रूरी है। उनका और हमारा सम्बन्ध पुराना है। वे एक प्रकारसे हमारे समाजकी सेवा करते आये हैं। उनका बदला हमें अवश्य देना चाहिये ।

उपजातियोंमें विवाह।

"वैवाहिक सम्बन्ध सुखकी दृष्टिसे समान आचार विचार रखनेवाले लोगोंमें ही होना उचित है। संकुचित विचार देशमें राष्ट्रीय भावनाके फैलनेसे नष्ट होते जा रहे हैं। जो लोग हर बातमें धार्मिक पुस्तकोंके पन्ने उलटकर देखते हैं, उन्हें भी एक वर्णकी अलग अलग जातियोंके परस्पर वैवाहिक संबंध करनेमें कोई रुकावट नहीं मिलेगी। मारवाड़ी अग्रवाल, महेश्वरी और खंडेलवाल जातिके लोगोंके आचार विचारमें सामाजिक प्रथाओंके सिवा दूसरा कोई अंतर नहीं है। मेरे विचारसे इन तीन जातियों के लोग, जो सामाजिक प्रथाओंको महत्व नहीं देते वे, परस्पर वैवाहिक संबंध करेंगे, तो उन्हें कोई दुःख न होगा।

हिन्दू-सङ्गठन ।

"अबतक हमारा समाज अन्य जातियोंसे दूर दूर सा रहता है। हिन्दू-समाजके सुधार और उन्नतिके लिये अब हिन्दू-संगठनकी जो लहर उठी है उससे हमारा समाज अलग नहीं रह सकता । हिन्दू-जातिकी बुराइयों, भेद-भावों और कमज़ोरियोंको दूर करना ज़रूरी है। जो लोग अपनी खुशी से हिन्दू-धर्ममें आना चाहें उनके लिये हमारा द्वार खुला रहना चाहिये।

"अस्पृश्यताका प्रश्न इन दिनों हिन्दू-समाजके सामने बड़े गम्भीर रूपसे आ रहा है । राष्ट्रीय महासभा तथा हिन्दू-महासभाने अछूतोद्धारको अपना एक महत्वपूर्ण अंग बना लिया है । अछूत सर्वथा हिन्दू हैं, इस लिये उनके सुधार और उन्नति में ध्यान देना प्रत्येक हिन्दूका, और इस लिये

हमारे समाजका भी, कर्त्तव्य है। मेरी रायमें किसी मनुष्यको अस्पृश्य मानना उचित नहीं है। अछूत लोग ज्यों ज्यों स्वच्छतासे रहने लगेंगे, मुर्दा मांस खाना छोड़ते जायंगे,त्यों त्यों उनके प्रति घृणा अपने आप कम होती जायगी।

बे-लगाम भाषण।

लोकोक्ति है कि "गुरु गुड़ ही रहे और चेला शक्कर हो गये." इसीके अनुसार वा० केशवदेवजी नेवटिया सेठ जमनालालजीसे भी आगे बढ़ गये। अन्तर्जातीय-विवाह, विधवा-नाता अछूत-सहभोज इत्यादि बातोंका समर्थन करते हुए आपने घोलमेल करनेकी जोरदार अपील तो कर ही डाली; साथ ही आपने श्राद्ध, कर्ण-भेदादि संस्कार और स्त्रियोंकी लज्जा शीलताका भी घोर विरोध कर दिया। आपकी रायशरीफमें धर्मशास्त्र मामूली नियमावलीसे अधिक महत्व नहीं रखते। ब्राह्मण तो आपकी रायमें 'सेवक' मात्र हैं और इसी लिये उनकी सेवाका बदला देनेकी सिफारिश आप करते हैं। कहिये कितनी ब्रह्मनिष्ठा आपमें है और कितना धर्म भाव है? आप उच्छृङ्खलताके प्रचारको उत्तेजना देते हुए सनातनियोंको समझाते हैं कि चाहे कोई कितना ही पापाचार फैलावे आप किसीको भी बहिष्कृत करके इस कार्यको रोकनेका विचार न करें। दयाधर्मके कामोंसे तो आपको इतनी घृणा है कि आपने कबूतरों को दाना डालनेका भी विरोध किया है। आप की राय है कि दो तीन रुपयेमें विवाह कर लिया जाया करे! वाह कितना सस्ता सौदा है-विवाह-संस्कार हुआ या एक खिलवाड़ हो गया!

इस अधिवेशनके सभापतिके भाषणकी यह बानगी हो चुकी। इस अधिवेशनमें जो व्याख्यान हुए, वह भी सामाजिक विद्रोहके लिये किसी प्रकार कम उत्तरदायी न रहे। व्याख्यानोंके द्वारा बड़े भद्दे आक्षेप उन महानुभावोंपर किये गये जो 'महासभा' के पदाधिकारियोंकी स्वेच्छाचारिताको लगाम देना चाहते थे। उनपर अभियोग लगाया गया 'महासभा' को तोड़नेका और पण्डालको जलानेकी तय्यारी करनेका। पण्डालपर पत्थर फेंकनेके लिये, जूलूसपर ईंटें और सोडावाटरकी बोतलें फेंकनेके लिये, तथा सभापतिको जूते दिखलानेके लिये प्रतिष्ठित मारवाड़ी अग्रवाल बन्धुओंको उत्तरदायी करार दिया गया! सनातनियोंके विरुद्ध भद्देसे भद्दे भ्रम फैलानेपर भी जब सर्वसाधारण-जनताको, सनातनियोंके विरोधमें उभाड़नेकी चेष्टा सफल न हुई तो महासभाके कार्यकर्त्ताओंने महासभाके कार्यालयको कलकत्तेसे उठा देना ही सुरक्षाके विचारसे उचित समझा। तदनुसार महासभाका कार्यालय कलकत्तेसे उठाकर बम्बई लाया गया और इस प्रकार वर्षोंसे कलकत्तेमें रहनेवाला कार्यालय महामन्त्रीके सुभीतेकी ओटमें बम्बई आ गया।

एक ओर कुछ दिनोंसे संगठित अखिल भारत-वर्षीय-मारवाड़ी अग्रवाल पञ्चायत थी तो दूसरी ओर उसके मुकाबिलेमें नौ वर्षोंसे सङ्गठित 'महासभा' थी। इसीसे कल्पना की जा सकती है कि 'पञ्चायत' को अग्रसर होनेके लिये कैसी कैसी कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा होगा। पञ्चायतके कार्यमें बाधा पहुँचानेके लिये पञ्चायतके विरोधियोंने पञ्चायतके प्रमुख पदाधिकारियोंपर मान-हानिकी नालिशें ठोक दीं। यह ध्यानमें रखनेकी बात है कि मुकदमा चलानेवाले सुप्रसिद्ध सुधारक बा० जगन्नाथ गुप्ता थे। इस मुकदमेमें पञ्चायतकी विजय होते ही सुधारक कहे जानेवाले सभी लोग पानीपानी हो गये। प्रकारान्तरसे इस मुकदमेने पञ्चायतके कार्यको आगे बढ़ानेमें ही सहायता दी। जो विरोध हानि पहुँचानेकी नीयतसे किया जाता है; उसका बहुधा यही परिणाम हुआ करता है। न्यायाधीशके निम्नलिखित निर्णयसे यह भले प्रकार ज्ञात हो जायगा कि सुधारक कहे जाने वालोंकी मनोवृत्ति किस प्रकार और क्योंकर घृणास्पद है :-

जजमेण्टकी नकल।

"अखिल-भारतवर्षीय-मारवाड़ी-अग्रवाल पञ्चायतके १५ मई १९२७ के विराट अधिवेशनमें पञ्चायतद्वारा प्रतिवादियोंने एक प्रस्ताव पास कर, वादी, बाबू जगन्नाथ गुप्ताका सामाजिक सम्बन्ध विच्छेद कर दिया है। इसपर वादी जगन्नाथगुप्ताने प्रतिवादियोंके ऊपर इस मानहानिके लिये मामला चलाया है; साथही वादीका यह भी दावा है कि उस विराट सभामें वादीके चरित्रपर यह दोषारोपण भी किया गया है कि उसने श्री गोविंद-भवनकी सभामें विधवाविवाहको पाप समझकर यह प्रतिज्ञाकी थी कि भविष्यमें वह ऐसा दुष्कार्य नहीं करेगा। अर्थात् वह विधवा-विवाहका समर्थन नहीं करेगा। किन्तु वादीने अपनी प्रतिज्ञाका पालन नहीं किया है। अतः जबतक वादी और अन्य ग्यारह व्यक्ति इसका प्रायश्चित्त नहीं करते तबतक उनका विरादराना बन्द किया जाता है।" इसपर वादीका कहना है कि वह विधवा-विवाहका कट्टर समर्थक है, वह न तो गोविन्दभवनकी मीटिङ्गमें ही गया था और न उसने प्रतिज्ञा ही भंगकी थी और न विधवा-विवाहको पाप ही समझा था। इन सब बातोंसे वादीका कहना है कि वह अपने समाजमें घृणाकी दृष्टिसे देखा जाने लगा है। वादीके साक्षियोंका कहना है कि गत फरवरी-मार्चमें दो विधवानाते हिन्दू शास्त्रानुकूल हुए थे, इस विषयको लेकर समाजमें बड़ा भारी मतभेद फैल गया है। सनातनधर्मावलम्बी इन विवाहोंके घोर विरोधी हैं। गत मार्चमें विधवा

विवाहपर पारस्परिक मतभेद मिटानेके लिये एक सभा श्रीगोविन्द भवनमें हुई थी। वादीका कहना है कि कोई समझौता नहीं हुआ जैसा कि उसके गवाह न० २, ३, और ७ ने कहा है। पर प्रतिवादियोंका कहना है कि वहांपर विधवा-विवाह रोकनेके लिये समझौता हुआ। वादीका यह भी कहना है कि भारतमित्रम प्रकाशित प्रस्ताव अपमान-जनक है। पर पञ्चायतकी प्रोसिडिंग बुकमें गत १५ मईका जो प्रस्ताव लिखा है उसके और भारतमित्रके प्रस्तावमें अन्तर मालूम देता है और भारतमित्रका प्रस्ताव ठीक नहीं मालूम पड़ता, जैसा कि वादीके गवाहोंने भी कहा है कि भारतमित्रमें प्रकाशित प्रस्ताव ठीक नहीं है।

किसी मानहानिके मामलेमें अभियुक्तों द्वारा प्रयोग किये हुए ठीक शब्दोंका उल्लेख करना अति आवश्यक होता है ताकि उसपर मामला चलाया जा सके। वादीका पक्ष यहांपर एकदम गिर जाता है। वादीने कहा है कि वह पूर्णतया विधवा-विवाहके पक्षमें हैं और उसे पाप नहीं समझता; अभियुक्तोंके प्रस्तावसे उसे गहरी हानि उठानी पड़ी है। पर जिरहमें वादीने इस बातको स्वीकार किया है कि बा० केशवराम पोद्दार और रायबहादुर रामदेव चोखानी जैसे व्यक्तियोंके बीच सच्चा मत-भेद है तथा प्रस्ताव पास होनेमें समाजकी दृष्टि और उसके साथियोंकी दृष्टिमें उसकी कोई क्षति नहीं हुई है। वादीके इस कथनसे मेरी यह राय है कि समाजकी दृष्टिमें उसका कुछ भी अपमान नहीं हुआ। तो क्या पंचायतके मेम्बरोंने उसे जाति-बहिष्कृत किया है, यह अपमानजनक है? वादीके पक्षका कहना है कि गत १५ मईको पंचायत द्वारा बुलायी गयी विराट सभामें पहला प्रतिवादी सभापति था और अन्य प्रतिवादियोंने सभामें खास भाग लिया था। इस सभामें अग्रवालोंके सिवाय अन्य लोग भी सम्मिलित थे। भारतमित्रके सम्पादकने भी भाग लिया था। भारतमित्रमें, पास हुआ प्रस्ताव दूसरे दिन प्रकाशित हुआ। पुलिस और स्वयंसेवक भी उपस्थित थे, अस्तु! जब सभाकी सूचना केवल अग्रवालोंके निमित्त थी तो ऐसी स्थितिमें ग़ैर अग्रवालोंकी उपस्थितिके लिये अभियुक्त जिम्मेदार नहीं है और न भारतमित्रमें प्रकाशित प्रस्तावके ही लिये। वादी तथा उसके गवाहोंने यह साबित नहीं किया है कि अभियुक्तोंने कोई अपमान-जनक शब्दोंका प्रयोग किया है।अतएव मेरी **यह राय है कि वादीका पंचायत द्वारा बहिष्कृत किया जाना अपमान-सूचक नहीं है.** प्रस्तावमें उल्लिखित १२ व्यक्ति विधवा-विवाहके प्रचारमें विशेष सहायता देनेवाले बताये गये हैं और सनातन धर्मावलम्बियोंकी रायमें इन १२ व्यक्तियोंने गोविन्द भवनकी मीटिंगमें शरीक होनेवाले व्यक्तियोंको भी अपने पक्षमें फोड़ लिया

है। मेरी रायमें वादीने प्रतिज्ञा भंग करनेवाली बातपर जो आपत्तिकी है वह उसपर लागू नहीं हो सकती जैसा कि मैं ऊपर भी कह चुका हूँ। इसलिये अभियुक्तोंपर मामला चलाया नहीं जा सकता।

वादी अपनेको सुधारक कहता है और उसके वकील उसे विधवा-विवाह-समर्थनका शहीद बताते हैं। अतएव मैं तो यह **महाविचित्र मामला देखता हूँ जो ऐसे महत्वपूर्ण सामाजिक विषयके प्रश्नको हल करनेके लिये अदालत जैसे स्थानमें निर्णय के निमित्त लाया गया है** मैं वादीके गवाह मि० प्रभूदयाल हिम्मत-सिंहकाके उन शब्दोंकी याद दिलाता हूँ जो उन्होंने जिरहमें स्वीकार किये हैं कि, यदि मैंने वादीको सलाह दी होती तो यह मामला चलाया ही नहीं गया होता, क्योंकि सामाजिक प्रश्नको लेकर अदालतमें नहीं आना चाहिये। ऐसी स्थितिमें वादी जगन्नाथ गुप्ताका पक्ष गिरा हुआ समझकर अभियुक्तोंको निर्दोष पाता हूँ और वादीकी ओरसे चलाया हुआ दावा खारिज करता हूँ।

हस्ताक्षर
एच. के. डे.
चतुर्थ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट।

मारवाड़ी अग्रवाल जातिके प्रचण्ड बहुमतसे परित्यक्त 'महासभा' का कार्यालय बम्बई लाया गया। कार्यालयने कलकत्तेमें समाजकी स्थिति दयनीय बना दी थी, इसका प्रभाव यद्यपि बम्बईके मारवाड़ी अग्रवाल भाइयोंपर भी पड़े बिना नहीं रह सका था, तथापि बम्बईके मारवाड़ी अग्रवाल बन्धुओंने जातीय एकताके नामपर महासभाके पदाधिकारियोंको पुनः एक और अवसर देना उचित समझा।

इसी बीचमें बा० बेणीप्रसादजी डालमियां, बाबू बालकृष्णलालजी पोद्दार, बाबू हनुमानप्रसादजी पोद्दार और बा० श्रीनिवासजी बजाज मिले और समझौतेके प्रश्नपर मिलकर विचार किया। बाबू हनुमानप्रसादजी पोद्दारने समझौतेका एक प्रस्ताव बाबू बेणीप्रसादजीके हवाले किया। यह प्रस्ताव समझौतेका कारण बनने वाला था। इसी अवसरपर बा० बेणीप्रसादजी डालमियां तथा बाबू बालकृष्णलालजी पोद्दारने यह भी प्रतिज्ञाकी थी कि यदि महासभाकी कार्य-कारिणी इस प्रस्ताव को स्वीकृत न करेगी तो वह दोनों ही महासभासे पृथक् हो जांयगे। परन्तु इन दोनों महाशयोंने ज्योंही सेठ जमनालालजीसे इस सम्बन्धमें मशविरा किया, त्योंही वे अपनी प्रतिज्ञाओंको भी भूल गये।

"अग्रवाल समाचार" का जन्म।

बार बार आग्रह करनेपर भी तथा कार्यकारिणीकी बैठकको बुलानेके लिये महासभाके महामन्त्री बा० बेणीप्रसादजी डालमियांको स्मरण दिलाते रहनेपर भी कार्यकारिणीकी बैठक नहीं बुलायी गयी, अपितु इस विचारसे कि, शब्दाडम्बरके लागलपेटके साथ, विधवाविवाह, सहभोजादि सुधारवादका कलमा समाजको पढानेमें ढील नहो, "अग्रवाल समाचार" नामक मुखपत्र भी निकाल दिया गया। इस मुखपत्रके सम्पादक बने, सुधारक बा० रामनिवासजी अग्रवाल। इस पत्रने जो जो भ्रम फैलाये उनसे पाठक अच्छी तरह जानकार हैं। फिर भी इस पत्रने हम लोगोंका एक उपकार तो अवश्य किया, और वह यह कि इन सुधारकोंकी मनोवृत्तिका 'फोटोग्राफ' हम लोगोंको मिलगया और जनता इनकी कुटिल चालोंसे शीघ्र ही सावधान हो कर सचेत होगयी।

फलतः मारवाड़ी अग्रवाल समाजके उच्छृङ्खल समाज-सुधारक नामधारियों द्वारा उत्पन्न की गयी विषम समस्यापर विचार करनेके लिये और विचारपूर्वक उसका प्रतिकार करनेके लिये एक विराट्-सभा रविवार तारीख १७ जुलाईको बम्बईमें श्री० सेठ मुरलीधरजी गनेड़ीवाले (हैदराबाद) के सभापतित्वमें की गयी। नियत समयके पूर्व ही (दो-पहरके डेढ़ बजे) बम्बईके प्रायः सभी मारवाड़ी अग्रवाल भाई कालबादेवीपर श्री० खेमराजजी श्रीकृष्णदास फर्मके ऊपरके हालमें एकत्र हो गये। धर्म और समाज रक्षाकी भावना सर्वत्र जागृत हो रही थी और सभास्थलमें अदृश्य-पूर्व उत्साह प्रकट हो रहा था।

कार्यवाही प्रारम्भ होते ही सभापति निर्वाचनका प्रश्न उठनेपर श्री० सेठ० रामकुमारजी झुनझुनुवालेके प्रस्ताव और राव-साहिब श्री० सेठ रङ्गनाथजी बजाजके समर्थन एवं अन्यान्य सज्जनोंके अनुमोदनपर श्री० सेठ मुरलीधरजी गनेड़ीवालेने सभापतिका आसन ग्रहण किया। तदनन्तर सेठ रामकुमारजी झुनझुनुवाले एवं अन्य सज्जनोंने सभा बुलानेका उद्देश्य बतलाया और कहा कि आज यह विचार करना है कि उस मारवाड़ी समाजमें जो अपने धर्म-प्रेम और अपनी दानशीलताके लिये विख्यात है, इस प्रकारके कार्य सहन करना कहांतक उचित हो सकता है। वास्तवमें अब उच्छृङ्खलता हदसे अधिक बढ़ गयी है और यदि इसका उपाय न किया गया तो समाज छिन्न-भिन्न और लक्ष्यभ्रष्ट हो जायगा। इसलिये इसकी रोक-थामका अविलम्ब उपाय किया जाना चाहिये। आपने महासभाका प्रारम्भिक इतिहास बताते हुए कहा कि यह देखकर आश्चर्य्य और खेद होता है कि वही महासभा जो भले घरोंमें विवाहादिके समय अवस्थाके थोड़े बहुत होनेका नाम लेकर सैकड़ों रुपये तारों और हैण्डबिलोंमें खर्च कर देती है

वही सभा जो ऐसे अवसरोंपर अपने उपदेशकों आदिके द्वारा और सभाएं कर के आकाशको शिरपर उठा लेती है, विधवा-विवाह और आचार विचार विहीनताके विरुद्ध आन्दोलन करनेके लिये एक पाई खर्च नहीं करती, एक उपदेशक नियुक्त नहीं करती, एक तार नहीं खटखटाती, विरोधके लिये एक सभातक नहीं करती और उसके समस्त कार्यकर्त्ता विरोधमें एक शब्द भी नहीं कहते। इतना ही नहीं, महासभाके प्रायः सभी कार्यकर्त्ता उसमें उत्साहसे भाग लेते हैं। जब यह बात है तो फिर हम उससे क्या आशा रखें। परिस्थिति यह है। अब आपको दो बातें निश्चित करनी हैं:- (१) यह कि क्या ये बातें आपको पसंद हैं? यदि नहीं तो इसका क्या उपाय किया जाय?

श्री० सेठ शिवरामदासजी केड़ियाने जोरदार-शब्दोंमें उच्छृङ्खलताकी निंदाकरते हुए बताया कि कलकत्तेवाली परिस्थिति हमारे भी सामने उपस्थित है। बम्बईमें भी उसी प्रकारका प्रयत्न किया जा रहा है। मुझे मालूम हुआ है कि यहांपर भी शीघ्र ही वे कुछ कर डालना चाहते हैं और उस काण्डका संबन्ध एक प्रतिष्ठित परिवारसे होगा। मैंने खुद अपने कानोंसे एक सुधारक कहानेवाले व्यक्तिकी ये बातें सुनी हैं जो वह अपने कई शिष्योंसे कह रहा था। ऐसी अवस्थामें हमें इसका उपाय शीघ्र ही करना चाहिये।

धर्म-विरुद्ध कार्योंका विरोध।

उपस्थित महानुभावोंने एक स्वरसे इस प्रकारके कार्योंका विरोध किया और दृढ़तापूर्वक कहा कि हम अपने समाजको दूषित और कलङ्कित न होने देंगे। तदनन्तर परिस्थितिका सामना करनेके उपायोंपर विचार होने लगा। यह बात सबने स्वीकार की कि बम्बईमें एक संस्थाकी आवश्यकता है जो धर्म-विरुद्ध कार्योंसे समाजको बचाती हुई उसे उन्नति के पथपर बढ़ा सके। इसी समय "बम्बई प्रान्तीय-मारवाड़ी अग्रवाल पञ्चायत" नाम सुझाया गया जिसे बहुत लोगोंने पसन्द किया; किन्तु फिर यह प्रश्न उठा कि बम्बईमें श्री० ताराचन्द घनश्यामदासकी पञ्चायत पहलेसे ही मौजूद है, इसलिये उसका रुख देखे बिना नयी पञ्चायत बनाना ठीक न होगा, यदि वे ऐसे अधार्मिक कार्योंको रोकनेको तैयार न हों तो फिर पञ्चायत बनायी जाय। श्री० ताराचन्दजी घनश्यामदासके यहांका कोई प्रतिनिधि उपस्थित न था, अतः उनके यहां एवं अन्य दो-एक सज्जनों के यहां आदमी भेजे गये और कोई आध घण्टेतक कार्यवाही स्थगित रही। इसी समय श्री० ताराचन्दजी घनश्यामदास फर्मकी ओरसे श्री० गोविन्द-रामजी लोहिया, श्री० सेठ आनन्दीलालजी पोद्दार जे० पी०, महासभाके मन्त्री श्री० सेठ बेणीप्रसादजी डालमियां और श्री० बालकृष्ण लालजी पोद्दार भी आ पहुँचे और विचार विनिमय होने लगा।

प्रारम्भसे ही सेठ आनन्दीलालजी पोद्दारकी बातचीतका ढंग उत्तेजनापूर्ण था। आपने इस स्थानपर सभा बुलानेपर ही आपत्ति उठाई। जब उन्हें वस्तुस्थिति बतायी गयी तो वे कुछ चुप हुए। पंचायतका प्रश्न उपस्थित होनेपर श्री सेठ० शिवरामदासजी केड़ियाने कहा कि अब कुछ वर्षोंसे पंचायतसे चिट्ठ इत्यादिके सिवा कोई कार्य नहीं हो रहा है, पर जब हमने पंचायतके सामने अन्य विषय उपस्थित ही नहीं किये तो इसके लिये हम पंचायतको दोषी नहीं ठहरा सकते। इसलिये यह अच्छा होगा कि पुरानी-पंचायतको ही शक्तिशाली बनाया जाय। यह प्रस्ताव सभीको पसन्द था। ताराचन्दजी घनश्यामदास फर्मके श्री० गोविन्दरामजी लोहियाने भी इस सम्बन्धमें अनुकूलता प्रकट की और इस प्रश्नके तय हो जानेकी सम्भावना पैदा हो गयी थी किन्तु इसी समय श्री० सेठ आनन्दीलालजी पोद्दारकी ओरसे महासभाका नाम ले दिया गया। इसपर श्री० सेठ श्रीनिवासजी बजाजने कहा कि महासभाकी वर्त्तमान कार्य्यप्रणालीके कारण ही अलग संस्थाकी आवश्यकता अनुभव की जारही है। हम सब यह चाहते हैं और चाहते थे कि बम्बईमें दलबंदीका प्रसंग उपस्थित ही न हो। महासभाके बम्बई-स्थित कार्य्यकर्त्ताओंसे बातचीत करके यह तय हुआ था कि महासभाकी कार्यकरिणीकी बैठक बुलाकर विधवा-नाता निषेध और उसमें भाग लेनेवालोंके प्रति निन्दाका प्रस्ताव स्वीकृत करानेपर हमें कोई विरोध महासभासे न रहेगा। यह स्वीकार कर लिया गया था, जिसे आज लगभग २० दिन होते आये पर अभीतक इस ओर कोई कदम नहीं बढ़ाया गया। ऐसी दशामें महासभापर भरोसा रख सकना असम्भव है। इसके उत्तरमें एक सज्जनने कहा कि इस समझौतेको कार्यमें परिणत करनेका उद्योग हो रहा है। श्री. सेठ आनन्दीलालजी पोद्दारने भी खुले शब्दोंमें कहा कि हम विधवा नातेके विरुद्ध हैं, किन्तु महासभाकी ओरसे समझौतेकी शर्त पूरी करनेका प्रयत्न हो रहा है। इतना ही नहीं-मैं दावा करता हूँ कि जिनके आचरणपर आपत्ति की जाती है वे सभी कार्यकर्त्ता त्यागपत्र देकर अलग हो जायँगे।" इसपर कहा गया कि यदि ऐसा हो तो किसीको कोई आपत्ति न रहेगी। इसी समय सेठ आनन्दीलालजी पोद्दारने एक विचित्र शर्त पेश करते हुए कहा कि मैं अभी महासभाकी बैठकमेंसे आया हूँ;उन्होंने निश्चित किया है कि यदि सब लोग यह विश्वास दिलाएं कि हम सम्मिलित हो जायँगे तो हम विधवा-नाते की निन्दाका प्रस्ताव स्वीकार करनेको तैयार है। श्री० सेठ रामकुमारजी के यह पूछनेपर कि यदि वे न मानें तो, पोद्दारजीने कहा, कि मैं आपके

साथ शामिल होजाऊंगा और मानलें तो उन सबको आप महासभामें लानेका वचन दें जो इस समय उससे अलग हैं। इसपर उत्तर दिया गया कि यद्यपि स्पष्टतः विधवा-नातेकी निंदा कर देनेके पश्चात् हमें महा सभासे कोई विरोध न रहेगा और निस्सन्देह सब लोग उसे अपनायेंगे, पर यह बात उचित नहीं है कि एक ओर आप केवल अपनी जिम्मेवारी लें और दूसरी ओर एक से० रामकुमारजीसे सबको लानेका वचन चाहें। इसी समय एक दूसरे सज्जनने उनसे कुछ प्रश्न किया जो एक फर्ममें मुनीम थे, पर सेठ आनन्दीलालजीको उनसे प्रश्नोत्तर करना अच्छा मालूम न हुआ और आपने एकदम डाटकर कहा—"मत-बोलो—चुप रहो"

लोकमतका निर्णय।

इस प्रकार गर्मा-गर्मी और टाल-बाजीमें महासभाके संबन्धमें कोई बात निश्चित न हो सकी, अतः सभापतिकी आज्ञासे इस प्रश्नपर मत लिये गये कि जुदी संस्था बनानेकी आवश्यकता है या नहीं? इस प्रस्तावके पक्षमें सबने हाथ उठा दिये और बारबार पूछनेपर भी विरोधमें किसीने हाथ नहीं उठाया। जब यह लिखा जाने लगा कि सर्व-सम्मतिसे संस्था बनाना निश्चित हुआ तो सेठ आनन्दीलालजीने पुनः विरोध किया और कहा कि कुछ आदमी तटस्थ भी हो सकते हैं, अतः आप सर्व-सम्मतिसे स्वीकृत नहीं लिख सकते। तटस्थ-लोगोंको हाथ उठानेको कहा गया तो केवल तीन सज्जनोंने हाथ उठाये जिनमें एक सेठ आनन्दीलालजी पोद्दार भी थे। किन्तु इसी समय पोद्दारजीके इशारेपर ताराचन्दजी घन-श्यामदास फर्मके मुनीम श्री०गोविन्दरामजी लोहियाने आपत्ति उठाते हुए कहा कि हम तो यह समझे ही नहीं कि किस विषयपर मत लिये गये हैं? उनके सन्तोषके लिये श्री० सेठ शिवरामदासजी केड़ियाने सब बात पूर्णरूपसे खड़े होकर पुनः समझायी और फिर पक्ष, विपक्ष और तटस्थ जनोंके क्रमशः हाथ उठवाये गये। इस बारभी विरोधमें किसीने हाथ नहीं उठाया; हां तटस्थोंकी संख्यामें दोकी वृद्धि हो गयी जिनमें एक सेठ गोविन्दरामजी लोहिया, भी थे। इसप्रकार, सम्भवतः, पक्ष निर्बल देखकर श्री० सेठ आनन्दीलालजी पोद्दार बहुत उत्तेजित हो रहे थे। इसी समय जिन्हें आप पहले डाट चुके थे उन्हें आपने पुनः चुप रहनेका आदेश दिया जिसपर आपत्ति उठायी गयी तो आपने कहा कि "मैंने तो यह कहा है कि मुझसे मत बोलो।" इसके दो मिनट पश्चात् ही आपने उसी ओर हाथका सङ्केत करके कहा कि यह 'गुट्ट' बनाकर आये हैं। पोद्दारजीका यह रिमार्क स्वभावतः उन लोगोंको बुरा लगा और उन्होंने पोद्दारजीसे इस प्रकारके शब्द व्यवहार न करनेको कहा। इसपर सेठ आनन्दीलालजी पोद्दार क्रोधसे कांपते हुए खड़े हो गये और अपने लिये कुछ अपशब्द कहते हुए

सभास्थानसे चले गये । उन्हें रोकने और समझानेके प्रयत्न व्यर्थ हुए । उनके साथ ही श्री० बेणीप्रसादजी डालमियां, श्रीगोविन्दरामजी लोहिया, से० बालकृष्णलालजी पोद्दार एवं अन्य दो-तीन सज्जन भी उठकर चले गये।

सभाकी स्थापना और निर्वाचन ।

उनके चले जानेपर भी कार्यवाही जारी रही और सबकी सम्मति से निश्चित हुआ कि वर्त्तमान परिस्थितिमें जुदा-संगठन अत्यावश्यक है जिसका आधार केवल विरोध न होकर आत्मसुधार हो । तदनुसार निश्चित हुआ कि "सनातन धर्मावलम्बीय-मारवाड़ी-अग्रवालसभा" स्थापित की जाय । उसी समय सब उपस्थित सज्जन उसके सदस्य बन गये और पदाधिकारियोंका इस प्रकार निर्वाचन कर लिया गया ।

सभापति—सेठ केदारमलजी लढ़िया ।

उपसभापति-(१)रावसाहिब सेठ रंगनाथजी बजाज । (२) सेठ मुरलीधरजी चोखानी । (३) सेठ शिवचंद्ररायजी झुनझुनवाले ।

मंत्री-से० गङ्गाबख्शजी सराफ ।

उपमंत्री-(१)सेठ श्रीनिवासजी बजाज । (२) सेठ मुरलीधरजी झुनझुनुवाले।

कोषाध्यक्ष-श्रीरामकुमारजी शिवचंदराय ।

कार्यकारिणीके सदस्य ।

(१) सेठ गीतारामजी भिवानीवाले (२) सेठ रामकुमारजी शिवचंदराय (३) सेठ नंदलालजी बंका (४) सेठ नंदलालजी देवड़ा (४) सेठ भूधरमलजी सरावगी, (५) सेठ गोवर्धनदासजी केड़िया (५) सेठ बैजनाथजी नांगलिया (६) सेठ बाला बख्शजी पोद्दार (७) सेठ केशवदेवजी गनेड़ीवाले(८) सेठ रामजसरायजी टिबड़ेवाले (९) सेठ रामनारायणजी गोयन्का(१०) सेठ गुलराजजी डालमियां (११) सेठ रामवल्लभजी जगनानी (१२) सेठ शिमरामदासजी केड़िया (१३) सेठ रामकुमारजी हरलालका (१४) सेठ द्वारिकादासजी झुनझुनुवाला (१५) सेठ बंसीधरजी हरलालका (१६) सेठ किसनलालजी जालान (१७) सेठ मूंगालालजी गोयन्का (१८) सेठ भीमराजजी हरलालका (१९) सेठ सागरमलजी सरावगी (२०) सेठ रामेश्वरदासजी बगड़िया (२१) सेठ श्रीनारायणजी केड़िया । (२२) सेठ धूड़मलजी बजाज । उच्छृङ्खलता का विरोध करनेके लिये इस सभाकी स्थापना की गयी थी । प्रसन्नताकी बात है कि यह सभा अपने जन्म दिनसे लेकर अबतक बराबर दृढ़ता-पूर्वक कर्त्तव्य-पथपर स्थित है।

अग्रवाल हितैषीका जन्म ।

सभाकी ओरसे प्रचारकार्यके लिये २६ सितम्बरको "अग्रवाल हितैषी" साप्ताहिक पत्रको जन्म दिया गया जो जातिकी बराबर सेवा कर रहा है।

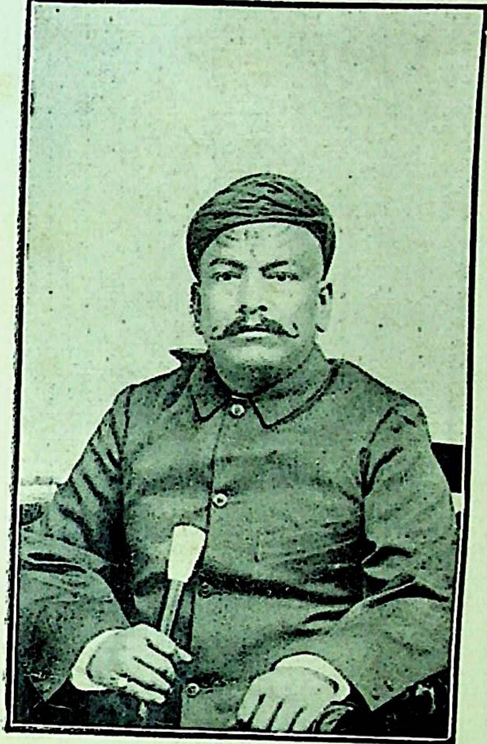
मा० अ० पञ्चायत बंबईके सभापति,



श्रीमान सेठ सुखानन्दजी सरावगी.



स० ध० मा० अ० सभाके सभापति.



बम्बई वालोंका प्रयत्न ।

कलकत्ते और बम्बईके वातावरणमें निश्चय ही महान अन्तर था। कलकत्तेके भाइयोंका जहां 'महासभा' से विश्वास एकदम जाता रहा था, वहां बम्बईके भाइयोंको यह आशा थी कि महासभाके भीतर रहते हुए उचित उपायोंसे 'महासभा' का सङ्कटापन्न जीवन सुरक्षित किया जा सकता है। कलकत्तेमें 'महासभाके विरोधियोंका ज़ोर था तो बम्बईमें पूर्वकथित समझौता-दलका ज़ोर था। यही समझौतादल श्रीसनातनधर्मावलम्बीय-मारवाड़ी-अग्रवाल-सभाके रूपमें अवतरित हुआ। इसीलिये सभा और उसका मुखपत्र "अग्रवाल हितैषी' "जहां महासभाको भङ्ग करने वालोंकी अथवा 'महासभा' को हेय समझनेवाले बहिष्कारवादियोंकी खबर लेते रहते थे वहां 'महासभा' के पदाधिकारियोंकी स्वेच्छाचारिताकी धज्जियां बखेरनेमें भी आगा पीछा नहीं सोचते थे। इस सभाने अन्ततक यही प्रयत्न किया कि महासभामें घरकर बैठी हुई स्वेच्छाचारिताको फूँक दिया जाय। महासभाको सुरक्षित बना लिया जाय। इसी सभाके आज्ञानुसार अथवा परामर्शसे 'महासभा'की कार्यकारिणीमें निम्नलिखित प्रस्ताव इसीलिये उपस्थित किया गया था जिससे महासभाके पदाधिकारियों एवम् उनकी स्वेच्छाचारिताके विरोधियोंमें जो परस्पर मनोमालिन्य बढ़ रहा था, वह नष्ट होकर 'महासभा' सुरक्षित हो जाय। वह प्रस्ताव ज्योंका त्यों यहां उद्धृत किया जाता है:—

प्रस्ताव ।

महासभाकी यह कार्य-कारिणी सभा विधवा-नाता,(घरबासा) अन्तर्जातीय-विवाह और अछूतोंके साथ खानपानको धर्मशास्त्रमर्यादा-विरुद्ध, समाजको रसातलमें पहुँचानेवाला, परमपूज्य श्रीअग्रसेन महाराजकी सन्तानको पतित व नाश करनेवाला, व्यभिचार आदि पाप कर्मोंको फैलानेवाला मानती है; अतः यह कार्यकारिणी ऐसे धर्म विरुद्ध नातोंका, (विवाहोंका) तथा खानपानका घोर विरोध करती हुई प्रस्ताव करती है कि ऐसे काम करने और करानेवाले भविष्यमें सभाके मेम्बर न समझे जायं और जातीय भाइयोंसे अनुरोध करती है कि इन लोगोंसे जातीय सम्बन्ध न रक्खा जाय।

उपर्युक्त प्रस्तावके अनुकुल तथा प्रतिकूल खूब गरमा-गरम भाषण हुए, कार्य-कारिणीका बहुमत प्रस्ताव के विरुद्धमें रहा। अन्तमें सेठ आनंदीलालजी पोद्दारने कहा कि—

यदि श्रीनिवासजी महासभासे लाभ समझते हैं तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि वह अपना प्रस्ताव वापिस लेलें और ऐसा प्रस्ताव रखें जिससे समझौता हो सके। सेठ आनंदीलालजी की इस अपीलके कारण पुनः निम्न लिखित प्रस्ताव कार्यकारिणीके सम्मुख रखा गयाः—

प्रस्ताव—

महासभाकी यह कार्य-कारिणी-सभा विधवा-नातेको. (विवाह) धर्म-शास्त्र-मर्यादा-विरुद्ध, समाजको रसातल पहुँचाने वाला, परमपूज्य श्रीअग्रसेन महाराजके सम्मानको पतित व नाश करनेवाला, व्यभिचार और पाप कर्मोंको फैलाने वाला मानती है; अतः यह कार्य-कारिणी ऐसे धर्म-विरुद्ध नातों(विवाहों)का घोर विरोध करती हुई प्रस्ताव करती हैं कि ऐसे विवाह(नाता) करने कराने वालोंसे किसी प्रकारका जातीय सम्बन्ध न रक्खा जाय।

इतना ही नहीं अपितु भारतवर्षके कोने कोनेसे इस आशयके सैकड़ों तार लगातार प्रधानमन्त्रीके नाम, बम्बईमें कार्यकारिणीकी बैठक होनेके २ दिन पूर्वसे आने शुरू हो गये थे जिनका स्पष्ट आशय यह था कि वर्तमान परिस्थितिको बिलकुल स्पष्ट कर दिया जाय। विधवानाता आदि बातें किसी भी जालमें नहीं रखी जांय, नहीं तो हम लोग महासभामें सम्मिलित न रह सकेंगे व महासभाका जीवन नष्टप्राय हो जायगा। पर इन महत्वपूर्ण तारोंको इसके अतिरिक्त और कुछ भी महत्व नहीं दिया गया कि वे Waste paper Basket (रद्दी कागज़ोंकी टोकरी) की शोभा बढावें। इस परिस्थितिमें उपरि लिखित प्रस्ताव यदि कार्यकारिणी स्वीकृत कर लेती तो यह निश्चित था कि समझौता-दल अथवा श्रीसनातनधर्मावलम्बीय—मारवाड़ी—अग्रवाल सभा, जाति-नाशक मनोमालिन्यका अन्त करनेमें सफल हो जाती पर महासभाकी कार्यकारिणीकी तर्ज़ही निराली है। जिस मारवाड़ी अग्रवाल जातिमें १००० में ९९९ महानुभाव विधवानाता, अस्पृश्य सहभोज,अन्तर्जातीय एवम् असवर्ण विवाह इत्यादिको पाप समझकर उन्हें घोर घृणासे देखते हैं और उस पापके करने और करानेवालोंके साथ किसी प्रकारका जातीय सम्बन्ध नहीं रखना चाहते, उसी मारवाड़ी अग्रवाल जातिकी 'महासभा' के अधिकांश सदस्य इस पापकर्मके प्रति या तो उदासीन बनते हैं अथवा जनता-जनार्दनके संतोषार्थ ऐसे गोलमोल प्रस्तावोंकी घोषणा करते हैं, जिनसे प्रक्षुब्ध लोकमत को चकमा दिया जा सके। इसीलिये उपर्युक्त प्रस्ताव की आवाज कार्यकारिणीके नक्कारखानेमें तूतीकी आवाज़ सिद्ध हुई और कार्यकारिणीने एक ऐसे प्रस्ताव को स्वीकृत किया जिससे विरोधियोंको तो क्या संतोष होता समझौता चाहनेवाले और उसके लिये सक्रिय प्रयत्न करनेवाले

सनातनी भाइयोंको भी सतोष न हो सका। परिणामतः 'महासभा-सुधार' के लिये महासभाके हितैषियोंने श्रीसनातनधर्मावलम्बीय-मारवाड़ी-अग्रवाल सभाके तत्त्वावधानमें पृथक् आन्दोलन आरम्भ कर दिया। श्री० स० ध० मा० अ० सभाने दोनों दलोंको मिलानेकी अन्ततक चेष्टाकी। सभाकी कार्य दिशा ज्ञात करानेके लिये 'सभा' के कुछ प्रस्ताव (सर्व सम्मतिसे स्वीकृत प्रस्ताव)यहाँ उद्धृत किये जाते हैं। इन प्रस्तावोंसे यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि श्रीसनातनधर्मावलम्बीय मारवाड़ी-अग्रवालसभा 'महा-सभा' के हितैषियोंकी सभा थी, न कि उसके विरोधियोंकी। अब प्रस्तावों को पढ़िये।

(१) प्रत्येक भाईका कर्तव्य होगा कि-अग्रवाल वंशभूषण महाराज श्रीअग्रसेनजीकी जयन्ती प्रति वर्ष-आश्विन शुक्ला प्रतिपदाको उत्साहसे मनावें एवं श्रीअग्रोहेके जीर्णोद्धारके लिये तन-मन-धनसे सहायता करें।

(२) यह सभा सगाई तथा विवाह सम्बन्धी कार्योंमें निम्न लिखित सुधारोंको आवश्यक समझती हुई प्रस्ताव करती है कि समस्त अग्रवाल भाई इन सुधारोंके अनुसार सब कार्य किया करें-

(क) सगाई करते समय वर और कन्याके स्वास्थ्य और योग्यता पर विशेष ध्यान रखें।

(ख) कन्यासे वरकी आयु कमसे कम ४ वर्ष अधिक होनी चाहिये

(ग) विवाहके समय वर की आयु १६ वर्षकी हो।

(घ) कन्याकी आयु विवाहके समय १२ वर्षकी हो। जिस भाईके प्रथम कन्या होनेके कारण १२ वें वर्षमें विवाह करनेमें आपत्ति आती हो या शास्त्रा-नुकूल और अंडासके कारण १२ वर्षके पूर्व कोई अपनी कन्याका विवाह करना चाहता हो तो स्थानीय पंचायतकी आज्ञा लेकर कर सकता है।

(३) यह सभा निम्न लिखित विवाहोंको समाजके लिये हानिकारक समझती हुई घृणाकी दृष्टिसे देखती है तथा जाति भाइयोंसे अनुरोध करती है. कि ऐसे विवाह करनेवालोंसे किसी प्रकारका जातिव्यवहार न करें तथा हर एक प्रकारसे ऐसे विवाहोंको रोकनेका प्रबन्ध करें:-

(क) जिस विवाहमें कन्याका क्रय विक्रय हो।

(ख) एक स्त्रीके जीवित रहते यदि कोई दूसरा विवाह करे।

(४) यह सभा वृद्ध-विवाहको हानिकारक समझती हुई घृणाकी दृष्टिसे देखती है और जातिभाइयोंसे अनुरोध करती है कि कोई भाई ४० वर्षके पश्चात् विवाह कदापि न करें। करनेवालेको कोई सहयोग न दिया जाय और प्रत्येक उपाय द्वारा उसे रोकनेका प्रयत्न किया जाय।

(५) समाजमें कुछ धर्मभ्रष्ट, नास्तिक, उच्छृंखल व्यक्तियों द्वारा विधवानाता (घरवासा) करानेकी चेष्टाएं की जा रही है; ऐसा नाता

धर्मविरुद्ध, समाजको रसातलमें पहुँचानेवाला, परमपूज्य श्रीअग्रसेनकी सन्तानको पतित करनेवाला, व्यभिचार आदि पापकर्मोंका फैलानेवाला है अतः यह सभा ऐसे धर्मविरुद्ध नातोंका घोर विरोध करती है और निश्चित करती है कि विधवानाता करने व करानेवालोंके साथ रोटी बेटीका सम्बन्ध न रखा जाय।

(६) कुछ व्यक्तियों द्वारा असवर्ण तथा अन्तर्जातीय विवाह समाजमें प्रचलित करनेका उद्योग किया जा रहा है, ऐसे विवाहको यह सभा धर्मविरुद्ध और वंशपरंपरागत-मर्यादानाशक समझती हुई प्रस्ताव करती है कि ऐसे विवाह करनेवालोंसे रोटी बेटीका सम्बन्ध न रखा जाय।

(७) इस समय शास्त्रमर्यादाके विरुद्ध अछूतोंके साथ खान-पान आदिका सम्बन्ध करते हुए--वर्णव्यवस्थाको नष्ट भ्रष्ट करनेका उद्योग किया जा रहा है अतः यह सभा उसको अत्यन्त घृणाकी दृष्टिसे देखते हुए प्रस्ताव करती है कि अस्पृश्य जातियोंके साथ खान-पान करनेवालोंसे रोटी बेटीका सम्बन्ध न रखा जाय।

(८) ९ दिसम्बर १९२५ को अग्रोहाके मुसलमानोंने पंजाब सरकारसे अग्रोहा खोदनेकी आज्ञा प्राप्त कर ली थी, परन्तु अग्रोहा तथा हिसारके भाइयोंने इसकी अपील वाइसरायसे की और सन् १९०४ के प्राचीन स्मृति-संरक्षक कानूनके अनुसार श्रीमान् वायसरायने अग्रोहाको पुरानी स्मृति-सूचक इमारत स्वीकार कर लिया तथा हिसारके जिला मेजिस्ट्रेटने आज्ञा निकाल दी कि जो कोई अग्रोहेको खोदेगा उसको ५०००)रु० तक जुर्मानेका दण्ड दिया जायगा। यह सभा अपने हिसारके भाइयोंकी इस सफलतापर प्रसन्नता प्रकट करती है और श्रीमान् वायसरायका धन्यवाद करती है जिन्होंने उक्त आज्ञा द्वारा अग्रोहेकी रक्षा की।

समझौता दलके उद्योग करनेपर भी महासभावादियोंने अपना किसी प्रकार संशोधन करना उचित न समझा। महासभाका मुखपत्र पञ्चायतके विरुद्ध तो पहलेसे ही भ्रम फैला रहा था, अब उसने समझौतादलपर भी उसी नीतिका प्रयोग आरम्भ कर दिया। जब कभी लोकमतके अनुकूल समझौतेका अवसर उपस्थित हुआ, तभी महासभाके पदाधिकारियोंने व्यक्तिगत विचारस्वातन्त्र्य और विधि-विधानके नामपर अवसरकी उपेक्षा कर दी। सारडा बिलका समर्थन इसी बातका साक्षी है। यद्यपि समझौता दलके कुछ महानुभाव महासभाके पदाधिकारियोंके स्वेच्छाचरणसे उत्तेजित हो जाते थे तथापि उनकी रोकथामके लिये समझौता दलके अग्रगण्य महानुभाव भले प्रकार समर्थ सिद्ध हुए, यह प्रसन्नताकी बात है।

इसी बीचमें एक और घटना हो गयी। गत वर्ष 'जानकी' के नातेने समाजमें भयानक खलबली मचा दी थी। इस वर्ष कानपुरके बा० नवल-

सनातन धर्मावलंबीय मारवाड़ी अग्रवाल-सभाके उपसभापति.



बाबू शिवचन्द्रायजी झुंझुनूवाले.

किशोरजी भरतियाने एक विधवासे नाता कर प्रक्षुब्ध लोकमतको और भी अधिक प्रक्षुब्ध बना दिया। इस नातेके सम्बन्धमें महासभाने जिस नीतिका अनुसरण किया वह महासभाके कार्यकर्त्ताओंकी मनोवृत्तिका भलेप्रकार परिचय देनेमें समर्थ है। इस नातेमें भी व्यक्तिगत विचारस्वातन्त्र्य तथा विधि-विधानका मखौल उड़ानेमें भले मानुसोंने कमी न रहने दी। इस नातेमें भी महासभाके कितने ही पदाधिकारी सम्मिलित थे। इस नातेने आगको और धधका दिया। महासभावादियोंकी ओरसे इस प्रकारकी मिलती जुलती घटनाएं बहुधा हुआ करती थीं।

भरतिया नाता–विरोध।

भरतियाजीके नातेके सम्बन्धमें अपनी सफ़ाई पेश करनेके लिये मारवाड़ी अग्रवाल महासभाकी ओरसे एक सभा स्थानीय मारवाड़ी सम्मेलनमें आयोजित की गयी। इस सभाके सभापति श्रीयुत बालकृष्णलालजी पोद्दार थे। महासभाकी ओरसे विधवानाता विरोधके लिये सभा बुलाया जाना एक ऐसी बात थी जिसने जातिके बहु संख्यक महानुभावोंको खींच बुलाया। इस विवादग्रस्त प्रश्नपर ढाई तीन घंटेतक वाद–विवाद होता रहा और समय बहुत हो जानेके कारण तथा जातिके बहुसंख्यक महानुभावोंको स्थानाभावके कारण वापिस लौट आना पड़ा, इसलिये सभामें निश्चय हुआ कि सभा स्थगित करके मारवाड़ी विद्यालयके विशाल हालमें, फिरसे बुलायी जाय। इस निश्चयके अनुसार मारवाड़ी विद्यालयमें सभा बुलायी गयी। समयसे पहले ही हाल ठसाठस भर गया था। जैसे जैसे समय निकलने लगा लोगोंकी उत्सुकता बढ़ने लगी। नियत समय निकल जानेके बाद लोग कार्यवाही शुरू करनेके सम्बन्धमें जोर देने लगे। उपस्थित जनताके जोर देनेपर कार्यवाही शुरू की गयी। महासभाके महामंत्री बा० वेणीप्रसादजी डालमियांने प्रस्ताव किया कि सभापतिका आसन बा० वृद्धिचन्द्रजी पोद्दार ग्रहण करें। महामन्त्रीजीके प्रस्तावका अनुमोदन सेठ शिवरामदासजी केड़ियाने किया। पर किसी कारणवश बा०वृद्धिचन्द्रजी पोद्दारने सभापति बनना स्वीकार नहीं किया। इसपर सेठ नंदलालजी बंकाने इस पदके लिये सेठ शिवरामदासजी केड़ियाका नाम पेश किया। बा० मुरलीधरजी झुनझुनवालेने सेठ नंदलालजी बंकाके प्रस्तावका अनुमोदन किया। पर उचित रूपसे प्रस्तावका अनुमोदन और समर्थन हो जानेपर भी महासभाके मन्त्री बा० वेणीप्रसादजीने सेठ शिवरामदासजीको सभापति बनानेका विरोध किया। शायद ऐसा करनेका कारण यह रहा हो कि सेठ शिवरामदास केडिया दृढ़ विचारके सनातन धर्मी प्रसिद्ध हैं। अस्तु; मन्त्रीजीसे कहा गया कि आप बिल्कुल अवैध

कार्यवाही कर रहे हैं। फिर भी यदि आप इस प्रस्तावकी स्वीकृतिके विषयमें शङ्का रखते हों तो उपस्थित जनताका मत लेकर देख लीजिये। किन्तु इस बातका उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने मत लेना स्वीकार नहीं किया। अंतमें किसी प्रकार टेलीफोन आदिके द्वारा सुधारक कहे जानेवाले दलने बाबू बालकृष्णलालजी पोद्दारको सभामें बुला लिया। पर उसके पूर्व ही बहुमतसे सेठ शिवरामदासजी केड़िया सभापति चुने जा चुके थे; फिर भी बा० बालकृष्णलालजी पोद्दार आते ही सभापतिके आसनपर जा विराजे, इसका यथेष्ट विरोध हुआ। इसपर वोट लेना महामन्त्रीजीने अस्वीकार कर दिया।

अन्तमें हो हुल्लड़ मचाकर महासभाके महामन्त्री बा० बेणीप्रसादजी डायमियाँ और बा० बालकृष्णलालजी पोद्दार सभास्थलसे चलते बने। देखिये! बहुमतसे महासभाके पदाधिकारी कैसी बगावत करते हैं। पश्चात उसी सभामें सेठ श्री शिवरामदासजी केड़ियाके सभापतित्वमें दो प्रस्ताव स्वीकृत हुए।

प्रस्ताव नं० १

यह सभा विधवानातेको घोर घृणाकी दृष्टिसे देखती है और उसे जातिके लिये अत्यंत हानिकारक समझती हुई जातिभाइयोंसे अनुरोध करती है कि कानपुर निवासी नवलकिशोर भरतिया जो विधवा विवाह कर रहे हैं, उसे हरएक उपाय द्वारा रोकनेका प्रयत्न करें। यदि वे किसी भी तरह न मानें और इस घृणित कार्यको कर ही लें तो उनसे जातीय सम्बन्ध न रखा जाय।

प्रस्ताव नं० २

इस सभाकी रायमें कानपुरमें होनेवाले विधवानातेको महासभाके पत्रों व कुछ अधिकारी गणोंकी तरफ़से आश्वासन व प्रोत्साहन मिला है अतः यह सभा उन अधिकारी गणोंको दोष देती है और उन्हें सावधान करती है कि महासभाके कार्यकर्त्ता रहते हुए भविष्यमें ऐसा काम कदापि न करें।

उपर्युक्त प्रस्ताव सर्व-सम्मतिसे स्वीकृत हो गये।

पुरानी पञ्चायत।

कानपुर और कलकत्तेकी आंधीका असर बंबईमें भी प्रकट होनेकी संभावना पैदा हो गयी; फलतः कुछ दिन बाद ही यह खबर उड़ने लगी कि इसी प्रकारके पापमूलक कार्य बंबईमें भी महासभावादियों द्वारा रचाये जानेवाले हैं। जब इस प्रकारकी अफवाहें जोर बांधने लगी और

सेठ शिवरामदासजी केडिया.



आपहीने मारवाडी विद्यालयमें सभापतिकी अनुपस्थितिमें सभापति बन विजय प्राप्त की थी। सनातनधर्मावलंबीय मारवाडी अग्रवाल सभा एवं पंचायतके विशेषाधिवेशनको सफल बनानेमें विशेष सहायता दी है.

दूषित परिस्थितिके कारण गड़बड़ हो जानेकी संभावना सी पैदा हो गयी तो यह उचित समझा गया कि इस लहरको रोका जाय । अतः खूब सोचकर स्थानीय ६५ मारवाड़ी अग्रवाल बन्धुओंने श्रीमान् ताराचन्दजी घनश्यामदासके पास विधवानाता तथा अस्पृश्य-सहभोज करने और करानेवालोंके आचरणपर विचार करनेको एक पत्र भेजा। तदनुसार सरपञ्चजीने पञ्चायतकी आयोजना की । इस पंचायतके विषयमें इतना कह देना पर्याप्त होगा कि इस विशाल पंचायतमें प्रायः सभी जातीय बन्धु उपस्थित थे । उपस्थिति लगभग एक हजारसे ऊपर थी । इतनी पुष्कल उपस्थिति इस दिनके पहले किसी भी पंचायतमें नहीं हुई थी । पञ्चायत इकट्ठी हुई और जब यह देखा गया कि पञ्चायतमें सभी बातें सनातानियोंके अनुकूल सिद्ध होती जा रही हैं तो निम्नलिखित प्रथम चार व्यक्तियोंने महासभाकी सफलताके लिये समझौता करानेका प्रयत्न किया । सनातनी महानुभाव भी ऐसे समझौतेके कभी विरुद्ध नहीं थे जिसमें धर्म और समाज-की मर्यादापर हर्फ न आये। अतः वे भी समझौतेकी बात-चीतके लिये राजी हो गये । पंचायतकी बैठकमें जो लोग समझौतेके लिये प्रयत्नशील थे उनके नाम इस प्रकार हैं

(१) बा० बालकृष्णलालजी पोद्दारकी फर्मके मुनीम सेठ गोविन्द-रामजी लोहिया ।

(२) बा० बेनीप्रसादजी डालमियांकी फर्म (मामराज रामभगत) के मुनीम सेठ लच्छीरामजी बजाज ।

(३) सेठ आनन्दीलालजी पोद्दार ।

(४) सेठ दुर्गादत्तजी सांवलका ।

(५) सेठ नन्दलालजी बंका ।

(६) सेठ शिवरामदासजी केड़िया ।

(७) सेठ गङ्गाबख्शजी सराफ ।

(८) सेठ शिवचन्दरायजी झुन्झुनुवाला ।

(९) सेठ श्रीनिवासजी बजाज

पर उसी समय यह प्रश्न उठा कि समझौता किससे किया जाय ? जिन लोगोंसे समझौतेकी बात चीत होसकतीं थी, उनमें से कोई वहां उप-स्थित न था । श्रीताराचन्दजी घनश्यामदास (सरपंच) फार्मके मालिक बाल-कृष्णलालजी पोद्दार पंचायतमें स्वयम् उपस्थित नहीं थे वरना इनके मुनीमजी उपस्थित थे सारांश यह कि थोड़ी देरतक बाद विवादानंतर निश्चित हुआ कि बा० बालकृष्णलालजी (महासभाके स्वागताध्यक्ष) और बा० बेणीप्रसादजी डालमियां (महासभाके महामन्त्री) को उनके

मुनीम अपने तौर पर आदमी भेजकर बुलवा लेवें। तदनुसार बुलावा भेजने पर ये दोनों सज्जन पंचायतमें उपस्थित हुए। निजी तौर पर और खुले रूपमें कुछ देरतक वाद विवाद और परामर्श होता रहा। अन्तमें पञ्चायतका जो निर्णय हुआ वह इस प्रकार हैः—

बम्बई की पञ्चायत का निर्णय।

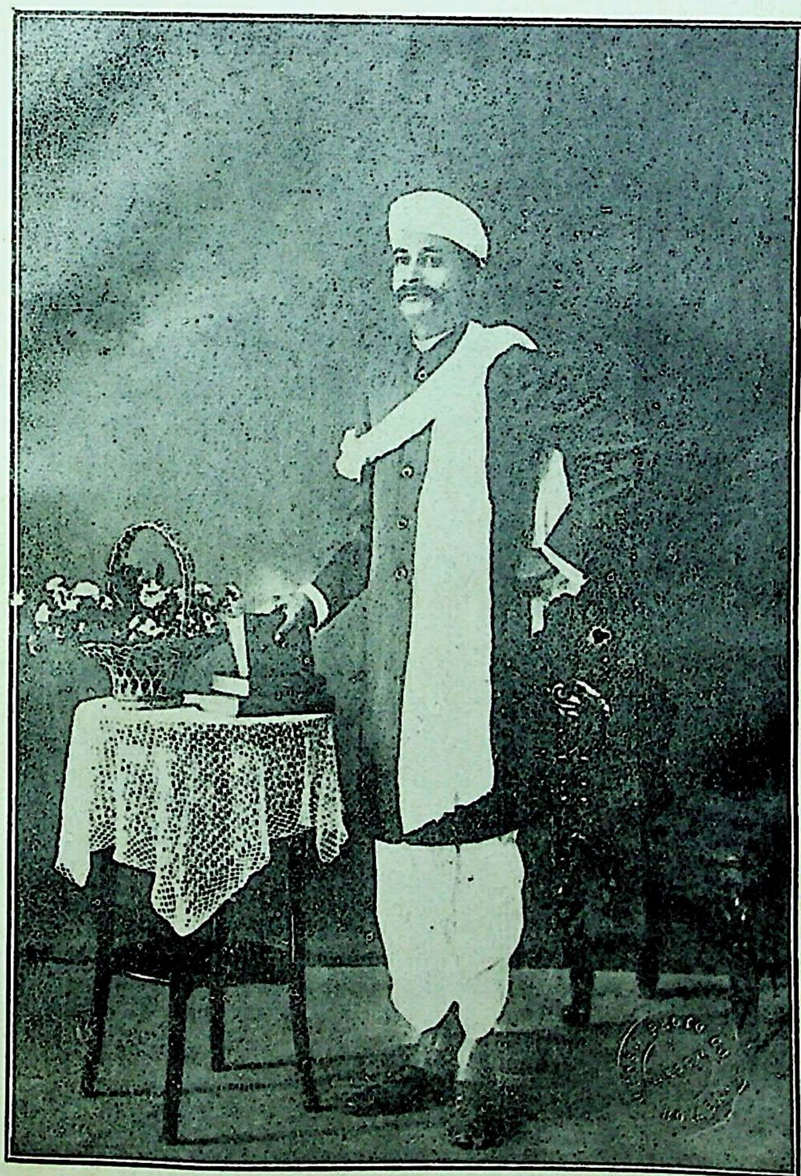
"स्थानीय मारवाड़ी अग्रवालोंकी पंचायत रविवार ता० २६ फरवरी १९२८को दिनके २ बजेसे स्थानीय पंचायतवाड़ीमें एकत्रित हुई थी। मारवाड़ी भाई बड़ी संख्यामें उपस्थित थे। अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी अग्रवाल महासभाके कार्यकर्त्ता लोग उपस्थित नहीं थे।

"आरंभमें सरपंच सेठ ताराचंदजी घनश्यामदासकी ओरसे मुनीम श्री गोविंदरामजी लोहियाने उपस्थित भाइयोंको पंचायत एकत्र करनेका उद्देश्य समझाते हुए कहा कि ६५ भाइयोंके हस्ताक्षरसे एक पत्र हमारे पास ता० ५-२-२८ का लिखा हुआ आया है, जिसमें लिखा है कि "इस समय जातिमें कई मनुष्य वंशपरंपरा-गत व्यवहारोंमें तथा महाराज श्री अग्रसेनजी की संतानोंमें धर्मविरुद्ध, यानी विधवानाता तथा अछूतोंके साथ खान-पान आदिका, प्रचार कर समाज और धर्मको डुबा देना चाहते हैं, अतः इन मनुष्योंके बारेमें अपनी जातीय पंचायत बुलवाकर विचार करना अत्यंत आवश्यकीय होगया है।

"इस पत्रपर विचार करनेके लिये पत्रमें हस्ताक्षर करनेवाले भाइयोंकी इच्छानुसार यह पंचायत एकत्र की गयी है। अब आप लोग जैसा उचित समझें विचार कर सकते हैं।

"इसके पश्चात् श्रीनिवासजी बजाजने कहा कि सर्व प्रथम विधवा नातेके प्रश्नपर विचार करना चाहिये। अन्य भाइयोंने भी विधवा नातेके प्रश्नपर एवं समाजमें फैले हुए वर्तमान मनोमालिन्यपर अपने विचार प्रगट किये। इसके उपरांत खास २ व्यक्तियोंने अलग बैठकर, किस प्रकार वर्तमान दूषित वातावरण ठीक होजाय, इसपर विचार प्रकट किया। यह आवश्यक समझा गया कि किसी भी प्रकारके उचित निर्णयपर आनेसे पूर्व श्रीयुत बालकृष्णलालजी पोद्दार तथा श्रीयुत बेणीप्रसादजी डालमियांको बुलाया जाय। थोड़ी देरके बाद उक्त दोनों सज्जनोंके आजानेपर खास २ सज्जनोंके बीच परामर्शके बाद निम्नलिखित निर्णय खुली पंचायतमें घोषित किया गया जो सर्वानुमतिसे स्वीकृत किया गया।

सनातन धर्मावलंबीय मारवाड़ी अग्रवालसभाके प्रधान-मंत्री.



बाबू गंगाबकसजी सराफ.

(१) विधवा विवाह करनेवालोंका (जो पहले कर चुके हों व भविष्यमें करें) यह पंचायत जाति बहिष्कार करती है ॥

[नोट—श्री बेणी प्रसादजी डालमियां तथा श्री बालकृष्णलालजी पोद्दारने परामर्शके समय कहा कि हम लोग विधवा—विवाहके विरुद्ध हैं, पर यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम लोग व्यक्तिगत रूपसे बहिष्कार नीतिके भी सर्वथा विरुद्ध हैं, परन्तु पञ्चायतका निर्णय हमें मान्य होगा.]

(२) श्री बेणीप्रसादजी डालमियांने कहा कि महासभाकी स्वागतकारिणी द्वारा यह घोषित करा दिया जायगा कि प्रत्येक मारवाड़ी अग्रवाल जिसका भारतवर्ष भरके बीसे अग्रवालोंसे परस्पर सम्बन्ध होता हो, महासभाका सदस्य फार्म तथा प्रतिनिधि फार्म भर देनेपर महासभामें प्रतिनिधि रूपसे सम्मिलित हो सकेगा, अर्थात कोई भी भाई जो महासभामें सम्मिलित होना चाहेगा महासभाके पंडालके द्वारपर सभासदका फार्म तथा प्रतिनिधि फार्मपर सही कर देनेपर प्रतिनिधि रूपसे महासभामें सम्मिलित हो सकेगा। इसपर सब भाइयोंने महासभामें सम्मिलित होनेके लिये उत्साह प्रगट किया।

(३) यह घोषित किया गया कि आगामी महासभाके अधिवेशनके सभापतित्वके लिये श्रीयुत गौरीशङ्करजी गोयनकासे प्रार्थना की जाय।

(४) यह घोषित किया गया कि किसी प्रकारकी भी गन्दी नोटिसबाजीका समाजमें प्रचार न किया जाय। यदि कोई भाई ऐसा करेगा तो उसका पञ्चायत विचार करेगी।

ता० २८—२—२८ पञ्चायतकी आज्ञासे—

बम्बई. **ताराचन्द घनश्यामदास।**

नोट—पञ्चायतके निर्णयके नोटमें बा० बालकृष्णलालजी पोद्दार एवं बा० बेणीप्रसादजी डालमियांके व्यक्तिगत मतका भी उल्लेख किया गया है। यानी उन्होंने पञ्चायतमें यह कहा था कि "यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कि हम लोग व्यक्तिगत रूपसे बहिष्कार नीतिके सर्वथा विरुद्ध हैं।" क्या उनका यह कथन सत्य था ? नहीं ! पर बात विशेष ध्यान देनेकी है कि रामगढ़के श्री जयदेयजी गोयनकाको हालहींमें खुद बा. बालकृष्णलालजी पोद्दारनेही जातिबहिष्कृत करवाया है। एक जगह आप क्रियात्मक रूपसे बहिष्कार करते हैं और दूसरी ओर जाति बहिष्कारको अपनी नीतिके विरुद्ध बताते हैं ? क्या यह जनताकी आँखमें धूल झोकना नहीं है ?

सनातनीपक्षने इस समझौतेका अच्छा स्वागत किया और उनकी ओरसे विरोध की कोई आवाज नहीं उठायी गयी ! "अग्रवाल हितैषी" ने भी समझौतेका समर्थन किया। बम्बईसे बाहरके अनेक भाईयोंने इस समझौतेको सन्देहकी दृष्टिसे देखा, उन्होंने बम्बईके सनातनियोंको लिखा कि कलकत्तेके अधिवेशनके समय जिस प्रकार यहांके सनातनधर्मियोंको समझौतेके नामपर धोका दिया गया था, उसीप्रकार बम्बई निवासी सनातनधर्मियोंको झांसा दिया जा रहा है। पर बम्बई निवासी सनातनधर्मियों ने बारबार उन्हें यही लिखा कि आप लोग बहुत अधिक सन्देह से काम ले रहे हैं-एक बार दूधसे दग्ध हो चुकनेके कारण छाछको भी फूंक फूंक कर पीना चाहते हैं।

एक और समझौतेका इस प्रकार स्वागत किया गया और दूसरी ओर महासभाके मुखपत्रने विरोधभाव बढ़ानेके लिये समझौतेके विरुद्ध भाव फैलाना आरम्भ कर दिया।

इस निर्णयका महासभाके मुखपत्रने जो अर्थ लगाया है वह भी अवलोकनार्थ यहां दिया जाता है। इससे यह भले प्रकार समझमें आ जायगा कि महासभाने किस ज्ञानशून्य हृदयसे पञ्चायतके निर्णयका स्वागत किया था

बम्बईकी पुश्तैनी पंचायत।

"स्थानीय पैंसठ अग्रवाल भाइयों द्वारा एक पत्र कुछ दिन पूर्व मारवाड़ी अग्रवाल समाजकी पुश्तैनी पंचायतके सरपंच श्रीयुत सेठ ताराचंदजी घनश्यामदासके पास भेजा गया था। पत्र भेजनेवालोंने सरपंचजी से यह प्रार्थना की थी कि अग्रवाल समाजमें इस समय कुछ लोग समाज की परम्परागत प्रथाके विरुद्ध विधवा-विवाह प्रचार, एवं स्पर्शास्पर्शके भेदको हटा देनेको अग्रसर हो रहे हैं अतएव उनका बहिष्कार करनेके सम्बन्धमें विचार करनेके लिये बम्बई निवासी भाइयोंकी एक जातीय पंचायत बुलायी जाय।

"तदनुसार सेठ ताराचन्दजी घनश्यामदासने गत रविवारको स्थानीय पंचायतवाड़ीमें उक्त पंचायतको एकत्र किया था। पंचायतमें जो कारवाई हुई उसकी सूचना हमें सेठ ताराचन्दजी घनश्यामदास द्वारा प्रकाशनार्थ प्राप्त हुई है। जो अन्यत्र प्रकाशित की जा रही है। उक्त सूचनास हमें जो महत्त्वपूर्ण बातें मालूम हुई हैं वे ये हैं:--

"(१) बम्बइ पंचायतने विधवा-विवाह करनेवालोंका बहिष्कार किया है, परन्तु विधवा-विवाहसे सहानुभूति रखनेवालोंके सम्बन्धमें कुछ भी करना उचित नहीं समझा है, अर्थात् कलकत्तेकी सनातनी पंचायतने इस

कारणसे जिन भाइयोंका बहिष्कार किया था, इस पंचायतने उस निर्णयको अस्वीकार कर दिया।

"(२) छुआछूतका भेद न माननेवालोंके सम्बन्धमें पंचायतने कुछ भी करना उचित नहीं समझा।

"(३) सनातनी पंचायत दलके जो भाई अभीतक महासभामें सम्मिलित नहीं होना चाहते थे अब महाधिवेशनमें सभासद एवं प्रतिनिधि बनकर सम्मिलित होंगे।

"(४) महासभामें प्रत्येक विचारके अग्रवाल भाईको सम्मिलित होनेका जो बे-रोकटोक अधिकार है उसके माननेमें सनातनी पञ्चायत दलके जो भाई अबतक आपत्ति करते थे, अब न करेंगे; अर्थात् महासभाके नियमोंको मानेंगे।

"(५) महासभाकी स्वागतसमिति श्री. गौरीशंकरजी गोयनकाको आगामी अधिवेशनका सभापति निर्वाचित करनेका विचार कर रही है, इसका समर्थन सब भाइयोंने किया।

"(६) गंदी नोटिसबाजी रोकी जावे, यह निश्चय हुआ।

"(७) महासभाके कार्यकर्त्ता पंचायतकी इस बैठकमें सम्मिलित नहीं हुए, केवल श्री बालकृष्णलालजी पोद्दार एवं श्री बेणीप्रसादजी डालमियां पंचायत द्वारा विशेष रूपसे निमंत्रित किये जानेपर पीछेसे सम्मिलित हुए थे।

"पंचायतके निर्णयको पढ़नेके बाद बहिष्कारके अतिरिक्त हमें किसी अन्य बातपर विशेष असंतोष नहीं है। विधवा-विवाहके सम्बन्धमें महासभाकी नीति स्पष्ट है। कार्यकारिणी उसे घृणास्पद मान चुकी है, परन्तु कार्यकारिणीने बहिष्कारको कभी स्वीकार नहीं किया। हमारी रायमें पंचायतने बहिष्कार-नीति अख्तियार कर बड़ी गलती की है। बहिष्कारका बुरा फल आज हमारे सामने प्रत्यक्ष है। समाजकी वर्तमान फूट उसीका परिणाम है। फिर भी कुछ भाई इसी नीतिके सहारे समाजको बचाना चाहते हैं, यह खेदजनक है। परन्तु हमें यह जानकर सन्तोष हुआ है कि महासभाके कार्यकर्ताओंने उसके स्वीकार किये जानेमें किसी प्रकारका सहयोग नहीं दिया। श्री पोद्दारजी एवं श्री डालमियांजीने अपने सिद्धांतोंको स्पष्ट करने और बहिष्कार-नीतिका विरोध करनेके बाद समाजमें किसी प्रकार शान्ति स्थापित हो जाय इसी उद्देश्यसे केवल व्यक्तिगत रूपसे पंचायतके बहुमतको मान लिया है। वे अपने सिद्धान्तोंके अनुसार जनताका विचार परिवर्तन करनेके लिये प्रयत्न करेंगे; पर हम

यहां स्पष्टरूपसे यह कह देना चाहते हैं कि श्री बेणीप्रसादजी या श्री बालकृष्णलालजी यदि पंचायतके बहुमतके आदरार्थ कुछ मान लें तो उनका मत महासभाका मत नहीं हो सकता और उसके लिये महासभा जिम्मेदार नहीं है। महासभा अब भी उसी प्रकार बहिष्कार-नीतिका तीव्र विरोध करेगी।

"अन्य बातोंमें पंचायतमें सम्मिलित होनेवाले भाइयोंने बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य किया है। इसके लिये वे हमारी बधाईके पात्र हैं। कलकत्तेके पंचायतवादी भाइयोंने १२ सज्जनोंके बहिष्कार करनेका ढकोसला रचकर भारी भूल की थी। परन्तु बम्बईके भाइयोंकी यह समझदारी है कि वे कलकत्तेवालोंके चंगुलमें नहीं फँसे।

"छुआछूत या अन्य किसी प्रश्नपर किसीका बहिष्कार करना इस समय असम्भव है। छूतका किसी न किसी रूपमें सब विरोध करते हैं। पंचायतने छुआछूतका प्रश्न छोड़कर अच्छा ही किया। यदि वह विधवा-विवाहके प्रश्नपर भी इसी उदारतासे काम लेती तो बड़ा उत्तम होता।

"महासभामें प्रत्येक दलके भाई सम्मिलित हों, यह तो स्वयं महासभाके कार्यकर्ता चाहते थे। केवल मतभेद नियम पालनके ही सम्बन्धमें था। महासभाके कार्यकर्ता तो सर्वथा नियमोंका पालन करनेको बाध्य हैं परन्तु हर्ष है कि पंचायतवादी भाइयोंने नियमानुसार सदस्य बन महासभामें सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया है।

"पंचायतके निर्णयमें सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि पंचायतवादी जो अबतक यह मानते थे 'कि अमुक प्रकारके लोग ही महासभामें आवेंगे तभी वे सम्मिलित होंगे, नहीं तो वे सम्मिलित न होंगे' यह मिथ्या हठ उन्होंने छोड़ दिया। पंचायत वादियोंने इस विचार-संकीर्णताको हटाकर बहुत ही विचारशीलता और समझदारीका परिचय दिया है। महासभाके आरम्भसे ही यह मतभेद कुछ लोगोंमें चला आ रहा है। महासभाके जन्मदाता सेठ जमनालालजी बजाज जब महासभाकी स्थापनाके पूर्व कलकत्तेके भाइयोंकी सहानुभूति प्राप्त करने गये थे तब सबसे बड़ी बाधा जो कुछ भाइयोंने महासभामें सम्मिलित होनेमें बतलायी थी यही थी कि अमुक लोगोंके होते हुए हम महासभामें न आवेंगे। वही हठ किसी न किसी रूपमें अबतक चला आ रहा था। उसके दूर होनेके लक्षण हो रहे हैं। इसके लिये हमारी, बम्बईकी पंचायतके भाई अवश्य प्रशंसाके पात्र हैं। महासभाकी विशेषता यही है कि उसमें सभी विचारके भाई सम्मिलित हो सकते हैं, अपने २ विचार, अपने २ सिद्धान्त जनताके सामने रख सकते हैं। जनता जिन विचारोंको स्वीकार करे वही महासभाके सिद्धान्त माने

जाते हैं। इसीलिये महासभा लोकमतके अनुसार चलनेवाली संस्था मानी जाती है। इसी लोकमतके बलपर महासभाने समाजमें जागृति उपस्थित की है। भविष्यमें भी इसी नियमपर महासभा चलती रहे इसीमें उसका कल्याण है।

"गन्दी नोटिसबाज़ी रोकनेके लिये पंचायतने जो निर्णय किया है वह बहुत ही उचित है। समाजकी ऐसे कार्योंसे कुछ भी भलाई नहीं होती। जो भाई समाजसेवाके नामपर ऐसा करते हैं वे पाप करते हैं। इसमें समाजके धनका ही दुरुपयोग नहीं होता बल्कि नैतिक प्रभाव भी बहुत बुरा पड़ता है। हम आरंभसे ही ऐसी भ्रष्टताका विरोध करते आ रहे हैं। 'समाचार'को हमने सदैव गालीगलौजसे पाक रखनेकी चेष्टा की है। हमने अपने किसी विरोधीको 'भ्रष्ट' 'दुराचारी' 'पतित' या 'कुल-कलंकी' नहीं लिखा। इस सम्बन्धमें निर्णय करते समय भ्रम फैलानेके लिये 'समाचार' का भी नाम लिया गया था जिसका हम घोर विरोध करते हैं।

"हमें पञ्चायत एकत्र होनेसे कुछ विशेष लाभ नजर नहीं आता था। हमें भय था कि कहीं ऐसा न हो कि समाजमें कलह तथा फूट और भी अधिक बढ़ जाय। परन्तु बहुत कुछ गड़बड़ हो जानेके बाद भी पञ्चायत अन्तमें समाजके लोगोंका मनोमालिन्य कुछ अंशमें दूर कर सकी, यद्यपि उसने बहिष्कारका समर्थन कर एक अमार्जनीय भूल की है।

"अब पञ्चायतके इस निर्णयके बाद हमें पंचायतवादी तथा अन्य सभी अग्रवाल भाइयोंसे यही निवेदन करना है कि महासभाके अधिवेशनका समय दिन २ नजदीक आता जा रहा है। हम सबका कर्तव्य है कि जातिके इस महान् यज्ञमें अपने सामर्थ्यके अनुसार स्वागत-समितिको प्रत्येक कार्यमें सहयोग प्रदान करें। आनेवाले अतिथियोंकी इस महान नगरके योग्य ही सेवाकी व्यवस्था करें। स्वागतका कार्य प्रान्तके प्रत्येक अग्रवाल भाईका है। स्वागत-कार्यमें, जैसा कि श्रीयुत नंदलालजी बंकाने स्वागत-समितिकी स्थापनाके समय कहा था, किसी प्रकारका मतभेद नहीं हो सकता। अपने २ सिद्धान्तोंका प्रतिपादन करनेका स्थल महासभाका मंच है न कि स्वागत-समिति। आशा है बम्बई निवासी अग्रवाल भाई अपने इस कर्तव्यमें पीछे नहीं रहेंगे।"

यह है विधवा नाता विरोधी महासभावादीयोंके मनोवृत्तिकी बानगी। समझौता तो होगया, लेकिन ज्यों ज्यों अधिवेशनका समय समीप आता गया त्यों त्यों अधिकाधिक गुल खिलने लग गये; और अन्तमें समझौता या पञ्चायतका निर्णय ठुकरा देनेमें महासभाके नेताओंने कसर न रहने दी।

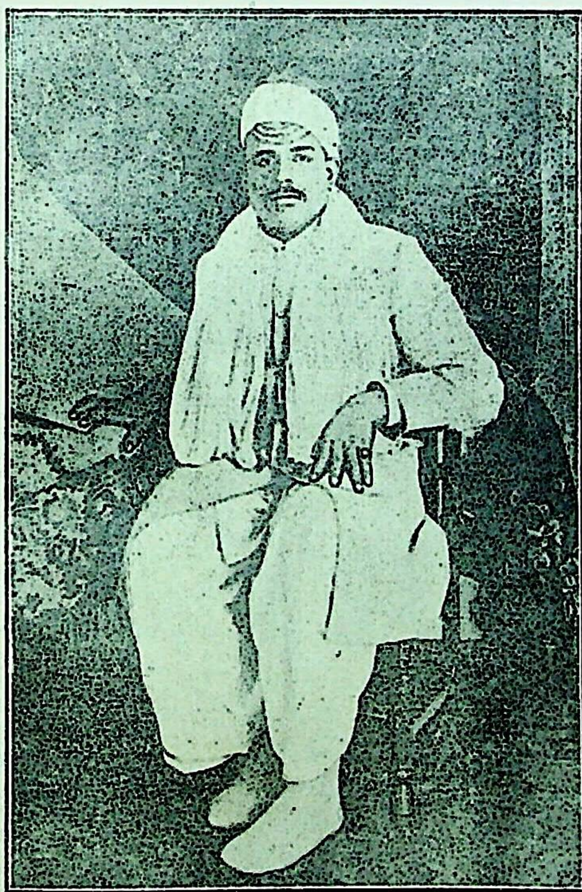
पञ्चायतके निर्णयको जब महासभाकी ओरसे उसके प्रधान मन्त्री और स्वागताध्यक्षने स्वीकार कर लिया तो सनातन-धर्मावलम्बीय भी निश्चिन्त हो गये। सनातन-धर्मावलम्बीय-मारवाड़ी-अग्रवाल सभाकी ओरसे "अग्रवाल-हितैषी" तथा अन्य सभी पत्रोंमें जोरदार अपीलें निकाली गयीं कि महासभाके अधिवेशनमें सनातनधर्मावलम्बीय मा०अ० बन्धु बड़ी संख्यामें उपस्थित हों। इसी प्रकारकी अपीलें महासभाकी ओरसे भी प्रकाशित हुई थीं जिनमें मतभेद मिट जानेकी बात कहकर सब भाइयोंको हृदयसे आमंत्रित किया गया था। सनातन धर्मावलम्बीय-मारवाडी-अग्रवाल सभाकी ओरसे लाखों हेण्ड बिल्स, हजारों तार, सैकड़ों विज्ञप्तियां तथा प्रान्त प्रान्तमें कई उपदेशक आदि भेजकर महासभाके लिये हजारोंकी तादादमें प्रतिनिधि बन्धुओंको आग्रहसे आमंत्रित किया गया।

अलग स्वागतादि प्रबंध क्यों करना पड़ा ?

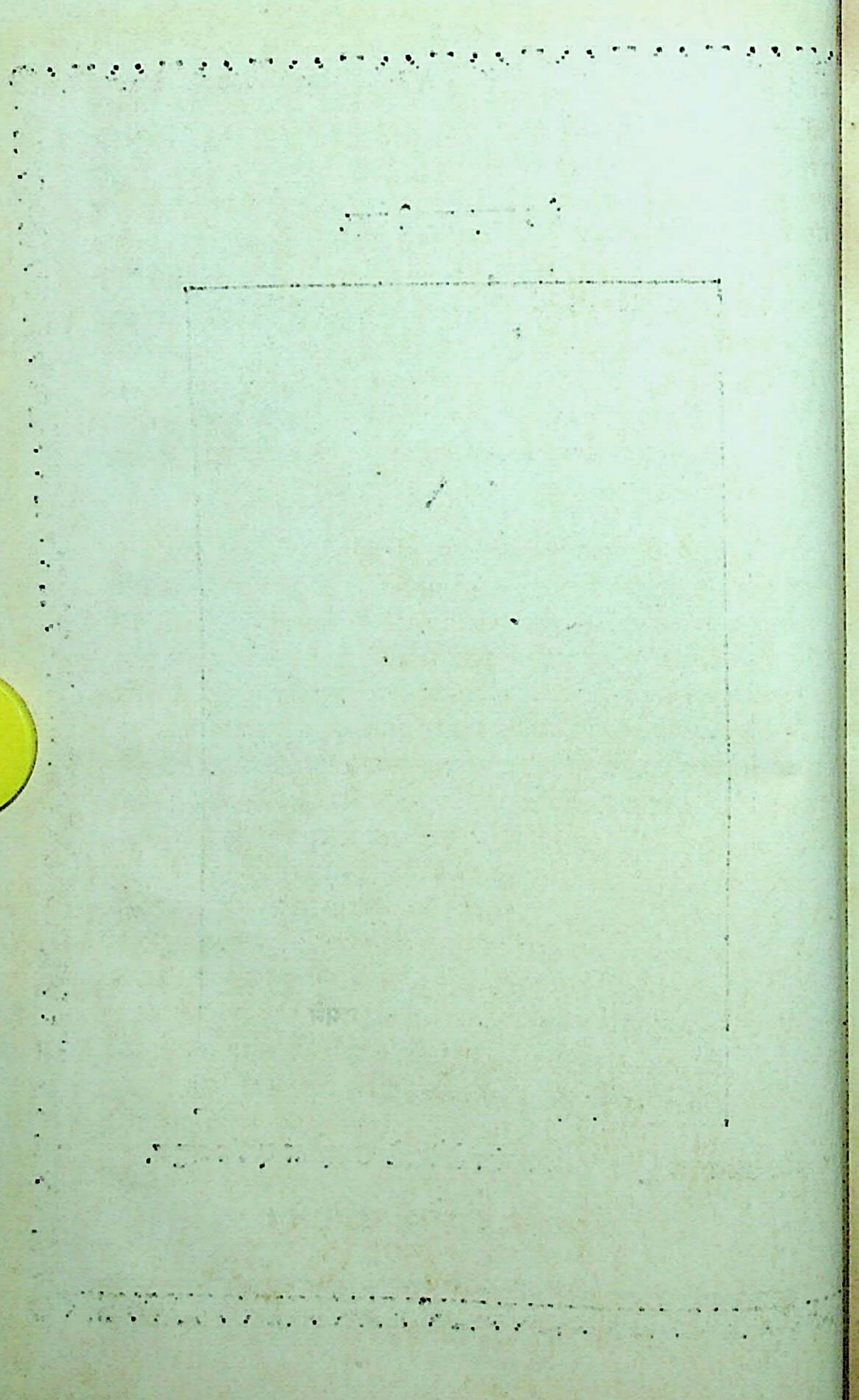
इस सम्बन्धमें केवल एक घटना स्वयंसेवक दलके सम्बंधकी तथा रसोईकी दे देना पर्याप्त होगा। स्वयंसेवक-दलके लिये स्थानीय जातीय बन्धुओंकी पर्याप्त संख्या मिल सकनेपर भी हिन्दुसभा आर्यसमाज तथा प्रयाग अग्रवाल-सेवासमिति आदिसे विशेष संख्यामें स्वयं सेवकोंको बुलानेका उद्योग किया जाने लगा। रसोईके संबन्धमें भी समाचार मिला कि सबको एक साथ बैठाकर जिमाने का प्रबन्ध किया जा रहा है। इस संबन्धमें सेठ श्रीनिवासजी बजाजकी ओरसे स्वागत समितिको पत्र लिखा गया और पूछा गया कि वास्तवमें स्वागत समितिकी ओरसे किस प्रकारकी व्यवस्था की जा रही है। पर इस पत्रका कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला। मामला बिगड़ता गया। अन्त में आर्यसमाजादि संस्थाओंसे स्वयम् सेवकोंको मांगनेकी व्यवस्थाकी खबर समझौता दलके पास सेठ नन्दलालजी बंका द्वारा पहुँचनेपर सेठ मुरलीधरजी चोखानी, सेठ बंशीधरजी चोखानी, सेठ शिवरामदासजी केड़िया, सेठ नन्दलालजी बंका; गंगाबक्सजी सराफ, सेठ शिवचंद्रायजी झुंझुनूवाला, और से० श्रीनिवासजी बजाज सेठ ताराचन्दजी घनश्यामदासके यहां गये। वहांपर सेठ गोविन्दरामजी लोहिया से मिले। उनसे स्वयं सेवकोंके सम्बन्धमें जो बात सुनी गयी थी वह कही गयी। इसके अलावा यह भी कहा गया कि हमें संदेह है कि जाति बहिष्कृत तथा ढेढ़ भंगियोंके साथ भोजन करनेवालोंके साथ पवित्र अग्रसेन सन्तानको जिमानेका षड्यन्त्र किया जा रहा है।

इसपर उन्होंने दूसरे दिन यथेष्ट पूछताछ कर लेनेके बाद उत्तर देनेका वादा किया, इसपर बंसीधरजी चोखानीने कहा कि समय बहुत

सेठ नन्दलालजी बङ्का.



अंतसमयतक सुधारकोंसे भिडंत लेनेवाले समझौता दलके प्रमुख.



तंग है अतः जितनी जल्दी हो सके उतनी जलदी हमें निश्चित जवाब मिल जाना चाहिये। इसपर सेठ गोविंदरामजी लोहिया कुछ नाराज होकर बोले कि अगर तुमको इतनी जलदी है तो जाओ, अपना अलग प्रबंध करलो। किन्तु अन्तमें यही निश्चित हुआ कि दूसरे दलवालोंसे बात चीत करके सरपंचकी ओरसे जो उत्तर मिले उसको सुनकर ही कर्त्तव्य निश्चित किया जाय। परन्तु खेद है कि दूसरे दिन उन से उत्तर मिला कि महासभाके महामन्त्री तथा पदाधिकारी तुम्हारे निवेदनको स्वीकार करनेमें असमर्थता दिखलाते हैं और जातिबहिष्कृतोंके लिये पृथक् प्रबन्ध करना नहीं चाहते। इस उत्तरके पश्चात् सेठ आनन्दीलालजी पोद्दारसे सब बातें कही गयीं। उन्होंने परामर्श दिया कि यदि महासभावादी तुम्हारी बातोंको स्वीकार नहीं करते तो तुम पृथक् स्वागत-कारिणीका संगठन करके आगत प्रतिनिधियोंका प्रबंध कर लो।

इसके बाद स्वागतकारिणीकी बैठक हुई जिसमें, सम्भवतः, सेठ आनन्दीलालजी पोद्दारने सनातनधर्मियोंकी मांगोंको वहां पेश किया; क्योंकि लगभग उसी समय जब कि स्वागतकारिणीकी बैठक जारी हो सकती थी, सेठ आनन्दीलालजी पोद्दारने फोन द्वारा बा० श्री निवासजी बजाज़से पूछा कि महामन्त्री बा० बेणीप्रसादजी डालमियां यह जानना चाहते हैं कि यदि सनातनधर्मियोंकी मांगे स्वीकार कर लेनेके कारण स्वागत समितिमें कोई गड़बड़ पैदा होजाय तो सनातनी पक्ष स्वागतसमितिकी जिम्मेदारी लेनेको तैयार है। या नहीं और वह पर्याप्त संख्यामें स्वयंसेवकोंका प्रबंध कर सकता है या नहीं। इसके उत्तरमें उन्हें बता दिया गया कि यदि ऐसा प्रसङ्ग उपस्थित हो तो हम लोग समस्त कार्यकी जिम्मेदारी लेनेको तैयार हैं उनसे कहा गया कि आप हमारी ओरसे बा० बेणीप्रसादजी डालमियांको इसका विश्वास दिला दें कि ऐसी परिस्थितिमें स्वागतादिके प्रबंधको सुचारु रूपसे संचालित करनेसे जिम्मेदारी स्वीकार करने से हम कदापि पीछे न रहेंगे, उन्होंने हमसे जो आश्वासन मांगा था वह हमने निःसंकोच होकर दे दिया, पर, ऐसा मालूम होता है कि महामंत्री तथा उनके अन्य साथियोंने इतनेपर भी उपर्युक्त मांगें स्वीकृत नहीं की क्योंकि फिर कोई स्पष्ट उत्तर इस विषयमें नहीं दिया गया। सनातनियोंने अपनी पृथक् स्वागतकारिणी सभा बनायी।

भोजन प्रबन्ध कारिणी समिति।

महासभामें भारतवर्षकी पञ्चायतों द्वारा बहिष्कृत तथा विधवानाता करनेवाले, अछूत सहभोजी एवं पंजाबसे कुछ ऐसे मांसाहारी अग्रवाले भी

आरहे हैं जिनका मारवाड़ी अग्रवालोंके साथ रोटीतकका व्यवहार नहीं;और उन सबका खानपान एक साथ ही रहेगा,यह निश्चित हो जानेपर श्रीसनातन धर्मावलम्बीय मारवाड़ी अग्रवाल सभाकी ओरसे महासभाके अवसरपर पधारनेवाले बन्धुओंके लिये भोजनादिका अलग प्रबंध(अत्यन्त आवश्यकीय जानकर) किया गया।

'भोजन' प्रबंधकारिणीके सदस्य।

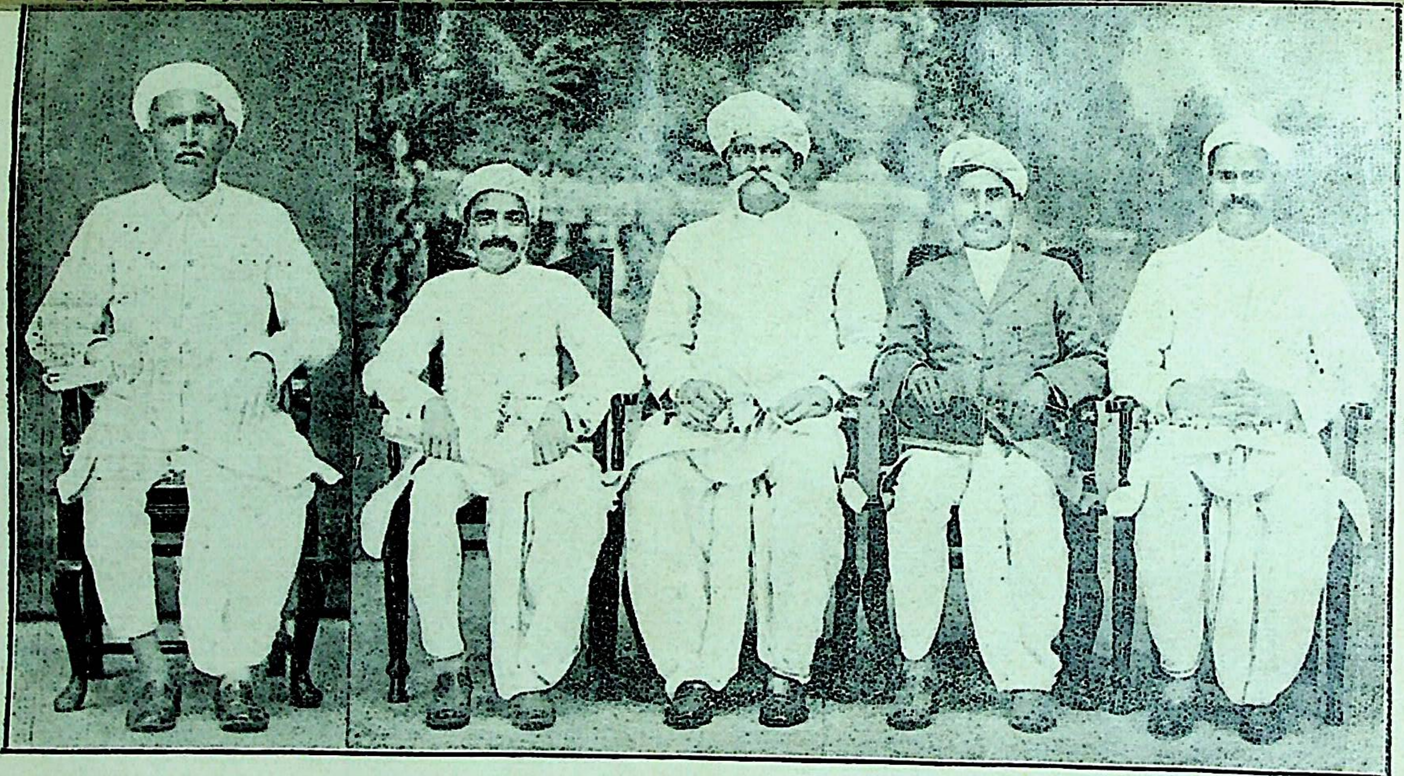
१ श्री. रामकुमारजी मुरारका
२ श्री. सन्तलालजी उमरिया
३ श्री. श्यामदेवजी तोदी
४ श्री. इंदरलालजी देवड़ा
५ श्री. किशनलाल जालान भिवानीवाले।
६ श्री. नागरमलजी पोद्दार।

इनकी देखरेखमें यह महत् कार्य बड़ी ही उत्तमतासे सम्पादित हुआ। जिसके लिये यह महानुभाव हमारे हार्दिक धन्यवादके अधिकारी हैं। हम इन्हें धन्यबाद देते हैं।

"स्थानप्रबन्धक समिति"

आगत प्रतिनिधियोंके लिये निवासस्थान आदिके प्रबन्धमेंभी भारी गोलमाल देखकर सनातन धर्मावलम्बीय मारवाड़ी अग्रवाल सभाकी ओरसे एक स्थानप्रबन्धक-कमिटी बनायी गयी जिसका कार्यभार श्री. लक्ष्मीरामजी चूड़ीवाला तथा श्रीः शिवरामदासजी केड़ियाके जिम्मे था। लगभग ४ हजार प्रतिनिधियोंके ठहरनेका प्रवन्ध इतने स्वल्प समयमें बम्बई जैसे नगरमें करना बहुत टेढ़ी खीर थी। किन्तु उपर्युक्त सज्जनोंने यह कार्य उतनीही सफलतापूर्वक कर दिखाया जितना वह कठिन था। कुछ महानुभावोंकी राय हुई कि आगत प्रतिनिधियोंके ठहरनेका प्रवंध तंबुओंमें किया जाय, किन्तु तंबूके स्थान तथा अन्य बाहरी मकानोंके सभास्थानसे दूर रहनेके कारण प्रतिनिधि बंधुओंको असुविधा रहती और हम लोग भी पधारे हुए बंधुओंका आतिथ्य करनेमें असमर्थ रहते। अतः स्थानप्रबन्धक-समितिने सुखानंदजीकी धर्मशाला, सिंघानिया वाड़ी, माधवबागकी धर्मशाला, तथा अन्य २ बड़ी बड़ी वाड़ियों, एवं मकानोंमें प्रतिनिधियोंके ठहरनेका प्रबंध किया। यह स्थान परस्पर नजदीक २ थे, इनमें प्रतिनिधियोंको जो आराम मिला वह अन्य स्थानोंमें संभव नहीं था।इतने परभी प्रतिनिधियोंकी संख्या इतनी अधिक हो गयी थी कि अनेक भाइयोंने प्रतिनिधियोंको अपनी २ दुकानों पर ठहराया और उनके लिये उचित प्रबन्ध किया।

भोजन प्रबन्धक समिति.



दाहिनी ओरसे—बा० सन्तलालजी उमरिया. बा० इंदरलालजी देवडा. बा० श्यामदेवजी तोदी. बा० किसनलालजी जालान. बा० नागरमलजी पोद्दार । खेद है फोटो लेनेके समय बा० रामकुमारजी मुरारका बम्बईमें उपस्थित न रहनेके कारण आपका चित्र नहीं दिया जा सका ।



स्वयंसेवकदल ।

यहां पर बतानेकी आवश्यकता नहीं है कि महासभाके प्रबंधादिमें गड़बड़ चौथ और घोलमेलकी सूचना निश्चितरूपसे मिल जानेके बाद, बाध्य होकर, हमें स्वतंत्र स्वयम् सेवकदलका सङ्गठन करना पड़ा। हमारे स्वयम् सेवकोंने जिस अदम्य उत्साहसे कार्य किया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। उनका साहस, उनकी क्रियाशीलता, उनका उत्साह और परिश्रम, उनकी तत्परता और संगठन-शक्ति सर्वथा प्रशंसनीय है। आरम्भमें यह सोचा गया था कि केवल १०० स्वयं-सेवक पर्याप्त होंगे; क्योंकि इनको महासभाके स्वयम्-सेवकोंके साथ मिलकर ही कार्य करना था। पर पीछेसे परिस्थितिमें बड़ा परिवर्तन हो गया और मिलकर कार्य करनेकी जिस आशाको पोषित किया गया था वह व्यर्थ सिद्ध हो गयी। फलतः ऐन वक्तपर अधिक स्वयंसेवकोंकी भर्त्तीके लिये सूचना प्रकाशित की गयी और यह गौरवकी बात है कि उसी दिन हमें २५० स्वयंसेवक कार्य करनेको मिल गये। यह और भी सन्तोषकी बात है कि वे सब स्वयम् सेवक मारवाड़ी-अग्रवाल जातिके होनहार नवयुवक थे। स्वयं-सेवक दलके अध्यक्ष (केपटेन) बा० बैजनाथजी नांगलिया नियुक्त किये गये थे। उपप्रधानके पदपर श्री मदनलालजी सरावगीका चुनाव हुआ। इनके अतिरिक्त निम्नलिखित महानुभाव जुदी जुदी टोलियोंके केपटेन नियुक्त हुए।

(१) श्री फूलचन्दजी सराफ।
(२) श्री सोहनलालजी हरलालका।
(३) श्री शुभकरनजी मुरारका।
(४) श्री भीमराजजी।
(५) श्री झावरमलजी केड़िया।
(६) श्री रामकुमारजी हरलालका।
(७) श्री द्वारकादासजी चोखानी।
(८) श्री केशवदेवजी देवड़ा।
(९) श्री विशुनदयालजी अग्रवाल।
(१०) श्री जयनारायणजी बेरीवाल।

सुविधाके लिये १०।१० स्वयं-सेवकोंकी टोलियां बनायी गयीं थीं, जिन्हें जुदीजुदी डयूटियोंपर भेजा जाता था। यह बात निस्संकोच होकर कही जासकती है कि इन बंधुओंने जिस अजस्र-परिश्रम-पूर्वक कार्य निर्वाह किया, उसके बिना कार्यसिद्धिमें बड़ी कठिनाई उपस्थित होती, अतः ये सब बन्धु हमारे धन्यवादके अधिकारी और पात्र हैं, हम उनको इसके लिये हृदयसे धन्यवाद देते हैं। इसी रिपोर्टमें, अन्यत्र, हम स्वयंसेवक दलका एक चित्र प्रकाशित कर रहे हैं। हम चाहते थे कि हमारे सभी-स्वयंसेवक इस ग्रूपमें सम्मिलित होते, पर दुःख है कि फोटो लेनेके समयपर अनेक स्वयं-सेवक किसी कारणवश उपस्थित न हो सके। यही कारण है कि इस चित्रमें अनेक स्वयं-सेवकोंके चित्र नहीं दिये जा सके।

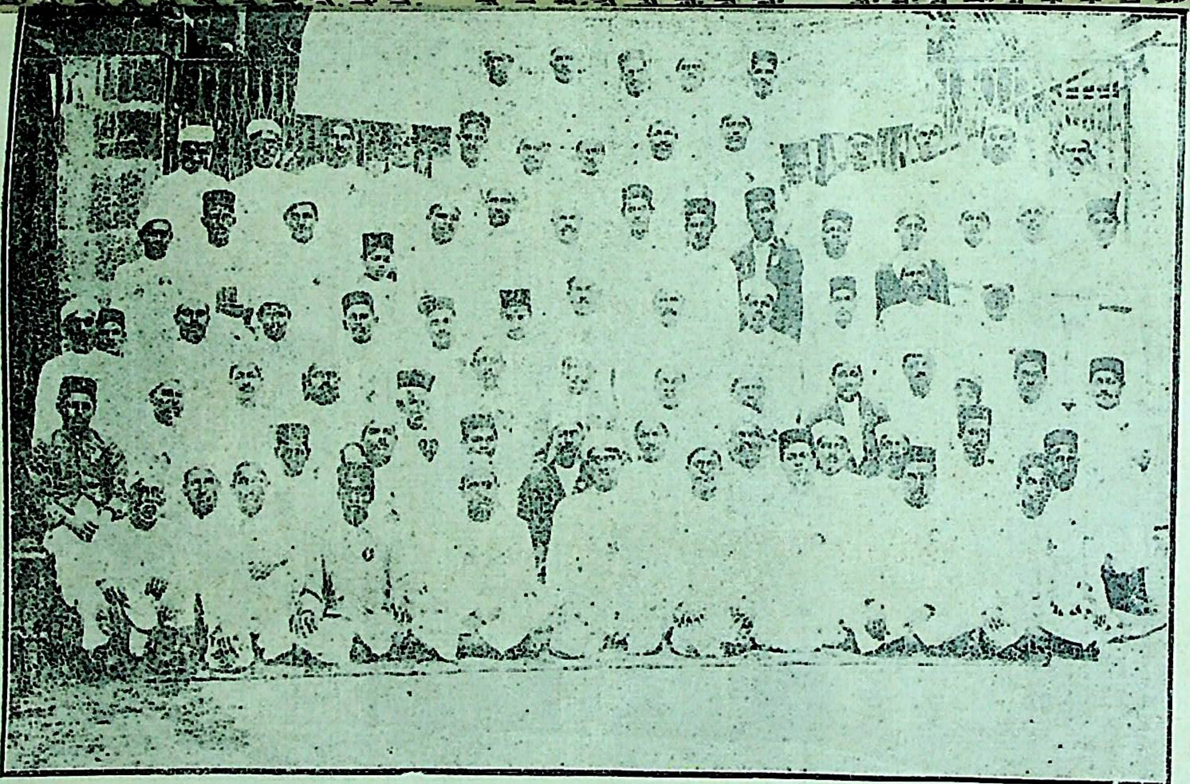
प्रचार विभाग।

किसी भी संस्थाके अधिवेशनको सफल बनानेके लिये और उस संस्थाके उद्देश्य एवं कार्योंके प्रति सर्वसाधारणमें जागृति उत्पन्न करनेके लिये सुसंगठित प्रचारकी आवश्यकता होती है। वर्तमान सभासंस्थाओंका प्राण, प्रचार विभाग ही है। हमारे प्रायः अनेक प्रयत्न अच्छे प्रचारके अभावमें अधूरे रह जाते हैं। समयकी आवश्यकताको अनुभव करते हुए सनातनधर्मावलम्बीय मारवाड़ी अग्रवाल सभाने अपने अन्तर्गत एक प्रचार विभागकी रचनाका प्रबंध किया । इस विभागका मंत्रिपद बा० दुर्गादत्तजी केजड़ीवालको दिया गया था। आपने प्रचारविभागको सराहनीय ढंगसे चलाया और अपने उद्देश्यों और आदर्शोंके प्रति जनतामें जागृति उत्पन्न करनेका बहुत कुछ श्रेय आपको है। इसके लिये हम उन्हें धन्यवाद देते हैं।

समय थोड़ा रहते हुए भी जब हमने मध्यप्रान्त बरार और खानदेशमें प्रचारार्थ डेपुटेशन भेजा तो वहांके भाइयोंने बड़े उत्साह और प्रेमके साथ डेपुटेशनका स्वागत किया। उन्होंने बड़ी संख्यामें सम्मिलित होनेके लिये रज़ामंदी प्रकट की थी और वास्तवमें उन्होंने अपने वचनोंका अन्त तक पालन भी किया। महासभाकी ओरसे भी महामंत्रीजी डेपुटेशन लेकर पहुँचे थे, पर जो महासभावादी अपने आचरण और व्यवहारोंसे सबको असन्तुष्ट कर चुके थे उनका जैसा स्वागत होना चाहिये था वैसा ही हुआ। इस विषयमें हम अपनी ओरसे कुछ विशेष कहनेकी आवश्यकता अनुभव नहीं करते।

जब इस प्रकार हमारे उद्योग सफल हुए तो बहुसंख्यक प्रतिनिधि आने लगे और महासभावादियोंको अपना दल अतिशय नगण्य अल्पसंख्यक प्रतीत होने लगा तो उन्होंने अपनी उन चालोंको कुछ और तेज कर दिया जिन्हें वे पञ्चायतके उस निर्णयके बाद भी बराबर चला रहे थे जो समझौतेके रूपमें हुआ था । अब उन्होंने प्रतिनिधि फार्म देनेमें भी अनेक बाधायें उपस्थित कर दीं। पहलेके सब नियमोंको ताकमें रखकर कहने लगे कि सबको गेटपर आकर फार्म भरने होंगे और अपनेको मारवाड़ी अग्रवाल सिद्ध करना होगा । बहुत कुछ प्रयत्नोंके बाद वे इस बातपर राजी हुए कि कार्यकारिणीके सदस्योंको ही फार्म प्रतिनिधियोंको भरनेको दिये जा सकेंगे। यह बात उन्हें इस लिये माननी पड़ी क्योंकि महासभावादी लोगोंमें अनेकको बहुसंख्यक फार्म दे दिये गये थे ताकि वे अपने पक्षके बहुतसे प्रतिनिधि बनालें पर अन्तमें इस बातसे भी वे फिर गये। बा० श्रीनिवासजी बजाजकी ओरसे चिट्ठियां

विशेषाधिवेशनका सहायक " स्वयंसेवक–दल "



खेद है बहुसंख्यक स्वयंसेवकोंके चित्र उनके फोटो लेनेके समय उपस्थित न रह सकनेके कारण नहीं दिये जा सके, अतः हम उनसे इस विषयमें क्षमा चाहते हैं।

चिट्ठियां लिखी गयीं पर वे अनेक हीलेकरके टालते रहे और प्रतिनिधि फार्म और टिकिट देनेको राजी न हुए बड़ी कठिनाईसे पहले ५ । ७ फार्म दिये गये। फिर जब बार २ चिट्ठियां लिखी गयीं और आदमी भेजे गये तो फिर कुछ फार्म दिये गये। अन्तमें बड़ी हील हुज्जतके बाद कई दिन निकालकर १००० फार्म दिये गये पर साथ ही बिल्कुल नवीन नियम लगाकर गारण्टी और रसीद पहले ले ली गयी। सारांश यह कि सनातन धर्मके अनुयायियोंको महासभामें आनेसे रोकनेके लिये उन्होंने वे सब प्रयत्न किये जो वे कर सकते थे। इसके बाद ऐन वक्त पर तो उन्होंने इस निश्चय की घोषणा ही कर दी कि जो लोग महासभाकी शाखाओं द्वारा प्रतिनिधि निर्वाचित होकर नहीं आये हैं उन्हें प्रतिनिधिरूपसे सम्मिलित नहीं किया जायगा।

इसके बाद जो घटनाएं हुई और समझौता तोड़नेके लिये तथा बहुसंख्यक प्रतिनिधियोंको सम्मेलनमें न आने देनेके लिये जो कुचक्र रचे गये उनके सम्बन्धमें विशेष कुछ न कह कर उस विज्ञप्ति को उद्धृत कर देना पर्याप्त मालूम होता है जो महासभा वादियों द्वारा फैलाये गये भ्रमका उच्छेदन करनेके लिये सनातन धर्मावलम्बीयों की ओरसे प्रकाशित की गयी थी। वह विज्ञप्ति इस प्रकार है—

हम क्यों अलग हुए ?

समाचारपत्रोंमें हमें दोष दिया गया है कि सनातनियोंने महासभाको छोड़कर पश्चायतका विशेषाधिवेशन किया। अङ्गरेजी पत्रोंमें हमें सिसेडर लिखा गया है? पर क्या यह बात सत्य है? नहीं; यह सत्य नहीं है कि हमने स्वेच्छासे महासभाको छोड़कर नया सम्मेलन किया। सत्य तो यह है कि हम हर तरह महासभामें रहकर वैध रीतिसे अपना बहुमत प्रकट करना चाहते थे। हम यह दिखला देना चाहते थे कि महासभापर कब्जा जमाकर मुट्ठीभर सुधारक नामधारी, समाजके नामपर, जो कुछ कर रहे हैं उससे मारवाड़ी अग्रवाल समाजका कोई सम्बन्ध नहीं है। इस निश्चयपर हम महासभाका अधिवेशन शुरू होनेतक (यानी २३ तारीख तक) अटल रहे। हमें यह खयाल भी नहीं था कि हमारे साथ इतना अन्याय किया जायगा और मुट्ठीभर सुधारक हमें जातीय संस्थामें सम्मिलित न होने देंगे। पर, जब सब कुछ हो गया, हमारी कोई बात नहीं सुनी गयी, तो हमें बाध्य होकर अपना जुदा सम्मेलन करना पड़ा। अब इस विषयमें सन्देहकी गुञ्जाइश ही नहीं थी कि मुट्ठीभर सुधारक समाजका गला घोटकर मनमानी कार्यवाही करनेपर तुले हुए हैं।

विवादका विषय।

विवाद और विरोधका विषय समाज सुधार है। मारवाड़ी अग्रवाल समाज अपने पूर्व आदर्श को रखते हुए सुधार करनेके पक्षमें है और कल कत्तेके मुट्ठीभर सुधारक इधर-उधरके दो चार व्यक्तियोंको लेकर अन्धाधुन्ध समाज सुधार चाहते हैं। समाज विधवा-विवाहको आर्य-संस्कृतिका विघातक मानता है। अन्त्यजोंकी उन्नतिका अभिलाषी होता हुआ और उन्हें उठानेके लिये प्रत्येक प्रकारकी आवश्यक सहायता देता हुआ भी उनके साथ रोटी-बेटीका सम्बन्ध करनेको कदापि तैयार नहीं है! इसी प्रकार अन्तर्जातीय विवाहके सम्बन्धकी भी बात है। किन्तु मुट्ठी भर सुधारक इन बातोंको प्रचलित करना चाहते हैं और अपने निर्णयको जातिका निर्णय विघोषित करते हैं। महासभाके किसी अधिवेशनमें स्पष्ट रूपसे इस प्रकारके सुधारका कोई प्रस्ताव स्वीकृत करा लेनेका साहस इन्हें नहीं हुआ; तो भी, वे समाजकी आवाजको ठुकराकर गोलमोल प्रस्ताव पास करके समाजको धोका देते रहे हैं। महासभाके मुखपत्र द्वारा प्रचण्ड प्रोपेगेण्डा किया गया और कार्यकर्त्ताओंने खुले रूपमें ऐसे कार्योंमें भाग लिया। समाजमें अशांति फैलनेपर यह कहकर उन्हें चुप किया गया कि महासभाको ऐसे कार्योंसे सहानुभूति नहीं है। किन्तु ऐसे कार्य्योंसे महासभाके कार्य्यसञ्चालकोंने पूर्ण सहानुभूति ही नहीं दिखलायी बल्कि उसमें भाग तक भी लिया। हजारों वर्षोंसे समाजमें कभी विधवानाता नहीं हुआ और यदि कभी हुआ तो ऐसा करनेवाले सदैव जातिसे बहिष्कृत कर दिये गये। मार० अग्र० समाजकी यही मांग अब भी है कि धर्म और समाजकी मर्यादाको कुचलनेवालोंको जातिसे बहिष्कृत कर दिया जाय।

हमें धोका दिया गया।

इस बार दोनों ओरसे ही अपने पक्षके आधिकाधिक प्रतिनिधि लानेका प्रयत्न किया गया था। समाजमें जागृति उत्पन्न हुई और लोग अधिवेशनमें आनेकी तैयारी करने लगे। जब यह सुनिश्चित हो गया कि इस बार बहुत अधिक संख्यामें प्रतिनिधि उपस्थित होनेवाले हैं तो सम्भवतः कलकत्तेके सुधारक दलके इशारेपर उन्हें रोकनेकी चेष्टा की जाने लगी। स्वागतसमितिके मन्त्रीने सूचना निकालदी कि इस बार केवल वे ही सज्जन प्रतिनिधि रूपसे सम्मिलित हो सकेंगे जो बाकायदा महासभासे सम्बद्ध संस्था द्वारा निर्वाचित होकर आयेंगे। यह सूचना खूब सोच समझकर निकाली गयी थी क्योंकि वे जानते थे कि—

(१) महासभा और उसकी शाखा-सभाओंपर सुधारकोंका कब्जा है

स० ध० मा० अ० सभाके प्रचार
विभागके मन्त्री.



बाबू दुर्गादत्तजी केजड़ीवाल.



(२) जनता अशिक्षित है और उसको इस नये पेचसे आगाह करनेके लिये बहुत समयकी जरूरत है।

ऐसी दशामें यह सोचा गया कि सुधारकोंके सूत्रधार अपने साथियों सहित १०० । १५० की संख्यामें आयेंगे और मनमाना निर्णय समाजके नाम पर कर लेंगे। इनके सिवा जो लोग आयेंगे उन्हें दर्शक बना दिया जायगा। और उन्हें किसी विषयपर मुँह खोलने या हाथ उठानेका अधिकार न होगा।

इस विषयमें एक बातकी ओर ध्यान दिलाना और भी आवश्यक है वह यह कि महासभाके जीवनमें इस प्रकारका प्रसङ्ग पहले कभी उपस्थित नहीं हुआ। सदा यही दस्तूर रहा कि अधिवेशनके समय जो कोई मारवाड़ी अग्रवाल द्वारपर पहुँच गया, उससे नियत फीस लेकर उसे प्रतिनिधि बना लिया गया। किन्तु स्वागतकारिणी अचानक एक नयी रीति चलाने लगी। यह बात स्पष्ट है कि स्वागतकारिणीको इस प्रकारका परिवर्तन करनेका कोई अधिकार नहीं था। ऐसे परिवर्तन खुले अधिवेशनमें ही हो सकते हैं। कांग्रेसको छोड़ दीजिये, हिन्दू महासभा, आर्य सम्मेलन, ब्राह्मण सभा, क्षत्रिय महासभा इत्यादि किसी संस्थामें भी ऐसा कोई बन्धन नहीं है। कांग्रेसने भी देशमें भारी जागृति उत्पन्न हो चुकनेके बाद अभी कई वर्षसे ऐसा नियम किया है। अस्तु, समाजकी ओरसे इसका घोर विरोध किया गया। उसके कुछ समय पूर्व बम्बईकी बहुत पुरानी सर्वमान्य पञ्चायत (जिसकी अध्यक्षता सेठ ताराचन्दजी घनश्यामदासकी गद्दी को प्राप्त है) के पास अनेक प्रतिष्ठित सज्जनोंने पत्र भेजे थे कि विधवा-विवाह और अन्त्यज सहभोज इत्यादि करनेवालोंको बहिष्कृत करनेके प्रश्न पर विचार किया जाय। तदनुसार पञ्चायत हुई। पञ्चायतमें विधवानाता करनेवालोंको जाति बहिष्कृत करनेका निश्चय किया गया। महासभाके सम्बन्धमें यह समझौता करा दिया गया कि बा० गौरीशङ्करजी या बा० हनुमानप्रसादजी महासभाके दशमाधिवेशनके सभापति बनाये जायँ और स्वागत-समितिने जो नया प्रतिबन्ध लगा दिया है वह उठा दिया जाय। अन्य प्रश्नोंका निर्णय समयाभावसे न हो सका। तदनुसार पञ्चायतकी तरफसे प्रधान-मन्त्री और स्वागत-मन्त्रीकी तरफसे तथा अन्य जिम्मेदार लोगोंकी ओरसे सूचनाएँ प्रकाशित की गयीं कि प्रत्येक मारवाड़ी अग्रवालको महासभामें अवश्य पधारना चाहिये। द्वारपर आकर नियत फीस देनेवाले प्रत्येक भाईको डेलीगेट बनाया जायगा। इस निर्णयसे शान्ति हो गयी और बहुसंख्यक भाई आनेकी तैयारियां करने लगे। चूंकि इस बातकी सम्भावना थी कि सनातनी भाई अधिव-

हिष्कृत लोगोंके साथ एक रसोईमें बैठकर खाना पसन्द न करेंगे और महासभाने जातिवहिष्कृत लोगोंके आनेपर भी कोई रोक नहीं की थी अतः स्थानीय सनातनियोंने ऐसे लोगोंके लिये स्थान और रसोईका पृथक् प्रबन्ध कर दिया जो घोलमेल पसंद नहीं करते थे। इस पृथक् प्रबन्धसे महासभाके सुधारकोंको शीघ्र हीयह पता लग गया कि सनातनी पक्षके आदमी अधिक आये हैं। अतः समझौतेको तोड़कर फिर प्रतिवन्ध लगानेके हीले सोचे जाने लगे।

समझौता तोड़ दिया।

२१ तारीखको ही कार्यकारिणीकी बैठकमें कलकत्तेका सुधारक दल जिसका बहुमत था, समझौतेको तोड़कर सनातनियोंको महासभामें आनेसे रोक देना चाहता था; पर शायद ऐन वक्तपर बम फेंकनेके विचारसे इस विचारको स्थगित कर दिया गया। २३ तारीखको अधिवेशन शुरू होनेवाला था और २२ मार्चको दोपहर पीछे इसके निश्चयकी घोषणा कर दी गयी। यह बात विशेष ध्यान देनेकी है कि ऐसा निर्णय करनेका कारण यह बताया गया है कि स्वागतकारिणीको उक्त प्रकारका समझौता करनेका कोई अधिकार नहीं था, पर सच बात तो यह है कि स्वागतकारिणीने कोई नया समझौता किया ही नहीं था। उसने अनधिकार-पूर्वक एक नया प्रतिवन्ध खड़ा किया था और उस प्रतिवन्धको सर्वमान्य समझौतेके रूपमें हटा देनेमें स्वागतसमिति सर्वथा न्यायपर थी। यदि वह ऐसा न करती तो घोर अन्याय होता। पर यह तो मिली भगत थी। स्वागतकारिणीने कार्यकारिणीके निर्णयके विरुद्ध एक शब्द मुँहसे नहीं निकाला। समझौतेकी घोषणा करते हुए समस्त मारवाड़ियोंको खुला निमन्त्रण देनेवाले बा० बेणीप्रसादजी डालमियां और बा० बालकृष्णलालजी पोद्दारने भी एकदम कलकत्तिया सुधारकोंकी हांमें हां मिला दी और आश्वासन एवं निमन्त्रण पाकर आये हुए ४००० व्यक्तियोंकी असुविधाओंपर कुछ विचार न किया। क्या यह ईमानदारी थी? क्या यह विश्वासघात नहीं हुआ? समझौतेके अनुसार पसन्द किये गये और घोषित किये गये सभापतिने अपने स्टेटमेण्टमें भी स्वीकार किया है कि महासभावादी यह नहीं चाहते थे कि सनातनियोंको भीतर आने दिया जाय क्योंकि वे बहुसंख्यक थे और उनके आनेसे सुधारकोंके हाथसे सत्ता चली जाती।

सारे प्रयत्न विफल हुए।

पूर्व घोषणानुसार सबको डेलीगेट बननेकी स्वाधीनता देनेके सम्बन्धमें कई प्रयत्न किये गये, पर सुधारकोंके दुराग्रहसे विफल हुए। अधिवेशन शुरू होनेपर स्वागताध्यक्षके भाषणके बाद श्रीसेठ आनन्दीलालजी पोद्दारने कार्यवाही स्थगित करनेका प्रस्ताव करते हुए स्पष्ट स्वीकार

किया था कि सनातनी पक्षके भाई समझौता करके महासभामें आनेको तैयार हैं; उन्होंने मेरे पास सन्देश भेजा है, अतः समझौतेकी बातचीत करनेके लिये कार्यवाही कल दोपहरतकके लिये स्थगित कर दी जाय। पर मुट्ठीभर सुधारकोंकी ओरसे इसका घोर विरोध किया गया और वे "नहीं नहीं" चिल्लाने लगे। इसपर सेठ आनन्दीलालजी पोद्दारको वाध्य होकर यह कहना ही पड़ा कि मुझे दुःख है कि जो मुट्ठीभर लोग बाहरसे यानी कलकत्तेसे यहां आये हुए हैं और "नहीं नहीं" चिल्ला रहे हैं, वे ही जातिमें फैलनेवाली फूटके जिम्मेदार हैं। समझौतेके लिये समय देनेका जिसने भी समर्थन किया उसीको सुधारकोंसे अपमानित होना पड़ा! यहांतक कि सेठ जमनालालजी बजाजने भी जब ऊपरी मनसे आधा समर्थन किया तो उनको भी दुत्कार सुननी पड़ी। प्रस्तावपर वोट लेते समय खूब अन्धाधुन्धी हुई और डिवीजन मांगनेपर तूफान उठ खड़ा हुआ। चेयरमैनने तीन बार डिवीजन देनेका फैसला सुनाया पर सुधारकोंने अत्यधिक हुल्लड़ मचायी और कई आदमी बार बार स्टेजपर चढ़ दौड़े। अन्तमें यह हुआ कि चेयरमैनकी आज्ञाको तीन तीन बार ठुकरा दिया गया। अस्तु सेठ आनन्दीलालजी पोद्दार तथा अन्यान्य व्यक्तियोंको, यह भाव देखकर, महासभा छोड़कर बाहर चले आना पड़ा। चलते समयके उनके ये शब्द थे कि "आपके इस भावसे पता लगता है कि आप जातिमें कदापि मेल न होने देंगे और मेल हो भी जाय तो आप शान्त न रहेंगे। आप तो लकड़ियोंसे लड़कर हुज्जत करेंगे।" यह शब्द महासभाके भूतपूर्व सभापतिके विचारशील हृदयसे निकले थे। दुःखकी बात है कि कई पत्रोंने इतनी महत्वपूर्ण घटनाको तुच्छ करके दिखलानेका प्रयत्न किया है और पञ्चायतमें केवल सनातनधर्म की जय बोली जाती देखकर ही सनातनियोंको उद्दण्ड आदि बतलानेकी उदारता प्रकट की है। हम पूछते हैं कि क्या इतनी सब बातोंकी मौजूदगीमें भी फूटका जिम्मेदार सनातनियोंको ही ठहराया जा सकता है?

मिथ्या कलङ्क।

एक ओर तो हमारे साथ इतना अन्याय होता है, और दूसरी ओर हमे ही विध्वंसक और उपद्रवी बताकर बदनाम किया जाता है। हमारे ऊपर अनेक लाञ्छन लगाये गये और हमें बदनाम किया गया। हम पूछते हैं कि क्या सुधारकोंका दुराग्रह स्पष्ट नहीं है? क्या हमारी तरफसे अन्त समयतक समझौतेका प्रयत्न नहीं किया गया और क्या अन्त समयतक सुधारकोंने अन्याय और दुराग्रह प्रकट नहीं किया?

शान्ति भङ्ग करनेका कलङ्क।

हमपर कलंक लगाया गया है कि हम महासभाको तोड़नेके लिये कटिबद्ध थे। यह सोचनेकी बात है कि जब हमारा बहुमत था तो हम किस

लिये महासभाको तोड़नेका विचार कर सकते थे। बहुमतके बलपर महासभा हमारे हाथमें ही थी। पूर्व निर्वाचित सभापति बा० हनुमानप्रसादजीने स्पष्ट स्वीकार किया है कि सुधारक लोग संख्याधिक्य रखनेवाले सनातनियोंके हाथमें महासभाको जाने देनेको तैयार नहीं थे और फालतू नियमकी आड़ लेकर उन्हें भीतर आनेसे रोक रहे थे, जो सर्वथा अनुचित था। बा० पद्मराज जैन इत्यादि कलकतिया सुधारकोंने भी इस बातको अपनी उस विज्ञप्तिमें मुक्तकण्ठसे स्वीकार किया है जो उन्होंने ३० मार्चको नेशनल हेरल्डमें छपायी है। जब समझौतेके सम्बंधमें बातचीत चल रही थी तो एक प्रस्ताव बा० हनुमानप्रसादजी पोद्दारकी तरफसे यह भी रखा गया था कि "दोनों पक्षके २जुदे अधिवेशन एक पण्डालमें एक ही सभापतिकी अध्यक्षतामें हों। एक दलकी बैठक प्रातःकाल हो जाय और दूसरेकी दोपहर पीछे। दोनोंको महासभाका दशमाधिवेशन माना जाय। अन्तमें मैं सब कुछ देखभाल कर यह घोषित करूंगा कि किस पक्षका बहुमत है।" किन्तु यह बात सुधारक दलने स्वीकार नहीं की। यद्यपि यह बात बा० हनुमानप्रसादजीके बयानमें किसी कारणसे रह गयी है, पर इसकी सचाईमें सन्देह नहीं है। बा० हनुमानप्रसादजी पोद्दार और महासभाके कर्णधार इस बातसे इन्कार नहीं कर सकते। इस समझौतेको केवल इसी भयसे स्वीकार नहीं किया गया कि सनातनियोंका बहुमत सबपर प्रकट हो जायगा।

समझौतेके सम्बन्धमें हमपर दुराग्रहका दोषारोपण किया गया है बा० हनुमानप्रसादजी पोद्दारने लिखा है कि दोनों दल ही समान रूपसे हठपर थे। एक बहुसंख्यक सनातनियोंको इसलिये नहीं आने देना चाहता था कि वे बहुसंख्यक हैं और उनके आनेपर हाथसे शक्ति चली जायगी तो दूसरा अपने पक्षके लोगोंको शान्त रखनेकी गारण्टी देनेको तैयार नहीं था।

हमारा निवेदन यह है कि सनातनी पक्ष प्रत्येक युक्ति-युक्त और उचित बात माननेको तैयार था। पर जो बात किसी समयमें भी सम्भव नहीं थी उसकी जिम्मेदारी लेनेकी धूर्त्तता सनातनी प्रतिनिधि नहीं कर सकते थे। एक सुसङ्गठित पल्टनपर शायद उसका कर्नल पूर्ण काबू रख सकता हो पर दूर दूरके शहरोंसे आये हुए ४००० प्रतिनिधियोंकी यह जिम्मेदारी हम कैसे ले सकते थे कि किसी अप्रिय प्रस्ताव या वाक्यपर कोई शेम शेम भी न कहेगा या हिसिङ्ग न करेगा। कौन यह दावा कर सकता था कि ४ हजार सनातनी प्रतिनिधि, हम दो चार आदमियोंकी जिम्मेदारी लेते ही भेड़की तरह आचरण करते। इसके सिवाय बहुतसे ऐसे स्वतन्त्र प्रकृतिके व्यक्ति भी हो सकते थे जो अपनेको सनातनी या सुधारक

कहते हुए भी किसी पक्ष विशेषके साथ बंधना पसन्द न करते। हम तो समझते हैं कि तलाश करनेपर कोई व्यक्ति ऐसा भी नहीं मिल सकता था जिसने अपने पक्षके सब प्रतिनिधियोंकी पहले सूरत भी देखी हो। यह मांग सर्वथा अनुचित थी कि अपने अपने पक्षकी कड़ी जिम्मेदारी ली जाय। जो हमारे वशकी बात थी उसकी जिम्मेदारी हमने ले भी ली थी। हमने कहा था कि अपने पक्षके सब लोगोंको शान्त रखनेका पूर्ण प्रयत्न करेंगे और प्रेसिडेण्टकी आज्ञा मानेंगे। जिस किसीके व्यवहारसे प्रेसिडेण्ट असन्तुष्ट होकर उसे निकालनेकी आज्ञा देंगे उसे बाहर कर देनेमें हम पूरी सहायता देंगे। यहांतक कि उसे निकाल देनेकी हम जिम्मेदारी लेते हैं। किन्तु बा० हनुमानप्रसादजी पोद्दार इस न्याय-सङ्गत बातसे सन्तुष्ट न हुए। उन्होंने कहा कि अच्छा जिन लोगोंको आप यह समझें कि यह शोर करेंगे उन्हें अपने साथ भीतर लावें ही नहीं। कितनी विचित्र बात है! हमने तो इतने आदमियोंको पहले देखा भी नहीं, जान पहचान भी नहीं—फिर हम यह कैसे समझ लेते कि इनमें अमुक अमुक 'शेम शेम' पुकार उठेगा? यह मनोविज्ञान या ज्योतिषका चमत्कार दिखलानेकी क्षमता कौन रखता था? सबसे सीधी बात यही थी कि हम प्रेसिडेण्टकी आज्ञा मानने और मनवानेका वचन देते, और हमने ऐसा करनेमें क्षणभरकी देर नहीं की। पर जो बात असम्भव थी उसकी जिम्मेदारी हम कैसे स्वीकार कर लेते? कहा गया है कि महासभाके सुधारक पक्षने अपने दलकी ओरसे यह जिम्मेदारी ले ली थी। पर क्या ऐसा करना कुछ मूल्य रख सकता है? खुले अधिवेशनके प्रथम दिवस ही खालिस सुधारक पक्षमें जो 'तू-तू' 'मैं-मैं' हुई, जो शोर गुल हुआ, उसे क्यों नहीं रोक लिया गया? क्या उस समय जिम्मेदारी लेनेवाले सो रहे थे जब उद्दण्ड लोग सेठ आनन्दीलालजी पोद्दार जे०पी०से तू तड़ाक कर रहे थे और उन्हें बोलनेसे रोक रहे थे? उस समय जिम्मेदार लोग कहां थे जब चेयरमैनकी रूलिंग को तीन बार ठुकरा दिया गया और हो-हल्ला करते हुए उद्दण्ड लोग बार२ स्टेज-तक चले आये? क्या अपने पक्षवालोंको शान्त रखनेकी ऐसी ही जिम्मेदारी बा० बेणीप्रसादजी डालमियां और बा० बालकृष्णलालजी पोद्दारने ली थी? सच तो यह है कि न तो इस प्रकारकी जिम्मेदारी आजतक किसीने किसीसे मांगी थी, न किसीने कभी स्वीकार की थी और न ऐसी जिम्मेदारी कोई कभी ले सकता है।

खुली गालियां।

सनातन-धर्मियोंको खुली गालियां दी गयीं। पुलिसकी सहायता मांगी गयी कि सनातनधर्मावलम्बीय पण्डाल तोड़ने, जलाने और जबर-

दस्ती घुसकर उत्पात करनेपर तुले हुए हैं, अतः विशेष रूपसे रक्षा करनी पड़ी। इसी प्रकारके अभियोग हमपर समाचारपत्रोंमें खुल्लम-खुल्ला लगाये गये ताकि सनातनी और लोगोंकी नजरमें गिर जायँ! यानी यह कि सनातनी गुण्डे हैं बाजारू हैं। हैसियत और इज्जतदार रहे केवल वे लोग, जो विधवा विवाह करते और कराते हैं या अछूतोंके हाथका भोजन करते हैं अथवा इन दोनोंके अनुयायी हैं। बाकी सब लोग गुण्डे हैं ! इनमें किसीको अपनी इज्जतका तो ख्याल है ही नहीं! सब दूसरेकी पगड़ी उछालनेके लिये कटि बद्ध हैं! हमें यह सोचकर दुःख होता है कि इस सम्बन्धमें समाचारपत्रोंके रिपोर्टरोंने यथोचित सावधानी नहीं दिखलाई और अपमानजनक गालियोंको प्रतिध्वनित करते रहे जो हमारे विरोधियोंने स्वार्थसे प्रेरित होकर हमें देनेकी उदारता प्रकट की थी। हम यह घोषित कर देना चाहते हैं कि सनातनी पक्षमें भी एकसे एक बढ़कर प्रतिष्ठित महानुभाव हैं। यह लाञ्छन कि उन्होंने उपद्रवको या किसी प्रकारकी उच्छृङ्खलताको आश्रय या प्रोत्साहन दिया है एकदम असत्य है। उत्तेजना दिलाये जानेपर भी वे शांत रहे और शान्तिका उपदेश देते रहे। पञ्चायतके पक्षमें लिखने वाला चक्र-सुदर्शन नामक एक सनातनी पत्र बम्बईसे निकलता है। इसने सुधारकोंके दुराग्रहके बाद, फूट पड़ जानेसे निराश होकर, महासभाकी लाशका कार्टून निकाल दिया था। यद्यपि चक्र-सुदर्शनका पञ्चायतसे सम्बन्ध नहीं है, और यद्यपि उसने सनातनी पक्षकी बड़ी सेवाएँ कीं, तथापि भी पञ्चायतके सभापतिने अपने अंतिम भाषणमें इस कार्टूनकी निन्दा करना उचित समझा। यह सनातनधर्मियोंका ही साहस था न कि सुधारक पक्षका।

सनातनी पक्षमें वयोवृद्धोंका प्राबल्य और प्रभाव है, उधर महासभामें नयी रोशनीवाले जोशीले नौजवानोंका। एक तरफ बा० गोविंदलालजी पित्ती और नारायणलाल पित्ती हैं और दूसरी तरफ उनके वयोवृद्ध पिता राय बहादुर सेठ बंशीलालजी हैं। एक तरफ बाबू श्रीनिवासजी पोद्दार और बा० बालकृष्णलाल पोद्दार हैं और दूसरी ओर उनके विद्यावयोवृद्ध भ्राता सेठ कन्हैयालालजी पोद्दार। इसी प्रकार अन्यान्यको भी समझिये। क्या ये पितृव्य और विद्यावयोवृद्ध महानुभाव अपने आत्मीय बालकोंपर जोर आजमाते माने जा सकते हैं? क्या यह गुण्डापन कर सकते हैं या गुण्डेपनको आश्रय दे सकते हैं? शर्मकी बात है।

सब तरफसे निराश होकर विद्यावयोवृद्ध सेठ कन्हैयालालजीके सभापतित्वमें, जो हाथरसमें प्रांतीय महासभाके सभापति रह चुके हैं, पञ्चायतका विशेष अधिवेशन करना निश्चित हुआ और

निश्चयके बाद उनका जुलूस निकाला गया। यह शानदार जुलूस जब महासभाके पण्डालके पाससे होकर निकला तो चारों तरफसे महासभाके नये भरती किये हुए ३०० मिरजापुरी लठैत नौकर और वालण्टियर एकत्र हो गये। जुलूस शान्त था और किसीके पास लाठी नहीं थी। इसपर भी पत्रोंमें यह छपाया गया कि वे सब लोग हल्ला बोल-कर पण्डालमें घुसने और सभा भङ्ग करनेको आये थे और ऐसा करना ही चाहते थे कि पुलिसने उन्हें रोक दिया। कितने आश्चर्यकी बात है? कितने दुःखकी और कितनी लज्जाकी बात है! यही वे तरीके हैं जिनसे हमें बद-नाम किया जाता है और कलङ्कित करके जनताकी नजरोंमें गिराया जाता है। इन्हीं तरीकोंसे महासभाके सुधारक भोली जनताको, विशेषकर मारवा-ड़ियोंके सिवा अन्य लोगोंको, भ्रममें डालते हैं? वे यह नहीं जानते कि इस प्रकारके लाञ्छनको प्रकाशित कराकर वे सारी जातिकी इज्जतको मिट्टी-में मिला रहे हैं।

स्टेशनकी दुर्घटना।

पूर्व निर्वाचित सभापति बा० हनुमानप्रसादजी पोद्दारके बम्बईमें पदार्पणके समय बोरीबन्दर स्टेशनपर एक अप्रिय प्रसङ्ग उपस्थित हो गया था। हमारे विरोधियोंने उक्त घटनाको मनमाना रूप देकर सारी जिम्मेदारी सनातनियोंपर डाली है। इतना ही नहीं उन्होंने सनातनियोंपर निर्लज्जता-पूर्वक यह दोषारोपण किया है कि वे कल्याणी और बम्बईमें सभापतिको बलात उड़ा ले गये। मानो बा० हनुमानप्रसादजी पोद्दार कोई अल्पवयस्क बालक थे। इतनी बेहूदी बातको भी बिना सोचे विचारे पुनः पुनः प्रतिध्वनित किया जा रहा है। स्टेशनपर गाड़ीमें बैठे हुए बा० हनुमान प्रसादको सनातनी बलात उड़ा ले गये और स्टेशनका स्टाफ इतने पैसेञ्जर और उनके साथी एवं रेलवे पुलिसवाले देखते ही रह गये। क्या यह बात कोई भला आदमी स्वीकार कर सकता है? किन्तु महासभाके सुधारकोंका यही कथन है। सच पूछिये तो यह सभापतिका अपमान है जो सुधारकों-की ओरसे किया गया है। बा० हनुमानप्रसादजी पोद्दार अपने बयानमें स्पष्ट रूपसे यह विघोषित कर चुके हैं कि सनातनियोंने उनके साथ कोई ज्यादती नहीं की। यह बात इस विचारसे उड़ायी गयी थी कि जनताके हृदय सनातनियोंसे विमुख हो जायं। पर इस प्रकारके अपवित्र प्रचार कार्योंसे न तो जनता सनातनियोंसे विमुख हो सकती है और न सुधार-कोंकी प्रतिष्ठा और साख बढ़ सकती है। हां, कुछ समयके लिये वे जनताको धोखा दे सकते हैं, पर अन्ततः सत्य बात प्रकट हुए बिना नहीं रह सकती।

सत्य बात क्या है ?

सत्य बात यह है कि बा० हनुमानप्रसादजी पोद्दार सनातनधर्मी और सुधारकोंको यह मालूम हो चुका था कि उनका भाषण हमारे अनुकूल न होगा। इसीलिये अन्यान्य सनातनी प्रतिनिधियोंकी भांति ही वे निर्वाचित सभापतिसे भी पीछा छुटाना चाहते थे ! वे जानते थे कि बा० हनुमानप्रसादजी समझौतेके अनुसार सभापति हुए और समझौता अस्वीकार करते ही इनसे भी पीछा छूट जायगा इसीलिये सुधारक-प्रचारकार्यकारिणीने पहला काम यह किया कि सभापतिके निर्वाचनको गैर-कानूनी करार देकर रद्द कर दिया किन्तु फिर अपना अधिकार जतानेको उन्हींको सभापति चुन लिया। चाहे यह बात कोई स्पष्ट रूपसे भले ही न कहे पर यह सभापतिका अपमान ही था और अवश्य ही उन्होंने इसको बुरा माना होगा। हमारा तो खयाल है कि सभापतित्व अस्वीकार करनेका एक कारण यह भी रहा होगा कि कार्यकारिणाकी इसी बैठकम (२१ मार्चको) सुधारकोंके अग्रण्य कलकत्तेके बा० पद्मराजजी जैनकी ओरसे पिछले समझौतेको रद्द करनेके लिये जोर देते हुए कहा गया था कि हमारा सङ्गठन एक जबरदस्त चट्टान है और सनातनी शिर फोड़कर मर जायंगे तो भी महासभामें न घुस सकेंगे। जब यह समाचार सेठ नन्दलालजी बङ्का और सेठ शिवरामदासजी केड़ियाने (जो कार्यकारिणीमें सदस्य होनेके कारण उपस्थित थे) सनातनियों तक पहुंचाया तो उन्होंने आनेवाले सभापतिसे इसका जिक्र करना जरूरी समझा। तदनुसार दो एक सज्जन कल्याणीमें उनसे मिले और उनसे प्रार्थना की कि इस परिस्थितिमें कार्यकारिणीका निर्णय प्रकट हो जानेके बाद आपका बम्बई पहुंचना ठीक नहीं मालूम होता है। उन्होंने सबको आश्वासन दिया कि सुधारकोंको समझानेका प्रयत्न किया जायगा क्योंकि सभापतित्व इस शर्तपर स्वीकार किया गया है कि दोनों पक्षके भाई खुले रूपमें प्रेमपूर्वक सम्मिलित हों। तदनुसार स्टेशनपर उतरते हुए उन्होंने स्वागताध्यक्ष बा० बालकृष्णलालजीसे इस सम्बन्धमें वचन मांगा था, जिसपर निर्वाचित सभापतिको विश्वास दिलाया गया कि बा० पद्मराज जैनकी पार्टीका जोर रहते भी हम समझौतेको सलामत ही रहने देंगे, किन्तु बादकी घटनाएं बताती हैं कि इस वचनमें कुछ भी सार नहीं था।

धक्कम धक्का।

अन्तमें धक्कम धक्का और मारपीट हुई। यह बड़े दुःखकी बात है कि इस प्रकारकी घटना हुई। पर इसकी कितनी जिम्मेदारी सनातनियोंपर है यह बात समझानेके लिये नीचे लिखी पंक्तियांपर विचार कर लेना आवश्यक होगा।

बा० हनुमानप्रसादजीके आगमनके पूर्व ही दोनों ओरके स्वयंसेवक-दलोंमें यह समझौता हो गया था कि सभापतिके स्वागतके समय प्रत्येक कार्यमें दोनों दलोंके बराबर आदमी रहेंगे और सब स्वयंसेवकोंको नायकोंकी आज्ञा माननी होगी। किन्तु सभापतिके आगमनपर सुधारक पक्षके स्वयंसेवकों और कई आदमियोंने उन्हें अपने घेरेमें ले लिया और परस्पर हाथ पकड़कर खड़े हो गये। स्वयंसेवकोंकी तो बात ही क्या है, सनातनी पक्षके बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति भी पुष्पहार पहनानेके लिये उन तक मुशिकलसे पहुंच पाये। इसी प्रकार घेरेमें लेकर जब गेटसे बाहर होने लगे तो दर्शनेच्छु जन-समुदायके रेलेमें घेरा टूट गया और धक्कम धक्का होनेके समय कई आदमियोंको साधारण चोटें भी लगीं। सनातनी स्वयंसेवक खाली हाथ थे और महासभाके स्वयंसेवकोंके पास बड़ी २ लाठियां थीं। ज्यादती किसकी थी यह बात इसीसे समझी जा सकती है कि सनातनी पक्षके ४ स्वयंसेवकोंके चोटें आयीं जब कि दूसरे पक्षका कोई आदमी घायल नहीं हुआ।

स्वागताध्यक्षका कोप।

जुलूसके लिये बा० रामेश्वरलालजी बिड़लाकी मोटरमें बा० हनुमान प्रसादजी पोद्दारको बैठाया गया तो इसपर दो कारणोंसे आपत्ति की गयी। पहला कारण तो यह था कि बिड़ला मारवाड़ी अग्रवाल नहीं हैं और घोर सुधारक हैं। दूसरा कारण यह था कि खुद मारवाड़ी अग्रवालोंकी कई अच्छी मोटरें मौजूद थीं मोटरमें बैठते समय दो बातें और भी हो गयीं। पहली बात तो यह हुई कि सनातनी स्वयंसेवकोंको समान रूपमें मोटरके साथ नहीं लिया गया जैसा कि समझौता हो चुका था, दूसरी बात यह कि इस आपत्तिको दृढ़तापूर्वक उठानेवाले एक सनातनी स्वयंसेवकको, (जो महासभाके भूतपूर्व सभापति सेठ आनन्दीलालजी पोद्दारके जमाता हैं.) स्वागताध्यक्ष बा० बालकृष्णलालजी पोद्दारने गला पकड़कर धक्का दे दिया और श्रीकृष्णलालजी रुइयाने (जो सेठ हरनन्दरायजी बैजनाथके लड़के हैं) लातें जमा दीं। उनके व्यवहारसे खिन्न होकर ही यह आपत्ति स्वयंसेवकों तथा अन्य लोगोंकी तरफसे उठायी गयी थी कि इस प्रकारका व्यवहार करनेवाले स्वागताध्यक्षको सभापतिके साथ बैठनेका सम्मान नहीं मिलना चाहिये। इसपर स्वागताध्यक्षकी ओरसे और भी अनुचित भाव प्रकट किया गया और प्रक्षुब्ध लोगोंने उन्हें यथोचित उत्तर दिया। इसलिये अन्तमें उन्हें मोटरसे उतरना पड़ा और उनके मुलाहिजेमें निर्वाचित सभापति भी उतर पड़े और सबके पुकारते रहने पर भी वे किरायेकी गाड़ी लेकर निज स्थानको चले गये।

महासभाके सुधारक स्वयंसेवक कितने शान्तप्रिय थे इसका एक उदाहरण महासभाकी ओरसे किये गये नाटकके समय मिल गया। नाटक अच्छा नहीं हो रहा था जिसपर पैसे देकर आनेवाले बाहरके दर्शकोंने हो हल्ला मचाया। शान्तिरक्षाकी जिम्मेदारीके प्रबन्धमें इसी बातपर लाठियां चलने लगीं। फलतः कई आदमी घायल हुए जिनमें एक नवयुवकको अस्पताल पहुँचाना पड़ा।

यह पंक्तियां निरपेक्ष जनताके सामने रखते हुए हम अपील करते हैं कि सब बातें सुनकर अपना मत दें कि कसूर किसका है?

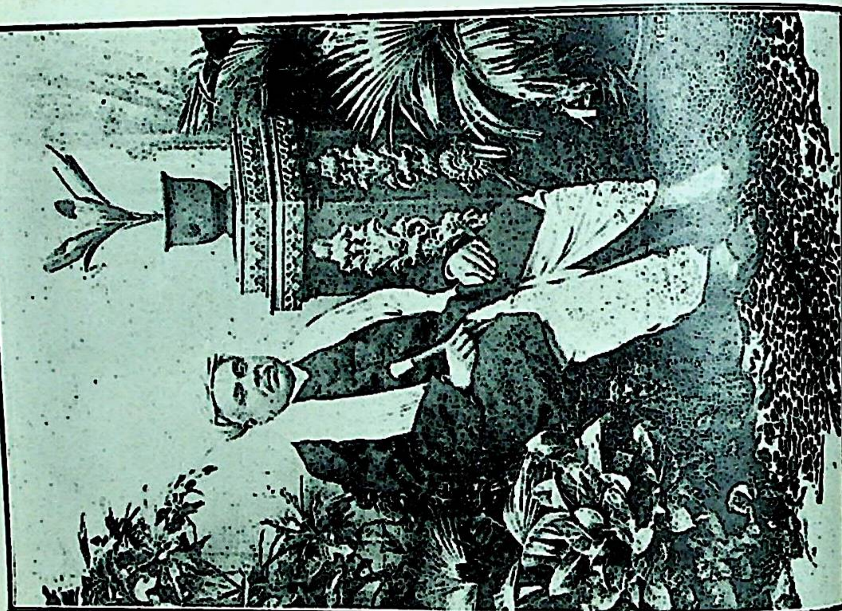
श्रीनिवास बजाज,
शिवरामदास केडिया
मुरलीधर झुनझूनूवाला
गङ्गाबक्स सराफ।

जुदे अधिवेशनकी तैयारी।

इस प्रकार जब महासभाकी कार्यकारिणीने पञ्चायतके निणयको ठुकराकर समझौता भङ्ग कर दिया, जिसके कारण आगत सहस्रों प्रतिनिधियोंको अपमानित होना पड़ा, तब आगत प्रतिनिधियोंमेंसे कुछ सज्जन तथा कुछ बम्बई निवासी बन्धु २३ मार्च शुक्रवारको सबेरे १० बजे श्री सनातन धर्मावलम्बीय मारवाड़ी अग्रवाल सभा भवनमें एकत्र हुए। निश्चित हुआ कि आगत बन्धुओंके इस अपमानका निषेध करनेके लिये तथा भावी कार्यक्रम निश्चित करनेके लिये एक विराट सभा सेठ सुखानन्द जीकी वाड़ीमें की जाय।

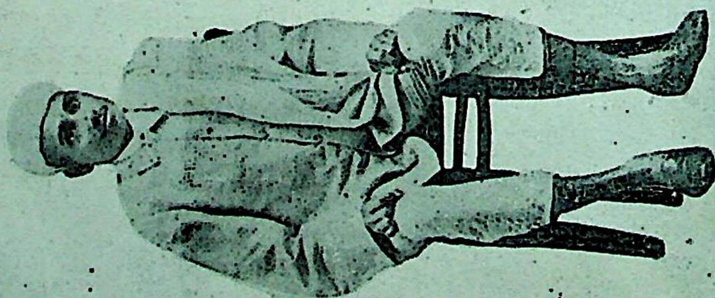
इस सभाकी सूचना हर मारवाड़ी अग्रवाल बन्धुको अवश्य मिल जाय इसलिये यह निश्चित हुआ कि यहींसे एक जुलूस सूचना देनेके अर्थ निकाला जाय। तदनुसार सभाभवनसे एक जुलूस निकला और बातकी बातमें जुलूसके साथ हजारों भाई हो गये। जुलूस कालबादेवी रोड, मारवाड़ी बाजार, जुनी हनुमानगली आदि प्रधान २ सड़कोंसे गुजरता हुआ आगत प्रतिनिधियोंके निवास स्थानोंपर पहुँचा और सबको निर्णयकी सूचना दे दी। जुलूसका उत्साहपूर्वक दृश्य अतुलनीय था। इस जुलूसका प्रभाव इतना पड़ा कि न आनेवाले भाई तक अपना काम धन्धा छोड़ इतनी अधिक संख्यामें एकत्र होने लगे कि से० सुखानंदजीकी वाड़ीका स्थान बहुत छोटा मालूम होने लगा। इस पर सबको लोहाणा वाड़ीमें ले जाया गया जहां पहलेके स्थानकी अपेक्षा बहुत अधिक स्थान था। यहां हम उस विराट सभाका विवरण देते हैं।

निर्णय-सभाके अध्यक्ष.





सनातन धर्मावलंबीय मारवाड़ी अग्रवाल-सभाके उपसभापति.



कहना न होगा, इसी समयके लगभग अर्थात् २-३० बजेसे महासभा का अधिवेशन प्रारम्भ होनेवाला था। परन्तु पञ्चायत और महासभा दोनोंकी उपस्थितिमें जो महान् अन्तर देखनेमें आया उससे विपक्षियोंके हृदय तो दहल ही उठे; साथ ही स्पष्ट रूपसे एक अजान बच्चेतकको भी यह विदित हो गया कि महासभावादियोंकी संख्या दालमें नमक के बराबर भी नहीं। पञ्चायत पार्टीकी इस सभाकी उपस्थिति प्रचण्ड रूपसे अधिक थी और दूसरी ओर मक्खियां भिनभिना रही थीं। सभीके हृदय शुद्ध धर्म-भावोंसे प्रेरित थे। "सनातन धर्मकी जय" "महाराज अग्रसेनकी जय" के गगनभेदी नाद-निनाद विपक्षियोंके हृदयोंमें शूल उपजानेवाले होनेके साथ ही आकाश पर्यन्त गूंज रहे थे।

सभाका कार्य प्रारम्भ करते हुए आरम्भमें श्री भीमराजजीके प्रस्ताव और श्री शिवरामदासजी केड़ियाके समर्थनपर सर्वसम्मतिसे अनुमोदित होकर श्री श्रीनारायणजी गनेड़ीवालेने सभापतिका आसन ग्रहण किया। श्रीसत्सङ्ग-भवनके भक्त-जनोंद्वारा "हरि-नाम कीर्त्तन" सम्पन्न हो चुकनेपर श्री श्रीनिवासजी बजाज ने कहा कि जिस बेदर्दीसे स्वार्थभावनासे प्रेरित मुट्ठीभर, महासभावादियोंने न्यायका गला घोटते हुए हमारे बहुसंख्यक अग्रवाल भाइयों और प्रतिनिधियोंका अपमान किया है, उससे हृदय विह्वल हो रहा है। आवश्यक है कि उन सुधारकोंकी स्वाभावानुरूप छलपूर्ण चालबाजियोंका विवरण आप समस्त भाइयोंके सम्मुख उपस्थित करूं। समझौतेके बाद स्वागतकारिणीके, विज्ञप्ति निकालकर, यह घोषित कर देनेपर कि विधवानाता कर चुकनेवालोंको महासभाके पण्डालमें घुसने न दिया जायगा, हम लोगोंने अधिवेशनमें भाग लेनेका निश्चय कर लिया था। उन्होंने बार बार विज्ञप्ति निकालकर यह भी घोषित कर दिया था कि इस अधिवेशनमें समस्त अग्रवाल भाइयोंको सम्मिलित होना चाहिये। इन्हीं सब आधारों और समझौतेपर हमने अपने भाइयोंको आमन्त्रित कर बुलाया। परन्तु, कौन जानता था कि इतनेपर भी अभी " विष बैठा है मानस कूपमें। " उन्होंने ऐन मौकेपर श्री० हनुमानप्रसादजी पोद्दारके सभापतित्वको अस्वीकार कर दिया और सनातनी प्रतिनिधियोंका प्रवेश महासभामें वर्जित करार देकर उन्हें टिकट देनेसे मुकर गये। यह कितना बड़ा जुल्म है: १०-२५ आदमियोंकी कार्यकारिणीको क्या अधिकार है कि वह बहुमतको ठुकराकर स्वेच्छाचारपूर्वक ऐसी धींगाधींगी करे, नंगा नाच नाचे और महाराज अग्रसेनकी सन्तानोंको उनकी महासभामें आनेसे रोक दे। हमारी पुकार तो उस सर्वन्यायी साक्षीभूत परम पिता परमात्माके दरबारमें है।

जो महासभा अपने प्लेटफार्मपर विधवा-नाता जैसे कुत्सित काण्ड रचाती रही उसके कार्यकर्ताओंके हृदय हमारे इस प्रबल बहुमतको देखकर दहल उठे। वे डरने लगे कि इन सबके द्वारा अब हमारा मार्ग सर्वथा अवरुद्ध हो जायगा। इसी आशङ्कासे भयभीत हो वे विवेक-भ्रष्ट हो बैठे और हम सब भाइयोंका अपमान करना ही अपना कर्तव्य-कर्म समझा। कार्यकारिणीने स्वागत-समितिके प्रतिनिधि-सम्बन्धी विज्ञापित निश्चयको अनियमित ठहराया और इस प्रकार प्राक्तन नियमका भी गला घोटा गया। जिन श्रीयुत बा० हनुमानप्रसादजी पोद्दार को सनातनधर्मावलम्बीय मारवाड़ी अग्रवाल सभाके समझौते तथा पुरानी पञ्चायतके निर्णयपर महासभाकी स्वागत-कारिणीने सभापति पदके लिये चुना था, उनके निर्वाचनको भी अनियमित बतलाकर कार्य-कारिणीने अपना दूसरा सभापति चुन लिया है। अब तो आपके सामने एक मात्र यही मार्ग बच रहा है कि धर्मरक्षाके नामपर आप यह खुले शब्दोंमें घोषित कर दें कि इतने बड़े बहुतमतको ठुकरानेवाली १०-१५ आदमियोंकी कठपुतली महासभा मारवाड़ी-अग्रवाल भाइयोंकी प्रतिनिधि संस्था नहीं रही। आपके भाषणकी समाप्तिपर श्री दुर्गाप्रसादजी झुनझुनूवालाने बड़े ही जोरदार और मार्मिक शब्दोंमें महासभावादियोंके इस मिथ्या कथनका खण्डन किया कि पञ्चायती महासभाको तोड़ना चाहते हैं और बतलाया कि नियम तो यह था कि १८ वर्षका वयवाला प्रत्येक व्यक्ति महासभाका प्रतिनिधि हो सकेगा पर, आज उन्होंने अपने हाथों ही अपने इस नियमकी अन्त्येष्टि कर डाली। महासभा बहुमतकी हो सकती है, समाजकी हो सकती है १५ या २५ की नहीं। क्या चार हजार प्रतिनिधियोंको ठुकरानेवाले स्वागताध्यक्ष और सभापति इस नादिरशाहीके लिये धिक्कारके पात्र नहीं। (जरूर हैं "अवश्य हैं" "धिक्कार है धिक्कार" की तुमुलध्वनि।) लोग अपने घरका कामकाज व्यापार-हाल छोड़कर इतनी दूर सभाके लिये ही आये, पर अब कौन सुने उनकी दुःख गाथा ? आज कुछ इने गिने लोग अपनी टांग महासभामें अड़ा बैठे हैं। क्या उनका ऐसा करना कभी भी न्याय सङ्गत हो सकता है, यह विचारिये। हम सब महासभामें सम्मिलित होनेके लिये तैयार बैठे हैं परन्तु उनकी ओरसे किया जानेवाला यह अन्याय तो उफ! असह्य है। कलकत्तेसे प्रचारमन्त्री, महामन्त्री आदि बड़े नेता लोग तो महासभामें सम्मिलित होनेके लिये इतनी दूर चलकर आये हैं और उधरसे दोष यह दिया जा रहा है कि वे महासभाको तोड़ना चाहते हैं। कैसा उन्माद है? कैसी बे सिर पैरकी सूझ है? इसके पश्चात् श्री शिवरामदासजी कोड़ियाने अपने भाषणमें अनेक अवसरोंका जिक्र करते हुए सेठ जमनालालजी

अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी अग्रवाल पंचायतके स्वागत-मंत्री.



बाबू श्रीनिवासजी बजाज.

बजाजकी आन्तरिक-दुर्भावनाओंको लोगोंके सामने प्रमाणित किया! आपने लोगोंके सामने क्रमसे प्रश्न रखते हुए पूछा-(१) क्या आप विधवा-विवाह चाहते हैं?" (२) "क्या अछूतोंके साथ भोजन करना आपको स्वीकृत है?" (३) "क्या आप ऐसोंके साथ रोटी बेटीका सम्बन्ध करनेको तैयार हैं?" इन प्रश्नोंके उत्तरमें "नहीं-नहीं" की तुमुल ध्वनिसे सभाभवन गूँज उठा। किसी एकने भी समर्थन न किया। इसपर आपने कहा-'अच्छा' यदि इस प्रकारकी वास्तविक लगन आपके उर-अन्तरमें लगी है तो मैं आपसे केवल एक भिक्षा मांगता हूँ और वह यह है कि आप तुरन्त अपने २ ग्रामोंमें सङ्गठन करनेकी प्रतिज्ञा करें। अनेक लोगोंने इस आह्वानपर तत्परतापूर्वक कार्य करनेके लिये नाम लिखा कर दृढ़ता प्रकट की।

इसी बीचमें महासभासे समझौता करनेके लिये आनेका, आमन्त्रण आया। श्री श्रीनिवासजी आदि लोग गये भी पर केड़ियाजीने कहा कि मुझे उनके इस आमन्त्रणपर विश्वास नहीं, भले ही यह स्पष्टोक्ति कटु जान पड़े किन्तु मैं तो साफ कहूँगा कि इस मिश्रीके भीतर अफ़ीमकी गोली है। हमें अपने सङ्गठनके कार्यमें ही सफलता मिल सकती है।

श्री पं० अखिलानन्दजी।

इसके पश्चात् जयध्वनिके मध्य भाषण करनेके लिये कविरत्न पं० अखिलानन्दजी उठे आपने कहा गयन्द और गीदड़की दोस्ती कसी? जिस महासभामें इने-गिने मुट्ठीभर आदमी हों वह सभा महासभा कैसे हो सकती है? महासभा तो हमारी पञ्चायत है जिसकी उपस्थिति देखकर उनकी बुद्धि कलाबाजियां ले रही है। धोबीका नाम रामपाल रख देनेसे वह 'राम' कदापि नहीं हो सकता।

श्री० हनुमानप्रसादजीका अपमान महासभावादियोंकी धृष्टताका निकृष्टतम-नमूना है। नास्तिकता और आस्तिकताका समझौता नितान्त असम्भव है। प्रत्येक बात तर्क ही द्वारा सिद्ध करनेकी चेष्टा करना मूर्खता है। कोई अपने बापका बेटा तर्क द्वारा नहीं हो सकता। धर्ममें तर्क करना व्यर्थ है, दलीलबाजी कमजोर है। सुधारवाद, निरावलम्ब है। उनके पास शास्त्रका कोई प्रमाण नहीं। इने गिने लोगोंके पीछे चलकर समाजका समाज अन्धकूपमें गिरनेको कदापि प्रस्तुत नहीं हो सकता। अतएव आवश्यक है कि उन पतितोंको समाजसे पतित कर बहिष्कृत कर दिया जाय। इस कार्यवाहीके बाद निम्नलिखित तीन प्रस्ताव सर्व-सम्मतिसे स्वीकृत हुए:—

(१) अ० भा० मा० अ० महासभामें सम्मिलित होनेके लिये उसके स्वागताध्यक्ष और मन्त्रीके निमन्त्रणसे हम लोग समय और कष्ट तथा आर्थिक हानिकी भी पर्वाह न करके बम्बई आये थे। किन्तु महासभाकी विज्ञप्तिसे ज्ञात हुआ कि महासभाके कार्यकर्ताओंने महासभाका द्वार अग्रवाल भाइयोंके लिये बन्द कर दिया है और ऐसी ही चालबाजियां दो वर्षोंसे कर रहे हैं । इसलिये महासभाके वर्तमानकार्य सञ्चालकोंपर आजकी यह बम्बई और अखिल भारतवर्षके भिन्न २ प्रान्तोंसे आये हुए मारवाड़ी अग्रवालोंकी विराट सभा घोर घृणा प्रकट करती है।

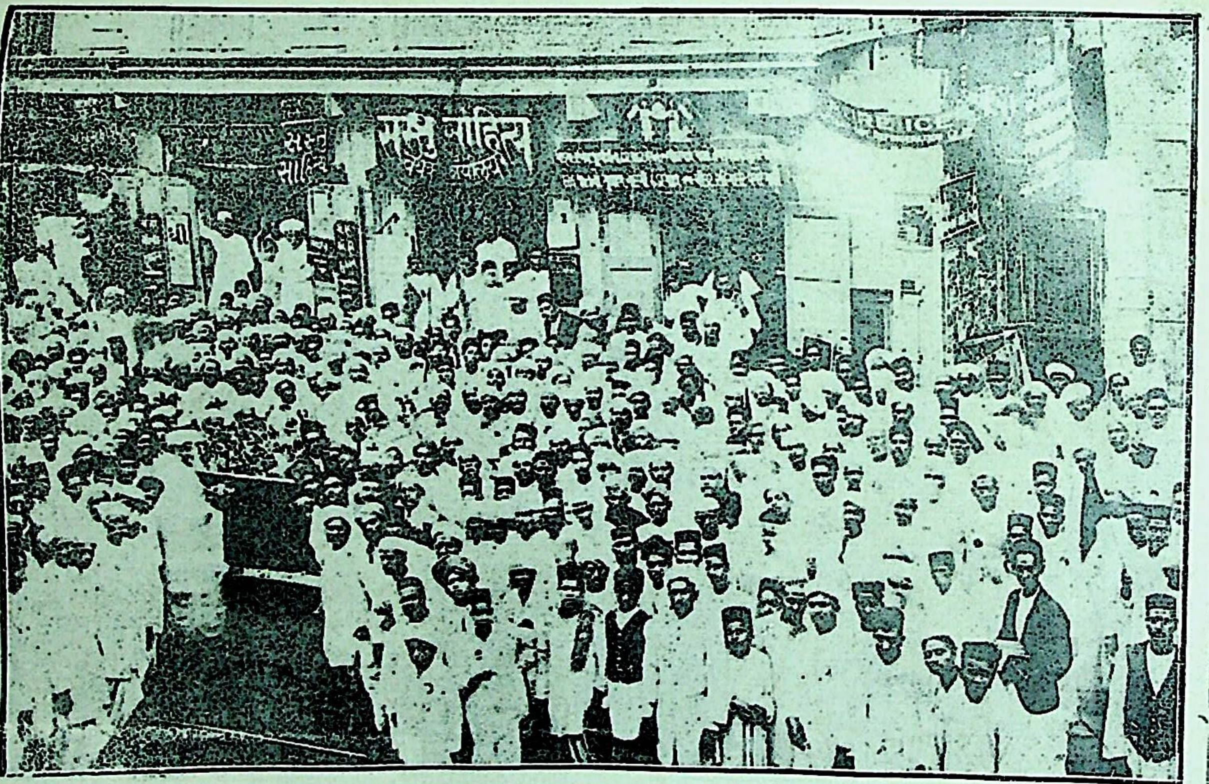
(२) अ० भा० मा० अ० महासभाके कार्यकर्ताओंने भारतवर्षके समस्त अग्रवाल भाइयोंको झूठे आमन्त्रण पत्र देकर धोखा दिया है। समस्त भाइयोंको महासभाके स्टेजपर जानेके लिये टिकट न देकर वंचित रक्खा है। अतः बाहरके आये हुए प्रतिनिधि तथा बम्बईके समस्त मारवाड़ी अग्रवाल घोषणा करते हैं कि भविष्यमें महासभा जातीय संस्था न समझी जाय।

(३) हम समस्त भारतवर्षके मारवाड़ी अग्रवाल अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी अग्रवाल पञ्चायतके कार्यकर्ताओंसे प्रार्थना करते हैं कि कल हीसे पंञ्चायतका अधिवेशन आरम्भ कर दें।

महासभाके स्वेच्छाचारी कार्यकर्ता और उनके हिमायतियोंकी छातीपर उपर्युक्त प्रस्ताव सर्व सम्मतिसे स्वीकृत हो गये। अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी अग्रवाल पञ्चायतके प्रमुख कार्य-कर्ता श्री० बिलासरायजी डालमियां, प्रचारमन्त्री श्री० राधाकृष्णजी बुधिया आदि महानुभावोंने सर्वसाधारणकी आज्ञा शिरोधार्य्य की। निश्चय हुआ कि अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी अग्रवाल पञ्चायतके अधिवेशनका सभापतित्व मारवाड़ी समाजके सुप्रतिष्ठित श्री० कन्हैयालालजी पोद्दार स्वीकृत करें। उनकी स्वीकृतिपर जनताने सभापतिका जुलूस निकालनेका आग्रह किया। प्रथम तो निर्वाचित सभापतिजीने जुलूस निकालनेकी इजाजत नहीं दी, पर जनताके बहुत आग्रह करनेपर जुलूस निकालनेकी सभापतिने स्वीकृत दी।

सभापतिका जुलूस।

पञ्चायतके विशेषाधिवेशनके निर्वाचित सभापतिजीका खूब शानदार जुलूस निकालनेकी तैयारियां बातकी बातमें वहीं बाड़ीमें होने लगीं। देखतेही देखते वह आन बान शानका जुलूस निकला जिसमें नरसमुद्र तो उमड़ा पड़ा ही था किन्तु बम्बईके बड़े बड़े बूढ़ोंका कहना है कि ऐसा जुलूस इसके पहले कभी नहीं निकला। हर कदम कदमपर सभापतिजीको पुष्पहार पहनाये जा रहे थे ऊपरसे पुष्पोंकी वर्षा हो रही थी। " महाराज



विशेषाधिवेशनके सभापतिके जुलूसका एक दृश्य।

अग्रसेनजी की जय" सनातन धर्मकी जयके नारे गूंज रहे थे। मोटर बग्गी एवं ट्रामवेवालों तकको उत्सव (जुलूस) इतना लुभावना मालूम देता था कि वे भी थम थमकर छटाको निहारते जाते थे। क्या ही अनोखी छटा थी उस अग्रसेनवंश समुदायकी महासभाके पण्डालके बाहर जुलूस पहुंचनेपर जुलूसमें कितनेही महासभावादी प्रतिनिधि भी महासभाके अधिवेशनसे घृणा प्रदर्शित कर आकर सम्मिलित हो गये। जुलूसमें १५ हजारसे अधिक जनता सम्मिलित थी। जुलूस प्रमुख प्रमुख सड़कोंसे गुजरा सभापतिपर अपने घरोंसे देवियोंने पुष्पवर्षा की। खूब उत्साहसे जुलूस विसर्जन किया गया। कलसे पञ्चायतके होनेवाले महान अधिवेशनके लिये आगत प्रतिनिधियों और बम्बईनिवासियोंमें खूब उत्साह था।

"स्वागत-कारिणीका निर्वाचन"

जुलूसको विसर्जन कर लेनेके पश्चात् स्वागतकारिणी समितिका निर्वाचन हुआ।

महासभाके स्वागत मन्त्री कट्टर सुधारक श्री. नारायणलालजीके वयोवृद्ध सनातनी पिता राजा-बहादुर श्रीमान सेठ बंशीलालजी पित्ती सर्व सम्मतिसे स्वागताध्यक्ष चुने गये स्वागत मन्त्री बा० श्रीनिवासजी बजाज नियुक्त किये गये।

सदस्य—

श्री-रंगनाथजी बजाज
श्रीलच्छीरामजी चुड़ीवाले
" शिवरामदासजी केड़िया
" गङ्गाबक्सजी सराफ
" मंगतुरामजी रुईया
" बृजमोहनजी रुईया
" बंशीधरजी चोखानी
श्रीबाबूलालजी बागला
" महादेवजी गाडोदिया
" सेड़करामजी झुंझनुवाला
" नंदलालजी देवड़ा
" पूरनमलजी चोखानी
" किशनलालजी जालान
" शिवचन्द रायजी झुंझनुवाले

" इन्द्रलालजी देवड़ा
" मुरलीधरजी चोखानी
" केदारमलजी लढ़िया
" गुलराजजी डालमियां
" रामकुमारजी हरलालका
" रामकुमारजी मुरारका
" मुरलीधरजी झुंझनुवाले
" सन्तलालजी उमरिया
" श्यामदेवजी तोदी
" दुर्गादत्तजी केजड़ीवाल
" नागरमलजी पोद्दार

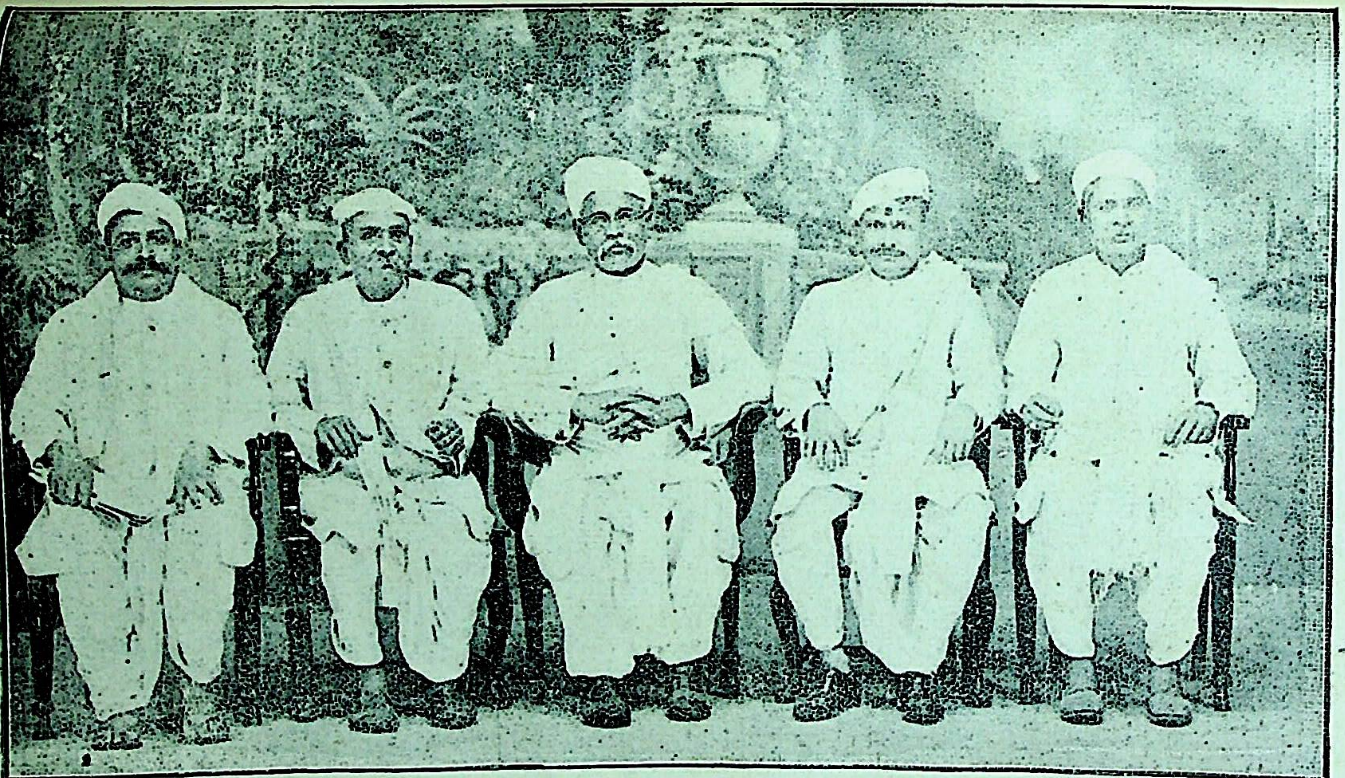
"पंडाल"

स्वागत समितिका निवार्चन हो चुकनेपश्चात् 'पंडाल' बनानेकी तरकीब सोची गयी। इतने प्रचण्ड जन समुदायके लिये विशाल पंडालकी निश्चय ही आवश्यकता थी। तब महाजनबाडीमें रात्रिको १० बजे पंडाल बांधा जाना शुरू हुआ। सुवह १० बजे तक १०००० आदमियोंके लिये कुर्चीयां आदि सजाकर सारा काम बिलकुल टंच हो गया। भगवान श्रीकृष्णके दूत विश्वकर्मा द्वारा सुदामाकी झोंपड़ीके एक रातमें राजमहल बनाये जाने की तथा छत्रपति शिवाजीके एक रात्रिमें किल्ला बंधवानेकी बातोंमें शंका करनेवालोंको भी अपना समाधान कर दांतो उंगली दबानी पड़ी। पंडालकी सजावट देखने ही लायक थी।

"प्रतिनिधि टिकिट"

कहते हर्ष होता है कि जाति बान्धवोंका कार्य बिजलीकी ऑटोमेटिक मेशीनकी तरह हो रहा था। आगत प्रतिनिधि तथा बम्बई स्थित प्रतिनिधियोंका प्रवेश द्वारपर तांता बंधा. टिकट देनेके लिये छः छः बुकींग ऑफिस खोले जाने पर भी जब काम न चला तब विवश हो सकल बन्धुओंको विना रोक टोकके अन्दर जानेके लिये प्रवेशद्वार खोल देना पड़ा। छः छः ऑफिस खोल देनेपर भी प्रतिनिधि बन्धुओंको जो तकलीफें उठानी पड़ी इसके लिये कार्याधिक्यताका विचार कर प्रतिनिधि बन्धु हमें क्षमा करेंगे।

पंडाल समिति.



दाहिनी ओरसे—बा. लच्छीरामजी चुडीवाला, बा. महादेवजी गाडोदिया, बा. सेवकरामजी झुंझनुवाला, ब. नंदलालजी देवडा, बा. पूरनमलजी चोखानी,

प्रतिनिधियोंकी नामावलि–

हम ऊपर बता चुके हैं कि प्रतिनिधि बंधुओंके लिये छःछः टिकिट ऑफिस खोलनेपर भी काम न चल सका और हमें विवश हो उन्हें विना किसी प्रवेशपत्रके प्राप्त किये अधिवेशनमें जानेके लिये प्रवेश द्वार खोल देना पड़ा। ऐसी अवस्थामें यद्यपि हम पचीस सौसे ऊपर प्रतिनिधियोंके नाम प्रकाशित करभी सकते थे तथापि सबके नाम प्रकाशित करनेमें असमर्थ हैं और इसलिये आधेसे भी कम नाम प्रकाशित-करना उचित न समझ नामावलि प्रकाशित न कर सकनेके लिये प्रतिनिधि-बन्धुओंसे क्षमा चाहते हैं। आशा है प्रतिनिधि-बन्धु हमारी इस विवशतापर विचार कर हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे।

अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी अग्रवाल पञ्चायतके विशेषाधिवेशनका संक्षिप्त कार्य विवरण।

अधिवेशनारम्भके घण्टों पहिले प्रतिनिधियोंने पण्डालमें आसन जमाना शुरू कर दिया। देखते २ मारवाड़ी बन्धुओंकी नवविकसित सुरम्य वाटिकाके रंगबिरंगे फूलोंकेसे रंगोंकी पगडियोंने पण्डालकी शोभा को सहस्रगुणित कर दिया। उत्साहमें पगे बन्धुओंको एक एक मिनट घण्टोंका काम कर रहा था-बीच बीचमें जयघोष होता जाता था। यथा समय सभापतिजीके पधारनेपर पूज्य चरण श्री अग्रसेनजी की जय व श्री सनातन धर्मकी जयके निनादसे मंडपाकाश गूंज उठा तथा अधिवेशन-कार्यारंभ हुआ।

मंगलाचरण।

पं० बालचन्द्रजी शास्त्री विद्यावाचस्पतिने निम्नाङ्कित स्वरचित मङ्गलाचरण गाया।

(१)

यन्मङ्गलं श्रीव्रजराजगेहे व्रजे रमाक्रीडनभूमिमुख्ये।
यन्मङ्गलं श्रीमदयोध्यिकायां तन्मङ्गलं स्यादिह मण्डपे च॥

(२)

यन्मङ्गलं गोकुलमर्चनीयं संवर्तते वेदपुराणमार्गे।
पतिव्रतानां रमणीमुखानां प्रभावतो मङ्गलमत्र नित्यम्॥

(३)

यन्मङ्गलं वेदविधानयज्ञे यन्मङ्गलं प्रेमरसे विचित्रे।
यन्मङ्गलं बालकयुक्तगेहे तन्मङ्गलं स्तादधुना सभायाम्॥

(४)

श्रीकृष्णचन्द्र! श्रुतिविज्ञविप्रा मूलं यदीयं स सनातनो वै।
धर्मः सदा मङ्गलमत्र कुर्याद् यस्याग्रतो नैव कथास्ति पापा॥

(५)

श्रीलाग्रसेनोऽपि विशांवरिष्ठस्ववंशा शान्त्याविधुताधिवर्गः ।
गोविप्रसेवाहृदयस्सदैव स मङ्गलं नित्यमिहातनोतु ॥

ईशस्तवन.

तदनंतर स्थानीय मारवाड़ी व्यापारिक स्कूलके विद्यार्थी बालकोंने कोमल स्वरमें ईशस्तवन किया ।

"स्वागत"

इशस्तवन हो जानेपर बाबू दुर्गादत्तजी केजड़ीवालने स्वरचित स्वागत गान मधुरस्वरोंमें गाकर भारतके हर कोने कोनेसे पधारनेवाले सन्माननीय प्रतिनिधि बन्धुओंका हार्दिक स्वागत किया ।

"स्वागत गान

पधारो अग्रसेन परिवार !
स्वागत ! स्वागत ! धम रक्षको ! अग्रवाल सरदार ॥ टेर ॥
जीवनभेंसे जातिके हित लगे न यदि दिन चार ।
उन पामर जीवोंसे जगमें केवल वढ़ा भू भार ॥ पधारो० ॥
डांवाडोल पड़ी जातिकी नैया भवनिधि धार ।
क्या तुम३०लाख होकर भी नहीं कर सकते पार॥ पधारो०॥
जिने वीरोंने किया जाति हित तनमन धन बलिहार ।
पुजे गये पुरुषोत्तम वनकर, कहलाये अवतार ॥ पधारो० ॥
विधवानाता हाय ! रचाते, फैलाते व्याभिचार ।
अग्रवंश रखनेका दावा, गर हो, दो फटकार ॥ पधारो० ॥
जाति पांतिका भेद तोड़ते करते एका कार ।
होते भंगी इक भंगी संग यह कैसा उद्धार (!) ॥ पधारो०॥
आप पधारे दूर दूरस सहकर कष्ट अपार ।
मेटो संकट, जाति उबारो, सेवक रहा पुकार॥ पधारो० ॥

तदनंतर पं० अनोखे लालजी संगीत विशारदने एक सुमधुर गान गाकर आगंतुक प्रतिनिधि गणोंका आभार मानते हुये स्वागत किया। स्वागतादि होलेनेपर स्वागताध्यक्षजीने अपना भाषण पढ़कर सुनाया । वृद्धावस्थाके कारण श्रीराजाबहादुर बंसीलालजी पित्ती अपना भाषण पूर्ण न कर सके, क्योंकि जनता की संख्या पुष्कल होनेसे आपकी आवाज सुनाई पड़नेमें कठिनाई होती थी तब बाबू विलासरायजी डालमियां

अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी अग्रवाल पंचायतके विशेषाधिवेशनके स्वागताध्यक्ष.



राजाबहादुर सेठ बंसीलालजी पित्ती.

मंत्री आखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी अग्रवाल पंचायतने स्वागताध्यक्षका भाषण पढ़कर सुनाया जो इस प्रकार है

स्वागताध्यक्षजीका भापण।

(अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी अग्रवाल पञ्चायतके प्रथम विशेषाधिवेशनके स्वागताध्यक्ष राजाबहादुर श्रीबन्सीलालजी पीत्तीने जो महत्त्वपूर्ण भाषण किया उसका महत्त्वपूर्ण अंश इस प्रकार है)

इतने थोड़े समयमें आदरा तिथ्यका प्रबन्ध करनेमें हौसले पूरे न होनेके लिये क्षमा प्रार्थना करते हुए और सबका पुनः पुनः हृदयसे स्वागत करते हुए आपने कहा—

आत्मा नहीं चाहती इस आनन्दके समयमें समाजकी भयंकर परिस्थितिका फोटो आपके सामने खींचूं, किन्तु समाजकी बुराइयोंको जनता जनार्दनके सामने भी न रखा जाय तो न तो उनपर पूर्णरूपसे विचार हो सकता है और न समाज भाइयोंको त्रुटियोंका अनुभव ! फिर वे कैसे दूर हो सकती हैं ?

मारवाड़ी समाज सदासे ही धार्मिक सिद्धान्तोंसे ओत प्रोत है और उसीका यह प्रताप आज आप लोगोंको दिखलायी दे रहा है कि देश देशान्तरोंमें लोग हमारी जातिका नाम बड़े आदरसे लेते हैं। भारतवर्षके किसी भी ग्राम, नगर व शहरमें आप चले जाइये उसीमें मारवाड़ियोंकी बनायी हुई धर्मशालाएँ तथा कुए,बावड़ियां और मंदिर आदि कीर्ति स्वरूप दिखायी देंगे। भारतवर्षमें धार्मिकतामें गर्व करने योग्य यदि कोई जाति है तो वह हमारी मारवाड़ी अग्रवाल जाति ही है। किन्तु दुःखके साथ कहना पड़ता है कि ऐसी धर्मप्राण और सात्त्विक भावापन्न मारवाड़ी अग्रवाल जातिमें कुछ पाश्चात्य भावोंसे परिपूर्ण व्यक्ति अधार्मिकता घुसाकर जातिको नाशके रास्तेपर ले जानेके लिये कटिबद्ध हो रहे हैं। विचार स्वातन्त्र्यकी आड़में सामाजिक और धार्मिक नियमोंकी अवहेलना करके जातिकी शृंखलाओंको भङ्ग करनेकी चेष्टा समाज सुधारके नामपर की जा रही है।

धार्मिक और सामाजिकनियमोंमें विचार स्वतन्त्रताको गुञ्जायश नहीं है। किन्तु एस विकृत मास्तिष्क लोगोंको रास्तेपर लानेके लिये हम इस बातको मानते हैं कि जहांतक हो प्रेमसे ही काम होना चाहिये, पर जब प्रेमको ठुकराकर वे लोग अपना वीभत्सरूप प्रकट कर देते हैं और किसी तरहसे समाजका साथ देना वा समाजके साथ रहना नहीं चाहते ऐसी स्थितिमें समाजका जो कर्तव्य है वह सरल हृदय महानुभाव स्वयम् विचार सकते हैं।

सभी श्रेणीके भाई चाहते हैं कि हमारे अग्रवाल समाजमें जो नाना प्रकारकी कुरीतियां घुस गयी हैं वह दूर होकर समाजका रूप स्वच्छ और

सुन्दर हो। यदि दुराग्रह और हठ छोड़कर निष्पक्ष भावसे समाजकी मङ्गल कामना हृदयमें रखते हुए सुधार किया जाय तो ऐसी कोई भी उलझन नहीं जो सुलझ न सके। परन्तु उलझनोंको सुलझानेकी जगह समाज सुधारके बहाने समाजके ऊपर अपने अपने व्यक्तिगत मत जबरदस्ती लादे जा रहे हैं।

मैं फिर भी यही कहूंगा कि जिन भावी सन्तानोंसे समाजको बड़ी बड़ी आशायें थीं उन आशाओं पर इनकी कुशिक्षाके प्रभावसे पानी फिर रहा है। दुःख है कि जो अपनेको शिक्षित कहते हैं उन्हींके द्वारा आज समाजकी यह दुर्दशा होती है। क्या इस तरहके दुराग्रह और खींचा तानीसे किसी भी समाजकी उन्नति हुई है?

मारवाड़ी अग्रवाल समाज वर्ण व्यवस्थाको माननेवाला और शास्त्रकी मर्यादाओंको आदरके साथ हृदयङ्गम् करनेवाला है। इस समाजके अधिकांश कृत्य धार्मिक मर्यादाओंसे सने हुए होते हैं ऐसी स्थितिमें अधार्मिक भावोंको यदि समाज ठुकराता है तो बुरा ही क्या करता है? इसलिये मैं समाजके हृदयवान भाइयोंसे सादर निवेदन करता हूं कि आप जितनी जल्दी हो सके और जिस मर्यादित नीतिसे हो सके इस वर्तमान सामाजिक कलहका अन्त करनेका प्रयत्न करें।

मारवाड़ी अग्रवाल समाजकी व्यापारिक स्थिति भी इस समय डावां डोल सी हो रही है। हजारों गृहस्थोंकी आर्थिक स्थिति शोचनीय हो रही है। समाजके सामने बड़ेसे बड़ा प्रश्न इस समय यदि कोई है तो वह यही है कि समाजकी आर्थिक स्थितिपर सुचारुरूपस विचार करके इसको सुधारा जाय। बेकार भाइयोंकी बेकारी दूर करनेका उपाय सुसंगठित रूपसे किया जाय। जिस प्रकार कमसे कम उनका गृहस्थजीवन दुःखमें व्यतीत न हो, वह उपाय तुरन्त और अवश्य किया जाय।

समाजके सामने बाल वृद्ध और बे जोड़ विवाहका प्रश्न भी उपस्थित है किन्तु कितने ही अंशोंमें अब ये प्रश्न तो हल होते जा रहे हैं। ऐसे विवाहोंको समाज अब बहुत ही घृणाकी दृष्टिसे देखता है और उसका शुभ फल भी हो रहा है। ऐसे विवाह समाजमें अब बहुत ही कम होते हैं किन्तु हम लोगोंको ऐसा प्रबन्धकर लेना चाहिये कि ऐसी कुप्रथाओंको समाजसे एक बार ही नेस्त नाबूद कर दें।

संसारमें मानके साथ सुख शान्तिसे निवास करनेके लिये शारीरिक बलकी भी बड़ी आवश्यकता है। कितने ही महापुरुषोंका मत है कि कमजोर रहकर जीना महापाप है, समाजमें धनिक होनेसे ही उन्नतिकी चरम सीमा नही मानी जा सकती। धनकी रक्षा करनेकी ताकत भी आपमें होनेकी आवश्यकता है। इसलिये बालकोंको व्यायाम करने और शारीरिक बल बढ़ानेकी ओर प्रवृत्त कराना अत्यावश्यक है।

समाजमें त्रुटियां हैं और जिस तरहसे सुधार होकर सुचारु रूपसे इसका सञ्चालन हो इन सब बातोंको हमारे माननीय महानुभाव सभापति सेठ कन्हैयालालजी पोद्दार आप लोगोंको अपने भाषणमें बतावेंगे । मुझे इतना समय ही न मिला जिसमें अपने भावोंको आप महानुभावोंके सामने अच्छी तरहसे लिपि बद्ध करके रख सकूं। आशा है इस त्रुटिपर आप लोग विशेष ध्यान न देकर भविष्यके कार्यको सुचारु रूपसे चलानेके लिए कटिबद्ध होंगे ।

अन्तमें आपने प्रतिनिधियोंका फिर एकबार स्वागत किया और सभापतिके निर्वाचनका प्रस्ताव करते हुए अपने भाषणको घन घोर करतल ध्वनिके मध्य समाप्त किया। सभापतिके लिये प्रस्ताव अनुमोदनादि हो लेनेपर मथुरानिवासी श्रीमान् सेठ कन्हैयालालजी पोद्दारने विनय दर्शाते हुये अपना निश्चत सिंहासन ग्रहण किया। अनुमोदन करते समय कहा गया कि एक तरफ पांच सात आदमियोंकी चंगुलमें फंसे हुये छोटे भाई बालकृष्णलालजी पोद्दार महासभाके स्वागताध्यक्ष हैं तो दूसरी तरफ मारवाड़ी अग्रवाल समाजके हृदय सम्राट पंचायतके विशाल अधिवेशनके सभापति उन्हींके बड़े भाई कन्हैयालालजी पोद्दार हैं। जनताकी आंखोंमें धूल झोंकनेवाले सुधारकोंको प्रभू सुमार्गपर लानेकी कृपा करें। सभापतिजीका विद्वता पूर्ण भाषण नीचे दिया जाता है। इसे आपने ही बड़ी योग्यताके साथ पढ़कर सुनाया था। साहित्य सेवी होनेसे आपके भाषणमें जो रस-प्रतिभा एवं माधुर्य्य था वह अनोखा था।

श्रीमान सेठ कन्हैयालालजी पोद्दारका अभिभाषण।

कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानाम्
पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य ॥
विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानाम्
बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम ॥ १ ॥

सजलजलदनीलं दर्शितोदारशीलं करघृतवरशैलं वेणुवाद्ये रसालम्।
व्रजजनकुलपालं कामिनीकेलिलोलं तरुणतुलसिमालं नौमि गोपालबालम्॥ २॥

प्रिय बन्धुगण !

मैं आप महानुभावोंके समक्ष कुछ निवेदन करूं, इसके प्रथम मेरा कर्त्तव्य है कि आप सज्जनोंने जो मेरा इस पदके लिये निर्वाचन किया है और गत दिवस जो आप महानुभावोंने इस सेवकको जो अदम्य हार्दिक उत्साहके साथ सम्मान प्रदान किया है, और अत्यन्त कष्ट उठाया है, उसके लिये आपकी सेवामें धन्यवाद अर्पण करूं। यद्यपि वह मेरे जैसे साधारण व्यक्तिके लिये अयोग्य होनेपर भी अवश्य ही आप महानुभावोंके योग्य था।

आज मुझे यह प्रगट करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आप महानुभावोंने सनातनधर्मकी नाव जो कुछ सुधारक-नामधारियोंके अधर्मके तूफानसे डगमगा रही थी-हिल रही थी-उसकी रक्षाके लिये अपने आवश्यकीय कार्य्योंको और मार्गके परिश्रमको कुछ भी न गिनकर यहां पधारकर सनातनधर्मपर अपना दृढ़ और अचल विश्वास प्रमाणित कर दिया है।

अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी अग्रवाल महासभा नामक संस्था जो लगभग ९ वर्षसे प्रचलित थी, अबतक उसे प्रायः समस्त मारवाड़ी अग्रवाल भाई अपनाये हुए थे और उसके द्वारा समाजमें प्रचलित कुरीतियोंके संशोधन हो जानेकी बड़ी २ आशायें चित्तमें कर रहे थे और वस्तुतः पिछले २ वर्षों तक उसने अपने कर्त्तव्यका पालन यथासाध्य किया और अपने पर अग्रवाल समाजका विश्वास भी बनाये रक्खा। सुधारक नामधारियोंकी अनार्य इच्छायें उस समय तक कुछ भी सफलीभूत न हुईं; किन्तु खेद है कि गत वर्षके कलकत्तेके अधिवेशनसे सुधारकोंने महासभाको अपने हस्तगत करनेकी और अपने मनमाने भ्रष्टाचारको समाजमें प्रचारित करनेकी चेष्टा प्रारम्भ करदी और इस वर्ष तो उन्होंने अधिवेशनके ऐन समय पर अपना असली रूप प्रगट कर दिया है; सो अच्छा ही हुआ, क्योंकि वह तो एक न एक दिन होना ही था। पूज्यपाद गोस्वामीजीका यह सिद्धान्तवाक्य कि "उघरे अन्त न होहि निबाहू। कालनेमि जिमि रावण राहू" क्या कभी मिथ्या हो सकता है? हम लोगोंको यह बात स्वप्नमें भी संभव मालूम न होती थी कि अ० भा० मा० अग्रवाल महासभाके मंचपर विधवानाता और भंगी-चमारोंके साथ खान-पान करने जैसे जघन्य पापकर्मोंके विरुद्ध कुछ करनेकी आवश्यकता हो जायगी। पर, शोकका विषय है कि आज ऐसे पाप-कार्योंके विरुद्ध केवल कुछ कहनेकी आवश्यकता ही नहीं किन्तु उस अ० भा० मा० अग्रवालमहासभा नामधारी संस्थासे असहयोग करने पर उतारू होना पड़ा है। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण आप लोगोंको गत कल दिनकी सभामें मालूम हो चुका है। फिरभी, संक्षेपमें प्रगट कर दिया जाता है कि हम सब लोगोंकी यह इच्छा कदापि न थी कि मारवाड़ी समाजमें दलबंदी होकर उस प्रचलित संस्थाको तोड़ दिया जाय,। हम लोगोंका ध्येय यही था कि किसी भी प्रकार परस्परमें विवादग्रस्त विषयोंका फैसला कर लिया जाय। पर, उन लोगोंका अभीष्ट कुछ दूसरा ही था। वे नहीं चाहते थे कि महासभामें सनातनधर्मी-सिद्धान्तोंका समावेश हो, पर वे तो यह चाहते थे कि हमारे भ्रष्टाचार सारे मारवाड़ी अग्रवाल समाजमें प्रचलित हो जायँ। उनके इस प्रकार मनोमोदकका आस्वाद लेनेका कारण यह था कि उन्होंने एक-दो विधवानाते करा दिये और दो-चार महापुरुषोंने भंगी चमारोंके हाथका भोजन भी

कर लिया। इसीसे वे अखिल मारवाड़ी अग्रवाल समाजपर अपनी विजय हुई मानकर फूले नहीं समाते थे और ऐसे पापकर्मोंके करने पर भी वे लज्जासे नतग्रीव न होकर उलटे अपनी निर्लज्जताको समाज द्वारा निर्दोष प्रमाणित कराना चाहते थे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि हमारा अग्रवाल-समाज बच्चोंका खिलवाड़ नहीं है जिसे जिधर चाहे फुसलाकर फेर दिया जाय। हमारा समाज वह समाज है जो सनातनधर्मकी महादृढ़ और अत्यन्त निश्चलभित्तिपर खड़ा हुआहै और जिसे अंगुलीके पोरपर गिने जाने योग्य वे मनचले सुधारक कदापि विचलित नहीं कर सकते। मारवाड़ी अग्रवाल समाज वह समाज है जिसके सनातनधर्मके कीर्तिकार्य्य अखिल भारतमें प्रचलित हो रहे हैं—जो धार्मिक आस्तिकताकी डङ्केकी चोट घोषणा कर रहे हैं। पर खेद है कि हमारे समाजके ऐसे उच्च महत्त्वको इने-गिने नास्तिक अपनी अदूरदर्शितासे हँसी-मजाकमें ही बातकी बातमें निर्मूल करनेका सुख स्वप्न देख रहे हैं।

अतएव ऐसी परिस्थितिमें सनातनधर्मानुयायी आप सज्जनोंका परम कर्तव्य था कि सनातनधर्म और सामाजिक मर्यादाकी रक्षाके लिये अखिल-भारतवर्षीय मारवाड़ी अग्रवाल पञ्चायतका सङ्गठन करें। बड़े ही आनन्दका विषय है कि उपरोक्त पञ्चायत आप लोगोंने इसके पहले ही स्थापित कर दी थी, उसीका आज यह विशेष अधिवेशन आप लोग बड़े उत्साहके साथ कर रहे हैं। इसके द्वारा उन लोगोंको भले प्रकार मालूम हो गया होगा और हो जायगा कि मारवाड़ी अग्रवाल समाजमें विधवानाता और भङ्गी-चमारोंके साथ खान-पान करने जैसे पाप-कर्म करने और करानेवालोंके लिये समाजमें कहीं भी स्थान नहीं है।

सज्जनो! हमारा मारवाड़ी अग्रवाल समाज सनातनधर्मके विरुद्ध कोई भी कार्य्य न अब तक सहन कर सका है और न आगे को कभी सहन कर सकेगा।

मारवाड़ी समाजमें ऐसा कौन पाषाण-हृदय होगा जो अपने समाजकी ही क्या हर एक समाजकी विधवाओंके दुःखको देखकर करुणार्द्रचित्त न होता होगा। विधवाओंके असंख्य और अनिवार्य दुःखोंकी कथा वर्णनातीत है। वह मुँहसे किसी प्रकार भी कही नहीं जा सकती है। यही नहीं, उन दुःखोंका अनुभव भी हम पुरुषोंके किये नहीं हो सकता है। उसे वे बेचारी भुक्त-भोगी विधवा स्त्रियां ही जान सकती हैं। पर, विधवाओंके वे असंख्य और दारुण दुःख क्या नाता कर देनेसे, या यह कहिये कि उनको व्यभिचारमें प्रवृत्तकर देनेसे नष्ट हो सकते हैं? जो लोग ऐसा पाप कर्म करते हैं और दूसरोंको ऐसे पाप-कर्म करनेके लिये प्रोत्साहित करते हैं वे

केवल समाजद्रोही या धर्मद्रोही ही नहीं वे उन अभागिनी विधवाओंको भी रसातलमें पहुँचानेवाले हैं। जिन साध्वी स्त्रियोंके एकमात्र पति ही देवता है, पतिही प्राणधन सर्वस्व हैं उनके लिये पतिवियोगमें वह केवल स्वर्गीय क्या पृथ्वीकी कोई भी वस्तु कभी किसी भी अवस्थामें सुख नहीं पहुँचा सकती हैं। ऐसी भारतवर्षकी कीर्तिको बढ़ानेवाली स्त्रियोंको एक परपुरुषके साथ विषय लोलुपताके अधीन बना देना क्या धर्म–कार्य कहा जा सकता है? प्यारे बन्धुओ! गृहस्थीको वे लोग भोग विलासका साधन मात्र समझें, पर गृहस्थाश्रम यथार्थमें इन्द्रियोंके काम-भोगमें डूब जानेके लिये कदापि नहीं है, किन्तु वह धार्मिक जीवन बिताकर प्रत्युत विषय भोग-विलास जनित दुःखोंके अनुभव हो जानेसे विषय भोगके त्याग, शिक्षा और वैराग्योत्पादनसे मुक्तिके द्वारतक पहुँचनेकासाधन है। ऐसे गृहस्थाश्रमको विषय भोगका एक मात्र साधन समझ लेना यथार्थमें कितनी मूर्खता है। विधवाओं का दुःख दूर करनेके लिये उनको सन्मार्गमें चलनेकी धार्मिक शिक्षा देना और कौटुम्बिक जनोंका उन्हें सदयदृष्टिसे देखकर उनके साथ सद्व्यवहार करना ही उनके हितार्थ सर्व श्रेयस्कर है। आज कल समाचार पत्र और मासिकपत्रिकाओंके लेखों द्वारा और विधवानातेकी जोड़ीका जुलूस निकाल कर विधवाओंके मनमें ऐसे दूषित भाव उत्पन्न किये जाते हैं कि जिनको पढने और देखनेसे जिन विधवाओंका चित्त संयत है उनके चित्तमें भी विकार उत्पत्तिका बीजारोपण हो जाता है अस्तु, कैसी लज्जाकी बात है कि वे लोग विधवाओंको धर्मपथसे विचलित करनेमें अपना पैर अड़ा रहे हैं। ऐसी घृणित चालबाजियां विधवाओं को व्याभिचारके लिये उत्तेजित करनेवाली नहीं तो और क्या हैं। विधवानातेके लिये हमारे भोले सुधारकोंने शास्त्रकी सम्मतितक सिद्ध करनेकी धोखा बाजीमें भी कुछ कसर नहीं उठा रखी, पर प्रिय सज्जनो! हमारी श्रुति और स्मृतियां विधवाओंके लिये क्या आज्ञा देती है, देखिये व्यासस्मृतिमें लिखा है–

१ मृतं भर्तारमादाय ब्राह्मणी वह्निमाविशेत्।
जीवन्ती चेत्त्यक्तकेशा तपसा शोधयेद्वपुः॥

अर्थात् मृत पतिको लेकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य स्त्री अग्निमें प्रवेश करे। यदि जीना चाहे तो शिर मुण्डवा कर चान्द्रायणादि व्रतोंके तप द्वारा शरीरको शुद्ध करे।

याज्ञवल्क्य स्मृतिकी टीका मिताक्षरामें विष्णुस्मृति का यह वाक्य है–

२ भर्तरि प्रेते ब्रह्मचर्यं तदन्वारोहणं वा।

अर्थात् पति मरजाने पर ब्रह्मचर्यसे रहे अथवा सती हो। कलियुगके विषयमें तो पाराशरस्मृतिमें और भी स्पष्ट किया है किः–

सहानुगमनं कुर्यात् कुर्यां वाद् नैष्ठिकं व्रतम्।
आर्यधर्मः स्त्रियाः प्रोक्तः कलौ काले विशेषतः ॥

फिर मनु महाराजने आज्ञा की है-

न द्वितीयश्च साध्वीनां क्वचिद् भर्तोपदिश्यते।

अर्थात् साध्वी स्त्रियोंके लिये दूसरे पतिकी-विधवा नातेकी-कहीं भी आज्ञा नहीं है। धर्मशास्त्रमें कन्याके साथ ही विवाह करनेकी आज्ञा है, न कि विधवाके साथ नाता करनेकी ।

याज्ञवल्क्य महर्षिने आज्ञा की है कि—

अनन्यपूर्विकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम्।
अध्याय. १। ५२।

अर्थात् दान और भोगसे जिसे किसी दूसरे पुरुषने न ग्रहण किया हो ऐसी कन्यासे विवाह करना चाहिये। तात्पर्य यह है कि विधवा नाताके लिये किसी धर्मशास्त्रमें कहीं भी आज्ञा नहीं पायी जाती । इसके विरुद्ध विधवानातेके निषेधके वाक्य प्रत्येक स्मृतिमें पाये जाते हैं। जैसे आश्वलायनमें लिखा है कि-

अज्ञातश्च द्विजो यस्तु विधवामुद्वहेद्यदि।
परित्यज्य च तां चैव प्रायश्चित्तं समाचरेत् ॥

अर्थात् ज्ञान बूझकर विधवानाता करनेकी बात तो दूर ही यदि बिना जाने धोखेमें किसी प्रकार विधवासे विवाह हो जाय तो उस विधवाको त्यागकर प्रायश्चित्त करे, बृहत्पाराशर स्मृतिमें कहा है-

स्त्रीणामुद्वाह एवैको वेदोक्तः पावनो विधिः।

महाभारतमें भी कहा है-

एक एव पतिर्नार्या यावज्जीवं परायणम् ।
मृते जीवति वा तस्मिन् नापरं प्राप्नुयान्नरम् ॥
अभिगम्य परं नारी पतिहन्त्री न संशयः ।

इन वाक्योंका तात्पर्य यह है कि स्त्रीको यावज्जीवन केवल एक विवाह की ही आज्ञा है। यदि स्त्री दूसरे पुरुषके साथ गमन करे तो वह पतिता है । विधवानातेवाले कहते हैं कि जब एक पुरुष अनेक स्त्रियोंके साथ विवाह कर सकता है तो एक स्त्री अनेक पति क्यों नहीं कर सकती ?

इस दलीलको वे ही मान सकते हैं जो वेद-श्रुति स्मृतियोंकेवाक्योंके केवल धर्मका ढकोसला कहनेमें कुछ भी संकोच नहीं करते। मारवाड़ी अग्रवाल समाजके हृदयोंमें ऐसे कुतर्कोंके लिये कुछ भी स्थान नहीं। जरा देखिये, यजुर्वेदके तैत्तिरीय अध्याय ६ प्रपा० ४ अनुवाक ३में इस विषयमें क्या आज्ञा है-

८ "यदेकस्मिन् यूपे द्वे रशने परिव्ययति तस्मादेको द्वे जाये विन्दते।
यन्नैकां रशनां द्वयोर्यूपयोः परिव्ययति तस्मान्नैका द्वौ पती विन्दते ।"

इस श्रुतिमें और मनुस्मृति अध्याय ९ श्लोक १०१ की टीकामें मेधातिथिकी–

"स्त्रीवत् पुरुषस्यानेकभार्यापरिणयनं न स्यात्तद युक्तम् । अस्तिपुरुषे वचनं कामतस्तु प्रवृत्तानां तथा वन्ध्याष्टमेऽधिवेत्तव्या इति नतु स्त्रियाः तथा च लिङ्गान्तरं स्यादेकस्य बह्वयो जाया भवन्ति नैकस्या बहवः सह पतयः"

इस व्याख्यामें मनु और श्रुतिका प्रमाण देकर स्पष्ट सिद्धान्त कर दिया है कि पुरुषको अनेक स्त्रियोंका ग्रहण शास्त्रसम्मत है न कि स्त्रीको अनेक पतियोंका। अब आप लोगोंकी सेवामें विधवानाता करने और करानेवालोंके लिये समाजका क्या कर्त्तव्य है सो दिखाया जाता है। महर्षि अंगिराने अपनी स्मृतिमें आज्ञा की है–

१० अन्य दत्ता तु या कन्या पुनरन्यस्य दीयते।
तस्याश्चान्नं न भोक्तव्यं पुनर्भूः सा प्रतीयते ॥

अर्थात् पहिले एक बार दी हुई कन्याको, यदि फिर दिया जाय तो उसे पुनर्भू कही जाती है और उसका अन्न कदापि न खाना चाहिये। यहीं नहीं महर्षि कश्यपजीने भी कहा है–

११ सप्त पौनर्भवाः कन्याः वर्जनीयाः कुलाधमाः।
इत्येता काश्यपेनोक्ता दहन्ति कुलमग्निवत् ॥

अर्थात् पुनर्भू-स्त्री वर्जनीय है। क्योंकि वह कुलाधम है। वह कुलको अपने पापसे अग्निकी तरह भस्म कर देती है।

याज्ञवल्क्यस्मृतिमें लिखा है–

१२ वृषलीपतिदिधिषूपतिपुनर्भूपुत्राणाम् रुधिरम् ।

अर्थात् विधवानाता करनेवालेका अन्न रुधिरके समान है एक बार फिर वही लिखा है कि–

१३ स्वैरिणी च पुनर्भूश्च रेतोधा कामचारिणी।
सर्वभक्षा च विज्ञेया पंचैताः शूद्रयोनयः ॥
१४ एतेषां यान्यपत्यानि चोत्पद्यन्ते कदाचन।
न तान् पंक्तिषु युञ्जति नैते पंक्त्यर्हकाः स्मृताः।

अर्थात विधवानाता करनेवाले और उनकी सन्तान पंक्तिके योग्य नहीं अर्थात् उन्हें जातिसे बहिष्कृत करना परमावश्यक है।

धर्मशास्त्रके प्रसिद्ध संग्रहग्रन्थ निर्णयसिंधुमें लिखा है

१५ अन्यपूर्वा यस्य गेहे भार्या स्यात्तस्य नित्यशः।
आशौचं सर्वकार्येषु देहे भवति सर्वदा ॥

अर्थात् विधवा-स्त्रीसे जिसने नाता किया है ऐसा पुरुष सर्वदा अपवित्र रहता है। भाव यह है कि उसके साथ किसी प्रकारका सहयोग रखना महापाप है, खाना पीना तो बहुत बड़ी बात है पर उसको छूना भी पाप है जैसे सूतक पातकीके छूनेसे छूनेवाला भी अपवित्र हो जाता है उसी प्रकार वह भी अस्पृश्य । अतएव विधवा स्त्रीको हमारा समाज ऐसे पापकर्म व्यभिचार वृत्तिमें कदापि प्रवृत्त नहीं कर सकता। विधवाओंके लिये हमारे धर्मशास्त्रमें यह उपदेश है कि :-

द्विर्भोजनं परान्नं च मैथुनामिषभूषणम् ।
पर्यंकं रक्तवासश्च विधवा परिवर्जयेत् ॥

अर्थात् विधवा स्त्रीको दोबार भोजन,दूसरे घरका अन्न,किसी पुरुषके साथ संसर्ग, मासभक्षण भूषणादिसे श्रृंगार,पर्यंकपर शयन और रक्तवस्त्रका व्यवहार निषेध है। अब इस विवेचनसे आप लोगोंको विदित हो गया होगा कि विधवानाता समाजके लिये कितना हानिकारक और कैसा घोर पापकर्म है। ऐसे स्वेच्छाचारियोंके लिये समाजके पास कोई भी दण्ड है तो एक मात्र उनका बहिष्कार है जिससे दंडित होकर वे भी अपने इस पापकर्मपर पश्चात्ताप करें और और लोगोंको भी वैसा नीचकर्म करनेका कभी साहस न हो सके।

यहांतक आप लोगोंको धर्मशास्त्रके वाक्योंके प्रमाणों द्वारा विधवानातेकी जघन्यता दिखलायी गयी। अब उन लोगोंकी युक्तियोंकी पोल भी कुछ खोलने दीजिये और विचार करिये कि वे अपने दुराचारको छिपानेके लिये ऊपरसे कैसे धर्मनिष्ठ बननेका ढोंग रचते हैं।

उनकी सबसे बढ़कर दलील एक मात्र यही है और इसीकी ओटमें छिपकर वे समझ रहे हैं कि हम भोले भाले बन्धुओंको भुलावा देकर अपने इस स्वेच्छाचारी पापकार्यको छिपा लेंगे। वे कहते हैं कि विधवानाता करनेसे समाजका एक बडा भारी अनर्थकारी पाप रुक जायगा अर्थात् विधवाएं जो अब अन्य पुरुषोंके संसर्गसे दूषित होकर गर्भधारण करती हैं और उसके छिपानेके लिये वे गर्भपात करती हैं वह भ्रूणहत्या (गर्भपातका) पाप विधवानातेसे बन्द हो जायगा।

परन्तु याद रहे! कहनमें और सुननेमें तो यह उनकी युक्ति बडी धर्मध्वजी और मीठी मालूम होती है; और वास्तवमें यही एक मात्र युक्ति उन बेचारोंके पास तीक्ष्ण शस्त्रके समान है जिससे वे कुछ भोले भाले भाइयोंको भुलावा देते हुए उन लोगोंके चित्तमें किसी अंशमें भ्रम उत्पन्न कर देते हैं, पर प्रिय बन्धुजनो! इस युक्तिमें कहांतक पोल है सो अधिक नहीं, कुछ विचार करनेके अनन्तर स्वयं साफ मालूम हो जाता है कि यह उनकी

केवल बहेलियोंकी सी चाल मात्र है, जो मीठे २ गान सुनाकर बिचारे मृगोंको अपने जालमें फंसा लेते हैं।

हम उन लोगोंसे पूछते हैं, साधारणतया नहीं किन्तु बहुत जोरके साथ चेलेंज देकर पूछते हैं कि क्या आपके विधवानाते करनेसे भ्रूणहत्या रुक जायगी ? कदापि नहीं, इस बातको हम इतने कहनेसे ही आप लोगोंसे स्वीकार कराना नहीं चाहते, प्रथम तो आप खूब अच्छी तरह यही विचार करिये कि विधवानाता करनेवाले धर्मभ्रष्ट; अपने काम-तापको बुझानेके लिये ही ऐसे पापकर्म करनेको उद्यत होते हैं न कि विधवाओंपर, उनकी दीन दशापर करुणाके दो अश्रु टपकानेके लिये।

अतएव, वे उन्हीं विधवाओंसे नाता जोड़ना चाहते हैं और चाहेंगे जो नववयस्का हों, छोटी उमरकी हों और जिनके सन्तानोत्पति न हुई हो अर्थात् १४ वर्षसे २० वर्षतककी हों और वे विधवाएँ भी जो अपनी कामवासनाकी तृप्ति करनेके लिये अपने कुलधर्मको छोड़कर इतनी घोर निंदाको सहन करनेके लिये उद्यत होंगी, तरुण रूपयौवन और धनसंपन्न पुरुषको ही पसन्द करेंगी, तब विचार कीजिये कि ऐसी दशामें बीस बरससे ऊपरकी विधवा या जिनके सन्तानोत्पत्ति हो गयी है वे जो इस कुत्सित मार्गमें पड़ेंगी तो उनके लिये जो भ्रूणहत्या अब है, वही पीछे भी रहेगी। भ्रूणहत्या रोकनेके लिये उन लोगोंका विधवानाता करना एक झूठा बहाना मात्र है। विधवानाताका अर्थ सिवा खुल्लमखुल्ला व्यभिचारके लिये मार्ग खोलनेके और कुछ नहीं है। विधवानातासे होनेवाले अनेक अनर्थोंका कथन कहांतक किया जाय। प्रथम तो धर्मभ्रष्ट होना अनिवार्य है जिसके विषयमें ऊपर धर्मशास्त्रके वाक्य आपके आगे निवेदित किये गये हैं। इसके सिवा पतिपत्नी भावका जो धार्मिक सम्बंध और प्रगाढ प्रेम है वह भी विधवानातासे समूल नष्ट हो जाता है। क्योंकि पत्नीको पतिमें जो श्रद्धा प्रेम है वह पातिव्रतके ऊपर ही निर्भर है, अर्थात् वह यही समझती है कि संसारमें जो कुछ धर्म और सुख सौभाग्य आदि मेरे लिये हैं वह मेरे यही पतिदेव ही हैं और उनके बिना हमारे लिये सारा संसार दुःखमय हो जायगा; ऐसी धारणा तभी तक रह सकती है जबतक पातिव्रत्यकी मर्यादा उनके चित्तमें है किन्तु जब उनके चित्तमें यह भाव पैदा हो गया कि इस पतिसे मुझे जितना सुख है उतना सुख इनके मरनेपर दूसरे पुरुषके साथ नाता करने पर भी मुझे प्राप्त है तब वह पतिशुश्रूषा का भाव स्त्रियोंके चित्तमें कदापि रह सकना सम्भव नहीं। तब तो केवल कामलालसा मात्रका ही सम्बंध समझा जाने लगेगा। जैसा कि अन्य जातियोंमें समझा जाता है और यूरोपीय लोगोंमें, इसका कैसा भयंकर परिणाम होता है यह सब पर विदित है। इस पर

भी खेदकी बात है कि इन सभी परिणामोंको जानते हुए भी विधवानाताशाले अपनी नीच-वृत्तिके द्वारा सारे समाजको भ्रष्ट करना चाहते हैं।

अब मैं अस्पृश्योंके साथ खान-पानके विषयमें कुछ कहनेकी आपलोगोंसे आज्ञा लेता हूँ। इस समय यह आन्दोलन,अभाग्यवश हमारे मारवाड़ी समाजमें भीएक महत्त्वका विचारणीय प्रश्न हो रहा है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि अछूतोंके साथ दुर्व्यवहार किया जाय। उनके साथ सहानुभूति करना मनुष्योचित कर्त्तव्य है। पर सहानुभूतिका यह अर्थ मान लेना कि उनके साथ खान पान करना और स्पृश्यास्पृश्यका विचार छोड़ देना-इससे जहांतक मेरी धारणा है, उनका कुछ भी उपकार नहीं हो सकता; और न वे ही बेचारे ऐसा करानेके लिये कुछ कहना चाहते हैं। उनके विषयमें सहानुभूति यही है कि उनके जलकष्टके निवारणके लिये पृथक् कूप बनवा देने चाहिये। उनके लिये पृथक् पाठशाला भी बनवायी जाय तो कोई आपत्ति नहीं। और उनको अन्न-वस्त्रकी सहायता देना भी उचित है। किन्तु उनकी अंत्यज जातिके साथ सहभोज करना कदापि उचित नहीं समझा जा सकता। और इस बातको वे लोग अच्छे प्रकार समझ लें कि अग्रवाल मारवाड़ी समाजमें आजतक न ऐसा हुआ है और न आगे होना ही अग्रवाल मारवाड़ी समाज सहन कर सकेगा। ऐसा करनेवालोंके लिये जातिबहिष्कारके सिवा समाजकी धर्मरक्षाके लिये दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। लोग कहते कि जातिबहिष्कृति-अस्त्रका प्रयोग करनेका अब ज़माना नहीं रहा। मैं उनसे साग्रह कहता हूँ कि आप जैसे धार्मिक विचारवाले कतिपय अग्रवाल मारवाड़ियोंके लिये शायद अब ज़माना न रहा हो, किन्तु अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी अग्रवाल समाजके लिये जो धार्मिक ज़माना पूर्व था, वही इस समय है। जातिके समीप और है ही क्या ? है तो केवल यही एक अमोघ अस्त्र है, जिसके बलपर ही वह उच्छृंखल-वृत्तिवाले भ्रष्टाचारियोंको सुपथपर ला सकती है। यह उसी अपरिहार्य अस्त्रका प्रभाव है कि इस अस्त्रके भयसे उनका आसन कंपायमान हो रहा है और हो जायगा।

संभव है कि मेरा यह वक्तव्य कुछ महानुभावोंको, जिनमें शायद मेरे अतिनिकट बन्धु तथा सम्बन्धी और मेरे प्रिय मित्र भी हों, असह्य प्रतीत हो, पर किया क्या जाय ? महाकवि भारविका "हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः" इस युक्तिके अनुसार बात हितकारी भी हो और श्रवणप्रिय भी हो, सुननेमें अच्छी भी मालूम हो ऐसा कथन बड़ा दुर्लभ है। उन विज्ञजनोंको यह भी विदित ही है कि सामाजिक और धार्मिक विषय ऐसा है

कि इसपर व्यक्तिगत निकट संबन्ध कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकता। इसीलिये मैं एकबार नम्रता और प्रेमके साथ उन मेरे प्रियबन्धु जनोंसे, सम्बन्धियोंसे, मित्रोंसे जिनके चित्तमें विधवानाते और असवर्ण विवाह एवम् अछूतोंके साथ भोजनके विषयमें किसी अंशमें कुछ भी सहानुभूति हो, सविनय-नत-मस्तक होकर बद्धाञ्जलि पूर्वक यह प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग राग-द्वेषको छोड़कर एकान्तचित्त: द्वारा एकबार विधवानाते और अछूतोंके साथ खान-पानके प्रचारके अंतिम परिणामपर सूक्ष्म दृष्टि डालिये कि इन अनर्थकारी पापकर्मोंका कैसा भयंकर परिणाम आप लोगोंके आगे उपस्थित हो जायगा इस बात तो कहनेकी आवश्यकता ही नहीं है कि इने गिने विधवानाते आदिके पक्षपातियोंके या भ्रष्टाचारके प्रचारकोंका गतानुगतिक अखिल मारवाड़ी अग्रवाल समाज कदापि न हो सकेगा। वे लोग यदि अपनी मनमानी करते हुए अधर्मपथपर चढ़ना ही पसंद करेंगे तो फल यह होगा कि पिता मातायें अपनी प्यारी पुत्रियोंसे, भ्राता और भगिनी अपनी प्रिय भगिनी और अपने प्रिय भ्राता आदिकोंसे, यहांतक कि एक पिता अपने पुत्रोंके साथ सहभोजन आदिका सहयोग न कर सकेगा। परस्परमें खान पानका सम्बन्ध विच्छिन्न हो जानेके कारण समाजमें कैसा भयंकर काण्ड उपस्थित हो जायगा, उसके स्मरण मात्रसे हृदय विदीर्ण होना है। अतएव समाजके हितैषियोंका कर्त्तव्य है कि ऐसा अवसर न आने दें, इसी में उनकी बुद्धिमानी है।

अब मैं अपने समाजमे प्रचलित कुरीतियोंक निर्मूल करनेकें विषयमे कुछ निवेदन करता हूं। अपने समाजमें बाल और वृद्ध विवाहोंका जो दुष्परिणाम होता है सो आप लोगोंको विदित ही है इस लिये आप लोगोंका कर्त्तव्य है कि लड़के और लड़कियोंका विवाह किस अवस्थामें करना चाहिये, इसका अवश्य ही निर्णय कर डालें। यदि आप मेरा मत इस विषयमें जानना चाहें तो मेरा मत तो यह है कि आप १२ वर्षकी कन्या और १६ वर्षके लड़केके लिये विवाहकी व्यवस्थाका निर्णय करें। आप लोग इस बातपर सनातन-धर्मानुकूल जैसा विचार करें वही मान्य हो।

अपने समाजमें एक बड़ी भारी नीच कुरीति कन्याविक्रयकी-कहीं कहीं देखी और सुनी जाती है। आपलोगोंका कर्त्तव्य है कि इस नीच रिवाजको सर्वथा निर्मूल करनेके लिये कन्या और वरपक्षके सिवा इस अधम कार्यके करानेवाले दलालोंके लिये ऐसे दण्डकी व्यवस्था करें जिससे ऐसा अनर्थकारी कार्य करनेके लिये किसीका भी साहस न हो सके।

सौभाग्यका विषय है कि समाजमें प्रचलित फिजूल खर्ची बहुत कुछ कम हो गयी है तथापि, अभी तक वह सर्वथा बन्द नहीं हो सकी है। बड़ा खेद है कि यदि वह एक रूपमें बन्द की जाती है तो रूपान्तरमें फिर चढ़

पड़ती है। इसलिये विवाह-समयोंपर जो फिजूल खर्ची अब भी होती है उसको रोकना समाजका कर्त्तव्य है। इस ओर हमें यथासाध्य चेष्टा करते रहना चाहिये। सनातनधर्मावलम्बीय मारवाड़ी अग्रवाल समाजके लिये, अपने बालकोंके लिये धार्मिक शिक्षाका भी प्रबन्ध करना अत्यावश्यक है जिसमें यज्ञोपवीत और नित्य संध्योपासनादि कार्यका साधन तो अनिवार्य होना मुख्य है। आशा है, हमारे मारवाड़ी अग्रवाल भाई इस बातपर अवश्य ही ध्यान रखकर अपने बालकोंके लिये धार्मिक शिक्षाका प्रबन्ध करेंगे।

इन विषयोंपर और इनके अतिरिक्त धार्मिक तथा सामाजिक और भी विषय जिनमें गोरक्षा और विलायत यात्राके विषय बड़े महत्वके हैं और इनपर अत्याधिक प्रकाश डालना परमावश्यक है, किन्तु खेद है कि पंचायतके इस अधिवेशनका निश्चय अत्यन्त शीघ्रतासे होनेके कारण मुझे अपने वक्तव्यके लिखनेके लिये केवल ४ घंटेका समय मिल सका है और इसी कारण मैं इन आवश्यक विषयोंपर भी कुछ प्रकाश नहीं डाल सका हूँ, इसके सिवा इस वक्तव्यमें भी बहुत सी त्रुटियां रह गयीहैं। अतएव मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं आप महानुभावोंका समय अधिक ले चुका हूँ।अपने स्थानपर बैठनेके प्रथम मैं अपना कर्त्तव्य समझताहूँ कि सबसे प्रथम सनातनधर्मावलम्बीय उन मारवाड़ी सज्जनोंको जिन्होंने अपने-अपने सुदूर स्थानसे यहां पदार्पण करनेका असीम कष्ट सहन किया है और जिनके आगमनसे ही आज इस अखिल मारवाड़ी अग्रवाल पंचायतका विशेषाधिवेशन करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन समस्त महानुभावोंको मैं धन्यवाद अपण करूं। परन्तु इस योग्य कोई भी शब्द मुझे प्रतीत नहीं होता। फिर कलकत्ते और बंबईके सनातन-धर्मावलम्बीय हमारे मारवाड़ी समाजको धन्यवाद देना मैं अपना उपहास समझता हूँ क्योंकि इनके ही आशातीत स्वार्थत्याग और घोर परिश्रम और साहसका यह फल है कि आज हम लोगोंके लिये हमारे सनातन-धर्मकी रक्षा करनेका अवसर प्राप्त हुआ है। मैं दृढ आशा करता हूं, जिस प्रकार अबतक उपर्युक्त महाशय इस समाज हितके लिये अपने आन्तरिक उल्लास और धार्मिक भावोंसे प्रेरित होकर कार्य कर रहे हैं उसी प्रकार बल्कि उससे भी अधिक चेष्टा करके समाजके हितमें तत्पर रहेंगे। अब मेरा बद्धाञ्जल होकर नम्रता पूर्वक किन्तु साग्रह अन्तिम निवेदन उन महाभाग धर्माचार्य विज्ञ मारवाड़ी ब्राह्मण समाजसे यह है कि सनातनधर्मकी रक्षाके लिये जैसा कुछ साध्यासाध्य कार्य हम लोगोंसे हो सकता है वह आप लोगोंके समक्ष है, पर यह धार्मिक-सामाजिक कार्य आप लोगोंकी सहायता पर ही निर्भर है। आप महानुभावोंने ही हम लोगोंके पूर्वजोंको धर्मवृत्तिका दृढ उपदेश दिया है और अब भी आप लोग

ही समय २ पर धार्मिक कार्योंमें हमारे साथ सहयोग करके सहायता पहुँचा रहे हैं। आशा है, इसी प्रकार आप इस हमारी सनातनधर्मावलम्बीय अखिल मारवाड़ी अग्रवाल पञ्चायतकी सहायताके लिये कटिबद्ध होकर अपने धार्मिक अस्त्रोंका प्रयोग करके 'अङ्गीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति' इस वाक्यको चरितार्थ करते हुए हमारी सहायता करेंगे। महानुभाव बन्धुजनो ! एकवार फिर कहिये "सनातनधर्मकी जय !"

आपका भाषण संपूण होनेपर कविरत्न पं० श्री अखिलानन्दजीका सनातन धर्मकी महत्ता, पर लगभग पौन घण्टे तक सरस व्याख्यान हुआ। तत्पश्चात विषय निर्वाचिनी समितिका निर्वाचन होने लगा।

विषक निर्वाचिनी—(Subject Committee)

बम्बई प्रान्त।

श्री० गनपतरायजी रुईया
" रामकुमारजी मुरारका
" नागरमलजी पोद्दार
" शिवरामदासजी केडिया
" इन्द्रलालजी देवड़ा
" सागरमलजी मोदी
" केशवदेवजी गनेडीवाला
" लच्छीरामजी चूड़ीवाला
" सुखानन्दजी सरावगी
" मुरलीधरजी चोखानी
" गजानन्दजी जयपुरिया
" ब्रह्मदत्तजी पोद्दार
" बृजमोहनजी रुईया
" मंगतुरामजी रुईया
" शिवदयालजी देवड़ा
" धूड़मलजी बजाज

सभापतिजीकी ओरसे

" सेवकरामजी झुंझनुवाले
" नंदलालजी बंका
" जोहारमलजी कमलिया
" रामरिखदासजी परसाम पुरिया
" बन्सीधरजी चोखानी

बरार प्रान्त।

श्री० राम देवजी मोदी
" श्रीरामजीटिबड़ेवाला
" जयदेवजी चुड़ीवाला
" नन्दलालजी केजड़ीवाल
" बंशीलालजी
" रामकुमारजी पाडिया
" गजाधरजी गोयनका
" द्वारकादासजी
" दूलीचन्दजी
" श्रीनारायणजी गनेड़ीवाला
" चन्दूलालजी परसराम पुरिया
" मोहनलालजी चूड़ीवाला
" जेठमलजी
" मारकीनाथजी झुझनूवाले
" रामवल्लभजी सलाम पुरिया

सी० पी० प्रान्त।

श्री० सांवलरामजी बजाज
" जगन्नाथप्रसादजी बजाज
" गुरुमुखरायजी जाजोदिया
" [illegible] लीवाला
" शंकरलालजी पचेरीवाला
" दुर्गादत्तजी केजडीवाल

" गुलाबचन्दजी बजाज
" राधेलालजी
" रुकमानन्दजी बजाज
" अमोलकचन्दजी धलिया
" परमानन्दजी
" गनेशनारायणजी जोगाणी
" रामनाथजी लोहिया कामठीवाले
" हरीरामजी भूत
" नरसिंहदासजी अग्रवाला
" परतापजी

खानदेश ।

श्री० मोतीलालजी भोलाराम
" चुनीलालजी मोतीलाल
" हीरालालजी रामनारायण
" गोरधनदासजी जीतमल
" चुनीलालजी शिवसाह

विहार उडीसा प्रान्त ।

श्री० काशीप्रसादजी
" दुर्गाप्रसादजी झुंझनूंवाले
" नन्दलालजी बागला
" मदनलालजी मुरारका
" मनोहरलालजी मुरोदिया
" पन्नालालजी कसेरा
" हरिहरप्रसाद भरथिया
" प्रहलादरायजी क्याल

संयुक्त प्रान्त ।

श्री० सीतारामजी सुलतानियां
" रामलालजी झुझनूंवाले
" सोहनलालजी हरलालका
" मातादीनजी टोरमलका
" रामकुमारजी हरलालका
" नन्दलालजी हरलालका
" श्रीरामजी सक्कड़
" पीरामलजी डीडवानियां
" ज्वालाप्रसादजी हरलालका
" सूआलालजी डीडवानेयां
" नारायणदासजी हरलालका
" गनपतरायजी टिबड़ेवाला
" रामकुमारजी बाजोरिया
" ओंकारमलजी खेतान
" तनसुखरायजी

पञ्जाब प्रान्त ।

श्री० सन्तलालजी उमरिया
" किशनलालजी जालान
" हलधरमलजी
" मन्नालालजी रिवाड़ीका
" भोलारामजी
" विश्वम्भरदयालजी बेरीका
" माधवप्रसादजी बेरीका
" हरकिशनजी हांसीका
" वीरसेनजी सरावगी
" हरविलासजी बेरीका
" चिरञ्जीलालजी चमड़िया

मध्य भारत ।

श्री० चौथमलजी
" फतेलालजी
" जगन्नाथजी
" गोविन्दरामजी
" मोतीलालजी
" चिरञ्जीलालजी
" काशीरामजी
" रामानंदासजी

बर्मा प्रान्त ।

श्री० नागरमलजी शराफ
" केशरदेवजी शराफ
" फूलचन्दजी शराफ
" गजानन्दजी पोद्दार

बंगाल आसाम प्रान्त।

श्री० रामरक्षपालजी झुंझनूंवाले
" शिवप्रसादजी डीडवानियां
" रामेश्वरजी पोद्दार
" महावीरजी बगड़िया
" मुरलीधरजी भगत
" बिहारीलालजी बाजोरिया
" जगन्नाथजी चौधरी
" मोहनलालजी खेमका
" बालचन्दजी शराफ
" रामनारायणजी राजगढ़िया
" जयदयालजी झुंझनूंवाले
" तनसुखरायजी झालूका
" मुरलीधरजी पोद्दार
" गोवरधनदासजी जालान
" रामसहायमलजी सूरेका
" राधाकिशनजी राजगढ़िया
" गौरीदत्तजी परसरामपुरिया
" प्रहलादरायजी झुंझनूंवाले
" नागरमलजी मेड़तिया
" गजानन्दजी पोद्दार
" गनपतरायजी भिवानीवाला
" मदनलालजी जाजोदिया

पञ्चायतकी कार्य्यकारिणीके सदस्य।

श्री० आनन्दरामजी जैपुरिया
" भीमराजजी झुंझनूंवाले
" प्रभुदयालजी झुंझनूंवाले
" रामेश्वरजी लाठ
" गौरीदत्तजी हरलालका
" राधाकृष्णजी बुधिया
श्री० भीमराजजी भुवालका
" भीखामलजी जैन
" बिलासरायजी झुंझनूंवाले
" बिलासरायजी डालमियां
" मदनलालजी सरावगी
" वासुदेवजी शराफ
" बैजनाथजी लोहिया

राजपूताना प्रान्त।

श्री० बसेसरलालजी लढ़िया
" ईश्वरदासजी मोदी
" ठाकुरसीदासजी सरावगी
" पूरनमलजी बूबना
" केशरदेवजी देवड़ा
" रामरिखदासजी केड़िया
" गुलराजजी डालमियां
" श्रीनारायणजी केड़िया
" बसन्तलालजी सिंघानियां
" श्रीलालजी रूइया
" मदनलालजी पोद्दार
" मांगेलालजी शाह
" भानीरामजी नांगलिया
" शुभकरणजी सुरारका
" रामवल्लभजी रिड़खलेवाला
" रामनिरंजनजी सिंघई
" द्वारकादासजी गाड़ोदिया
" नाथुरामजी हलवाई
" फतेचन्दजी अग्रवाल
" गंगाप्रसादजी केड़िया

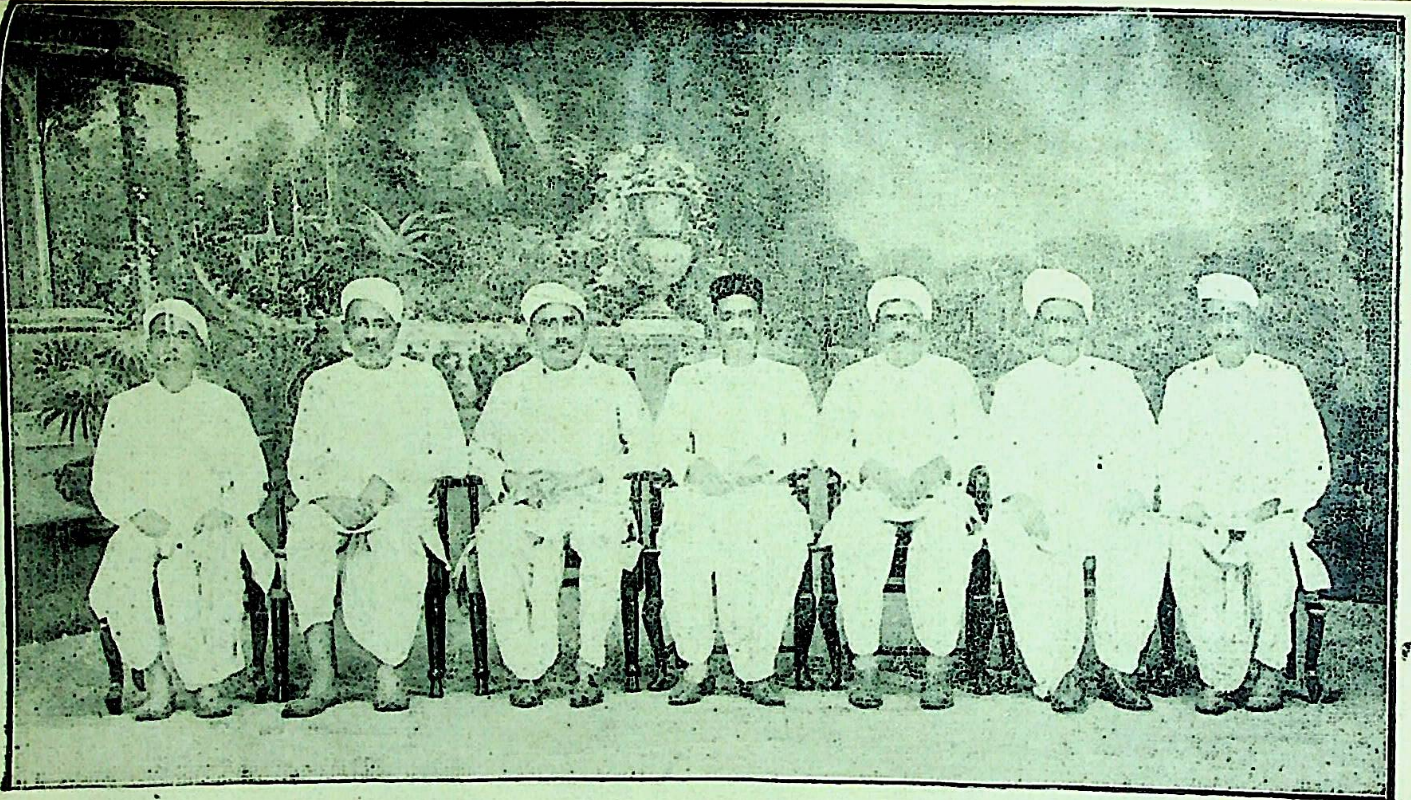
मद्रास-प्रान्त।

श्री० रामकुमारजी झुंझनुवाला

स्वागतकारिणीकी ओरसे निर्वाचित दस सदस्य-

श्रीराजाबहादुर बंसीलालजी पित्ती
" रा० सा० रंगनाथजी बजाज
" श्रीनिवासजी बजाज
" केदारमलजी लढ़िया
" गंगाबकसजी सराफ़
" बाबूलालजी बागला
" महादेवजी गाड़ोदिया
" शिवचन्द्र रायजी झुंझनुवाले
" मुरलीधरजी चोखानी
" मुरलीधरजी झुंझनुवाले

प्रतिनिधि बन्धुओंके स्वागतादि कार्यके सुप्रबंधक.



दाहिनी ओरसे—बा० मंगतुरामजी रुईया, बा० ब्रिजमोहनजी रुईया, बा० रामरिखदासजी केडिया, बा० बाबूलालजी बागला, बा० वंसीधरजी चोखानी, बा. गंगादत्तजी भिवानीवाले, बा० श्रीनारायणजी केडिया।

रात्रिके ९ बजे विषय निर्वाचिनी समितिकी बैठक हुई जो रातके १२॥ बजे तक होती रही—

रविवार ता० २५-३-२८ ई० ।

द्वितीय दिवसकी कार्यवाही ।

अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी अग्रवाल पञ्चायतके विशेष अधिवेशनकी दूसरे दिनकी बैठक रविवार दोपहरके १॥ बजे कालवादेवीरोड महाजनवाडीके नव-निर्मित मंडपमें श्रीमान् माननीय सेठ कन्हैयालालजी पोद्दारकी अध्यक्षतामें अपूर्व उत्साहके साथ प्रारम्भ हुई। प्रतिनिधियों एवं दर्शकोंकी संख्या प्रथम दिवसके ही समान थी।

सेठ कन्हैयालालजी पोद्दारके सभा-स्थलमें पदार्पण करते ही उपस्थित सज्जनोंकी करतल ध्वनि एवं 'सनातनधर्मकी जय' घोषसे पण्डाल कलनिनादित हो उठा।

माननीय पं० बालचन्द्रजी,

सभाकी कार्यवाही आरम्भ होनेके पूर्व पं० बालचन्द्रजीने सनातनधर्मकी मर्यादापर विद्वत्तापूर्ण विवेचना करते हुए धर्मशास्त्रोंसे प्रमाण देकर बतलाया कि हमारे धर्मशास्त्रोंने स्त्रियोंको स्वतंत्रता कहीं भी नहीं दी है। हमारे शास्त्रोंने बतलाया है, कि कन्या जबतक बालिका रहे तबतक उसके पिता माता उसकी परवरिश करें और सज्ञान हो जानेपर उसका सम्बन्ध किसी योग्य वरके साथ कर दें। पश्चात् उसका पति उसकी रक्षा करे और अधिक अवस्था हो जानेपर जो उसका पुत्र हो वह उसकी रक्षा करे। पश्चात् पं० जीने कहा कि हमारे धर्मशास्त्रोंने कहीं भी विधवाविवाह की आज्ञा नहीं दी है। उन्होंने अपने कथनके परिपुष्टचर्थ धर्मशास्त्रके प्रमाण देते हुए विधवाविवाहके समर्थकोंकी रद्दी दलीलोंको मिथ्या बतलाया, विधवाओंमें विषय-वासनाकी जागृति न हो, इसके लिये उन्हें सुन्दर उपदेश देना और सत्संगमें रखनेकी आज्ञा धर्मशास्त्रोंने दी है।

पश्चात् अधिवेशनमें पेश करनेके लिये छपे हुए प्रस्तावोंकी कॉपियां आ जानेपर सभाका कार्य आरंभ हुआ।

—जाति भाइयोंके अपमान पर शोक।

प्रस्ताव नं० १

हमारे कुछ भूले हुए भाईयोंने समस्त भारतवर्षके अलग अलग प्रान्तोंसे जाति भाइयोंको आमन्त्रित करके स्वागतके बदले घोर अपमान

किया है, अतः यह पंचायत उन भाइयोंके इस घृणायुक्त कार्यपर लज्जा और दुःख प्रदर्शित करती हुई भगवान्से प्रार्थना करती है कि भूले हुए भाईयोंको सद्बुद्धि प्रदान करें !

श्री श्रीनिवासजी बजाज (बम्बई)ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया व कहाकि "मारवाड़ी अग्रवाल महासभा" की ओरसे आमंत्रण मिलनेपर महासभामें भाग लेनेवाले भिन्न २ प्रान्तोंसे आये हुए हजारो डेलीगेटोंके लिये महासभाका दरवाजा बन्द करके उनका जो अपमान किया गया उसके विषयमें कड़ी विवेचना की।

उपरोक्त प्रस्तावका अनुमोदन समर्थन श्रीरामवल्लभजी सलामपुरिया (राजपूताना) तथा श्री किशनलालजी जालान भिवानीवाले (पंजाब) ने किया तत्पश्चात् वह सर्व सम्मतिसे पास हो गया।

शेखावाटी प्रान्तकी नयी जकातपर विरोध।

प्रस्ताव नं० २

यह पञ्चायत शेखावाटीमें वहांके ठिकानों द्वारा वहांकी प्रजाकी सर्वथा इच्छाविरुद्ध लगनेवाली नयी जगातका घोर विरोध करती है और वहांके शासकोंसे तथा जयपुर राज्यसे सादर प्रार्थना करती है कि वह वहांकी प्रजाको नयी लगनेवाली जगातसे सर्वथा मुक्त रखें।

यह प्रस्ताव श्रीरामकुमारजी मुरारका (बम्बई) के उपस्थित करनेपर तथा श्रीगंगाबक्सजी सराफ (बम्बई) एवं श्रीरामेश्वरजी लाठ (कलकत्ता) व श्रीसागरमलजी मोदी (बम्बई) के अनुमोदन और समर्थनके बाद सर्व सम्मतिसे पास हो गया।

गोरक्षाका प्रश्न।

प्रस्ताव नं० ३

मारवाड़ी अग्रवाल जातिका प्रधान कर्त्तव्य और धर्म है कि गोरक्षा करे, भारत वर्षके समस्त भाइयोंको चाहिये कि प्रत्येक गृहस्थ यथासाध्य अपने २ घरमें एक एक गौ रखें।

(क) यह पञ्चायत ब्रिटिश गवर्नमेण्टसे प्रार्थना करती है कि भारतवर्षमें अबाधरूपसे होनेवाली गोहत्या अविलम्ब कानून द्वारा रोक दे।

(२) यह पञ्चायत भारतीय देशी रजवाड़ोंका ध्यान आकर्षित करती है कि कानून द्वारा अपने राज्योंसे गौ की निकासी तुरन्त बन्द कर दें।

(ख) यह पञ्चायत ब्रिटिशगवर्नमेण्ट और देशी रजवाड़ों तथा अन्य समृद्धिशाली महानुभावोंको गौओंके चरनेके लिये गोचरभूमि छोड़नेकी प्रार्थना करती है।

श्री सेठ शिवरामदासजी केड़िया (बंबई) ने प्रस्ताव उपस्थित करते हुये कहा कि जिस समय ईस्ट इंडिया कम्पनीने ब्रिटिश सरकारको हिन्दका कारबार सौंपा, उस समय भारतवर्षमें ६० करोड़ गायें थीं। उस समय दूध और घी इतना सस्ता था कि उसकी नदियां बहती थीं। उसके बाद भारतमें गोहत्या होने लग, और इस समय भारतमें केवल दो करोड़ गायें रह गयी हैं। बच्चोंको दूध और घी बराबर नहीं मिल रहा है। यदि परिस्थिति ऐसी ही रही तो ये दो क़रोड़ भी थोड़े ही दिनमें नाश हो जायेंगी। हमारा भारतवर्ष एक कृषिप्रधान देश है इसके लिये यहां गायों तथा बैलोंकी बड़ी ही आवश्यकता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं अपितु आर्थिक दृष्टिसे भी गोरक्षाकी आवश्यकता है। तत्पश्चात् आपने काँग्रेसमें स्वराजियों द्वारा गोरक्षाका प्रश्न उठाये जानेके विषयपर चर्चा की और कहा कि धर्म बिना स्वराज्य निष्फल है।

इसके बाद गायें, भैंसें तथा बकरोंके चमड़ेकी निकासीके अंक पेश करते हुए कहा, कि मैं सर्व सज्जनोंसे प्रार्थना करता हूँ कि प्रत्येक भाईको कमसे कम एक गाय अवश्य पालना चाहिये।

उपरोक्त प्रस्तावका अनुमोदन समर्थन श्रीदुर्गाप्रसादजी झुनझुनूवाले, (विहारउडीसा) श्रीरामरक्षपालजी झुनझुनूवाले, (बंगाल) श्रीदुर्गादत्तजी केजड़ीवाल(सी०पी०) आदि सज्जनोंने आलोचनात्मक दृष्टिसे किया।

श्रीनागरमलजी पोद्दार(बम्बई)ने प्रस्तावका समर्थन करते हुए, जोर देकर कहा कि हममेंसे अधिकांश भाई मोटर गाड़ी तथा घोड़ा गाड़ी रखते हैं, उन्हें एक एक गाय अवश्य रखनी चाहिये। दूसरे भाई अपनी २ सामर्थ्यके अनुसार एक २ गाय रख सकते हैं।

पश्चात् प्रस्ताव सर्व सम्मतिसे पास हो गया।

बाल तथा वृद्ध विवाहका निषेध।

प्रस्ताव नं० ४

पञ्चायतकी सम्मतिमें बाल तथा बेजोड़ विवाहसे जातिको असीम हानि पहुँची है और पहुँच रही है, अतः जातिकी रक्षा एवं उसकी उन्नतिके लिये जाति भाइयोंसे यह पंचायत अनुरोध करती है कि वे उक्त दोनों प्रकारके विवाहोंकी कुप्रथाको बिलकुल बन्द कर दें तथा निम्नलिखित सुधारोंके अनुसार सब कार्य करें।

(क) सगाई करते समय वर और कन्याके स्वास्थ्य, योग्यता, चरित्र, शील और शिक्षाकी परीक्षापर विशेष ध्यानरखना चाहिये।

(ख) कन्यासे वरकी आयु कमसे कम चार वर्ष अवश्य अधिक होनी चाहिये।

(ग) विवाहके समय वरकी आयु १६ वर्षसे कम न हो । जिस विवाहमें वरकी आयु १६ वर्षसे कम हो उस विवाहमें वर पक्षकी ओरसे किसी विवाह सम्बन्धी सामाजिक काममें कोई भाई सम्मिलित न हो। परन्तु इसी प्रस्तावके (घ) के अनुसार यदि लड़की वालेने ग्राम पञ्चायतसे आज्ञा ले ली हो तो १५ वर्षके लड़केके विवाहमें जाति भाई सम्मिलित हो सकते हैं।

(घ) कन्याकी आयु विवाहके समय १२ वर्षसे कम न हो, विशेष अड़ांस होनेपर स्थानीय पञ्चायतकी आज्ञासे ११ वर्षकी अवस्थामें भी विवाह किया जा सकता है, परन्तु हर हालतमें धर्म शास्त्रानुकूल रजोदर्शनके पूर्व लड़कीका विवाह अवश्य हो जाना चाहिये।

श्रीभीमराजजी भुवालका(बंगाल)ने अपने प्रस्तावपर बोलते हुए बाल तथा वृद्ध विवाह एवं बे जोड़ विवाहकी हानिका एक अच्छा हृदयवेधक चित्र खींचकर बताया।

उपर्युक्त प्रस्तावका बा० रामेश्वरजी लाठ (बंगाल) श्रीदुर्गाप्रसादजी झुनझुनूवाला (बिहार) श्रीरामवल्लभजी, रामपुरिया (बरार)ने अनुमोदन किया। श्रीनागरमल पोद्दार (बम्बई) ने समर्थन करते हुए कहा कि जिस वरकी अवस्था १६ वर्षसे कम हो अथवा जिस कन्याकी आयु १२ वर्षसे कम हो ऐसे विवाहोंको रोकनेकी पूर्ण चेष्टा की जाय।

श्रीमान सेठ लच्छीरामजी चूड़ीवाला (बम्बई) ने प्रस्तावमें कुछ संशोधन करते हुए पूर्ण रूपेण समर्थन किया।

तत्पश्चात् एक सभासदने यह प्रश्न उठाया कि यह प्रस्ताव जिन बालकों या बालिकाओंकी सगाई हो चुकी है उनके लिये लागू न रखा जाय और उनकी सगाई न तोड़ी जाय ।

बा० मुरलीधरजी झुझुनुवाले (बम्बई) ने कहा कि सबजेक्ट कमेटीमें यह प्रश्न उठा था और सबजेक्ट कमेटीने विचार करके यह निश्चय किया था कि अभी इतनी अधिक सगाई हो गयी हो ऐसा नहीं है । अतएव प्रस्तावमें कुछ संशोधन करनेकी आवश्यकता नहीं है।

श्री विलासरायजी डालमियां (कलकत्ता) ने कहा कि पंचायत अभी हालमें स्थापित हुई है, अतएव पूर्वमें सगाई हो गयी होय उनके लिये यह प्रस्ताव लागू न होना चाहिये।

श्री नन्दलालजी देवड़ाने कहा कि आजतक महासभाने कन्याकी अवस्था दस वर्ष रखनेका प्रस्ताव किया था, और अब हमने आगे बढ़कर कन्याकी अवस्था १२ वर्ष निश्चित कर दी है । इसलिये आजका प्रस्ताव पास करना चाहिये। दूसरा कोई भी सुधार न होना चाहिये।

इसके बाद सभापतिने आजके पहले किये हुए सगाईके तोड़ने न तोड़नेके विषयमें मत लिये। बहुमतसे यहीं निश्चित हुआ कि ऐसी सगाई न तोड़ी जाय।

इसके अनुसार सभापति महोदयने यह निश्चित किया कि इस प्रस्ताव के स्वीकृतिके पहले जो सगाई हो चुकी हैं, उनके लिये यह प्रस्ताव लागू न होगा।

इसके बाद मूल प्रस्ताव सर्व सम्मितिसे पास हो गया।

विधवाविवाह करनेवालोंको जाति बहिष्कृत करनेकी सजा।

प्रस्ताव नं० ९

यह पंचायत घोषित करती है कि विधवानाता, धर्म विरुद्ध, अग्रवंशकी मर्यादाका घातक, समाजको पतित करनेवाला और सतीत्वके सर्वोच्च आदर्शको नष्ट करनेवाला है और ऐसा नाता करना, कराना, या ऐसे नातोंमें सम्मिलित होना महापाप है; अतः यह पंचायत, जिन्होंने अबतक विधवानाता किया है या भविष्यमें करेंगे, उन सबको जातिबहिष्कृत करती है।

रावसाहब श्रीरंगनाथजी बजाजने प्रस्ताव उपस्थित करते हुये नीचे लिखा भाषण किया—

भाइयो! बड़े दुःखका विषय है कि आज इस प्रकारके प्रस्तावको उपस्थित करनेकी नौबत हमारे समाजमें आ पहुँची है।

यह प्रस्ताव, जिसे आज आपके सामने उपस्थित करनको मैं खड़ा हुआ हूँ, एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। यह बतानेकी आवश्यकता नहीं कि कुछ अहम्मन्य समाज-सुधारकोंके अदूरदर्शितापूर्ण व्यवहार और उनकी उलटी समझने ही इस विषयको एक विवादास्पद विषय बना दिया है। यदि वे ऐसा न करते तो इस समाजमें इस प्रकारके प्रश्नका कोई स्थान ही नहीं था। आजसे कई वर्ष पूर्वतक हमारे समाजमें इस विषयकी कोई चर्चा ही न थी। सब लोग जानते और मानते थे कि हमारे ऋषि मुनियोंने द्विजातियोंके लिये इस हानिकर, घृणित और अधार्मिक विषयको सर्वथा वर्जनीय ठहराया है, किन्तु समाजके दुर्भाग्यसे हमारे भीतर ही कई कुलाङ्गार ऐसे पैदा हो गये हैं, जो धर्म, कुलपरम्परा और जातिकी मर्यादाको नष्ट करनेको खड्गहस्त हैं। इसीलिये आज समाजकी रक्षाके लिये इस विषयको मुख्यस्थान देते हुए विचार करनेकी आवश्यकता हो गयी है।

इस प्रश्नपर दो दृष्टियोंसे विचार किया जा सकता है। एक धर्मभावमय तात्त्विक दृष्टिसे और द्वितीयतः सामाजिक-सांसारिक दृष्टिसे ऐसे दुस्साहसी लोगोंकी संख्या हमारे समाजमें नगण्य है जो धर्मभावमय तात्विकदृष्टिसे विधवानातेकी आवश्यकता और उपयोगिता सिद्ध करनेका हौसला रखते हों। साफ बात यह है कि धर्मशास्त्रोंमें विधवानातेको अत्यन्त हेय माना है। विधवासे सम्बंध रखकर जो सन्तान पैदा हो वह वर्णशंकर कहलाती है और पिताके गोत्रकी हो ही नहीं सकती। ऐसे पुत्रको न तो धर्मशास्त्रकी दृष्टिसे पैतृक सम्पत्तिमें कोई भाग मिल सकता है और न वह पिताको पिण्डदान देनेका अधिकारी ही हो सकता है। सारांश यह है कि सनातनधर्मको माननेवालों श्राद्ध तर्पणादिपर विश्वास रखनेवालों और वर्णव्यवस्था तथा जातिबंधनोंके समर्थकोंका इस प्रकारके कार्यसे सम्बन्ध रह ही नहीं सकता। वर्णव्यवस्थाके विनाशके लिये आर्यसमाजके जन्मदाता स्वामी दयानन्दतकसे विधवा विवाहका स्पष्ट समर्थन न हो सका। फिर सनातनधर्मावलम्बीय इसको किस प्रकार मान सकते हैं? यह कारण है कि विधवानातेके पक्षपाती अपने विषयका प्रतिपादन करते समय यह स्पष्ट स्वीकार करनेपर मजबूर हो जाते हैं कि धर्मकी दृष्टिसे या आदर्शकी दृष्टिसे विधवानाता कोई अच्छी वस्तु नहीं है। पर वे कहते हैं कि यह समयकी आवश्यकता है। वे यह कहते हैं कि जो विधवाएं वैधव्यव्रतका पालन कर सकें वे सर्वथा वन्दनीय हैं, किन्तु जो न कर सकें उन्हें विवाह या नाता करनेकी छूट होनी चाहिये। यानी वे सांसारिक दृष्टिसे इस प्रश्नपर विचार करते हैं। हम हिन्दुओंके लिये संसार ही सब कुछ नहीं है। मनुष्य जन्मका ध्येय सांसारिक सुखोपभोग ही नहीं है। यह सांसारिक सुखोपभोग तो वह प्रलोभन है जो मनुष्यको और उसकी अंतरात्माको सच्चे और उच्च ध्येयकी ओर बढ़नेसे रोकता है।

मैं इस प्रश्नपर सांसारिक दृष्टिसे भी दो चार शब्द कहूँगा और यह बता दूँगा कि इस विचारसे भी विधवानातेको प्रचलित करना समाज लिये खाई खोदना है, किन्तु ऐसा करनेके पहले मैं धार्मिक दृष्टिसे एक अत्यन्त आवश्यक बात कह देना चाहता हूँ। यह बात विधवाओंके हितसे सम्बंध रखती है। अपनेको सुधारक कहने और कहलानेवाले बड़े तावके साथ विधवाओंके हितैषीपनकी डींगें मारा करते हैं। वे इस घृणित प्रथाके विरोधियोंको विधवाओंके अहितैषी बतानेकी निर्लज्जता करते हैं और अपनेको विधवाओंके दुःखसे दुःखी और उनका सच्चा हितैषी बताते हैं। महाभारतमें एक प्रसङ्गपर बतलाया गया है कि पतिकी विमुखता और परपुरुषके प्रति झुकावके फलस्वरूप ही स्त्रियोंको वैधव्यरूपी

दण्ड भोगना पड़ता है। कितने परितापका विषय है कि विधवाओंके हितैषी बननेवाले उनको तपस्या और व्रतके पवित्र जीवनसे हटाकर सांसारिक प्रलोभनोंमें फँसाना चाहते हैं। इस प्रकार उनकी यह विचित्र हितैषिता विधवाओंके लिये जन्म-जन्मान्तरको वैधव्य दुःखका द्वार खोलना चाहती है। यही विधवा हितैषियोंकी हितैषिता है ?

सांसारिक दृष्टिसे भी यह कहना निरा ढकोसला है कि विधवानाता समयकी आवश्यकता है या इससे जातिका किसी प्रकारसे हित हो सकता है। धर्म, परलोक और ईश्वरसे विमुखताके साथ ही विधवा नाता निःसन्देह रूपसे वह चिनगारी सिद्ध होगा जो सारे गृहसुख, सारी शान्ति और समस्त व्यवस्थाको जलाकर भस्म कर देगा। जिन लोगोंमें इसका चलन है उन अछूत शूद्रादि जातियों में ही कितनी सुख समृद्धिकी वृद्धि इस रीतिसे हुई है? यह आश्चर्यकी बात है कि शूद्रादि जातियां सुदीर्घ अनुभवके पश्चात् इसकी बुराइयां समझते हुए इसको घृणाकी दृष्टिसे देखने लगीं और अपनी पंचायतोंमें इसको रोकनेके प्रस्ताव स्वीकृत करने लगीं और हमारी उच्चकुल सम्भूत, विमल यश और श्लाध्य मर्यादा रखनेवाली अग्रवाल जातिमें उसके कल्याणके नाम पर ही इसको जारी करनेका उद्योग किया जाय।

इसके समर्थनमें जैसी जैसी घृणित और निराधार बातें कह डाली जाती हैं उनको स्मरण करके क्रोधसे शरीर कांपने लगता है। अपनी जातिकी साध्वी विधवाओंको भ्रूणहत्यारी बताते हुए इन सुधारक और समाजहितैषियोंको लज्जा नहीं आती? संसार जबतक संसार है, तबतक बुराईको समूल नष्ट नहीं किया जा सकता। यह सम्भव है कि कुछ इस प्रकारकी दुःखद घटनाएँ हो जाती हों. पर इससे सती साध्वी विधवाओंको कलङ्किनी बताना यह सुधारकोंका ही काम है। मैं नहीं जानता कि कौन कौन सुधारक इस विषयमें अपने घरके किन अनुभवोंके आधारपर ऐसा कहनेका साहस करते हैं। पर यह बात मैं निशंक होकर कहनेको तैयार हूँ कि समाजकी विधवाओंपर लाञ्छन लगानेवाले पापी और दुरात्मा हैं क्योंकि संसारमें इससे बढ़कर कोई पाप नहीं है।

ऐसी ही उटपटाङ्ग बातोंसे समाजका हित बताया जाता है। यही जातिकी उन्नतिका उपाय इन समझदारोंकी समझमें रह गया है। अब पवित्रता, संयम और साधुताके स्थान पर सांसारिक सुखोपभोगमें जातिका कल्याण बताया जाने लगा है। यह बात कितनी ओछी है इसको आप जानते हैं और मुझे विशेष कुछ कहनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

इन शब्दोंके साथमें यह प्रस्ताव उपस्थित करता हुआ सब भाइयोंसे प्रार्थना करता हूँ कि इस घृणित प्रथाको समाजमें प्रविष्ट न होने दें और

श्रीअग्रसेन महाराजके वंशकी रक्षा करें। मुझे आशा है कि इस प्रस्तावका जोरदार अनुमोदन और समर्थन किया जायगा और अन्तमें सनातनधर्मकी गगनभेदीजयध्वनिके साथ इसको सब भाई स्वीकृत करेंगे।

श्री सेवकरामजी झुन्झुनूवाले (बम्बई)
श्री रामेश्वरजी पोद्दार कलकत्ता (बंगाल)
श्री विलासरायजी डालमियां " (बंगाल)
श्री संतलालजी उमरिया (पञ्जाब)
श्री नागरमलजी सराफ (बरमा)
श्री सांवलरामजी बजाज (मध्यप्रान्त)
श्री मोतीलालजी डालुका (खानदेश)
श्री रामकुमारजी झुन्झुनूवाला (मद्रास)
श्री दुर्गाप्रसादजी झुझनुवाले (विहार)
श्री मोहनलालजी (संयुक्त प्रान्त)
श्री श्रीनारायणजी गनेड़ीवाल (बरार)
श्री रामवल्लभजी रीड़खलेवाला (राजपुताना)
श्री बख्शीरामजी केड़िया (दिल्ली)

आदिने प्रस्तावका पूर्णरूपेण अनुमोदन तथा समर्थन किया पश्चात् सनातनधर्मके जयघोष तुमुल करतलध्वनिके साथ यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्व सम्मतिसे पास हो गया। प्रस्तावके विरोधमें पूछे जानेपर भी किसीने विरोध नहीं किया इतनी बृहत् उपस्थितिमें और २ परिषदोंमें एकाध आपत्ति अवश्य होती है। पर यहां कुछ भी नहीं की गयी यह स्पष्ट बतलाता है कि समाजके केवल १०-१५ उच्छृंखल व्यक्तियोंके अलावा समस्त समाज ऐसे कार्योंको पाप मूलक समझती है।

विधवा विवाहके सहायकों तथा उसमें भाग लेनेवालोंको सजा।

प्रस्ताव नं० ६

यह पंचायत घोषणा करती है कि विधवानातेमें सहायता करना और सम्मिलित होना महापाप है अतः जातीय भाइयोंसे अनुरोध करती है कि विधवानातेमें किसी प्रकारकी सहायता न दें और न सम्मिलित ही हों। यहपञ्चायत यह भी घोषणा करती है कि इस प्रस्तावके विरुद्ध आचरण करनेवाले घृणास्पद तथादण्डनीय हैं अतःजाति या मारवाड़ी अग्रवाल ग्राम पंचायतोंसे अनुरोध करती है कि ऐसे व्यक्तियोंको उचित दण्ड दें।

उपरोक्त प्रस्ताव सेठ श्रीनिवासजी बजाज (बंबई) के उपस्थित करने पर तथा श्रीजगन्नाथप्रसादजी बजाज(सी० पी०) श्रीरामकुमारजी मुरारका (बंबई) तथा श्री फूलचन्दजी सराफ (बरमा) के अनुमोदन तथा समर्थनके बाद सर्व सम्मतिसे पास हो गया। बारबार पूछा जानेपर इस प्रस्तावके विरोधमें भी किसीने कुछ भी नहीं कहा।

अंत्यजोंके साथ भोजन करनेवालों तथा उनके हाथका भोजन खानेवालोंको सजा।

प्रस्ताव नं० ७

यह पञ्चायत घोषित करती है कि जो भाई ढेढ़ भंगियों एवं अन्त्यजोंके साथ खान पान करते हैं या उनके हाथका बनाया हुआ भोजन खाते हैं वे धर्म विरुद्ध कार्य करते हैं अतः ऐसे सहभोजनोंका निषेध करती हुई घोषणा करती है कि अछूतोंके साथ भोजन करना अथवा उनकेहाथसे बनाया हुआ भोजन करना महा पाप है। इसलिये ऐसे सहभोजियोंको यह पञ्चायत जातिसे बाहर करती है।

उपरोक्त प्रस्ताव श्रीरामेश्वरजी लाठ (बंगाल) ने उपस्थित किया और श्री. श्रीनारायणजी गनेड़ीवाले (बरार) श्रीनिहालचन्दजी नावेंवाले(आसाम) श्री केशवदेवजी सराफ (रंगून) श्री वीरसेनजी श्रावगी (पंजाब) और श्री वासुदेवजी सराफ (राजपुताना) आदिने अनुमोदन तथा समर्थन किया।

श्रीरामकुमारजी मुरारका बंबईने यह संशोधन उपस्थित किया कि अन्त्यजोंके साथ सहभोज करनेवाले पंचायतकी आज्ञा लेकर शास्त्रानुकूल प्रायश्चित्तकरें तो फिर जातिमें सम्मिलत कर लिये जायं।

श्री श्रीनिवासजी बजाज (बंबई) तथा श्रीनागरमलजी पोद्दार (बंबई) ने उपरोक्त संशोधनका पूर्णतया समर्थन किया।

कितने ही सभासदोंने पंचायतके बदले ग्राम पंचायतको ऐसे बहिष्कृत हुए मनुष्योंको क्षमा करने एवं प्रायश्चित्त करनेकी सत्ता प्रदान करनेके लिये प्रार्थना की और इसी लिये प्रस्तावमें पंचायत शब्दके आगे "ग्राम" शब्द जोड़नेकी शिफारस की गयी।

अंतमें जिस पंचायतने अंत्यजोंके साथ सहयोग करनेके अपराधमें किसी व्यक्तिको जातिच्युत कर दिया हो उसे उस पंचायतके पास क्षमा प्रार्थना करनेपर यदि पंचायत की आज्ञासे पायश्चित्तकरावे तो वह पंचायत उसे जातिमें सम्मिलित कर ले। अंतमें इस प्रकार संशोधितरूपमें प्रस्ताव पास हो गया।

संशोधित प्रस्ताव नं० ७

यह पंचायत घोषित करती है कि जो भाई ढेढ़ भंगियोंके एवं अन्त्यजोंके साथ खानपान करते हैं या उनके हाथका बनाया हुआ भोजन खाते हैं वे धर्म विरुद्ध कार्य करते हैं अतः ऐसे सह भोजनोंका निषेध करती हुई घोषणा करती है कि अछूतोंके साथ भोजन करना या उनके हाथसे

बनाया हुआ भोजन खाना महापाप है अतएव ऐसा सहभोज करनेवालोंको यह पंचायत जाति बहिष्कृत करती है। पर यदि कोई बहिष्कृत व्यक्ति धर्म शास्त्रानुकूल प्रायश्चित करके क्षमा मांगेतो ग्राम पंचायतें उचित विचार करके उसे क्षमा दे सकेंगी।

(पश्चात् अधिवेशनकी बैठक सोमवारके लिये स्थगित कर दी गयी) रात्रिमें ८॥ बजे सबजेक्ट कमेटीकी बैठक हुई जो रातके १२ बजे तक होती रही।

चैत्र शुक्ला ४ सोमवार संवत् १९८५

तृतीय दिवसकी कार्यवाही।

अखिल भारतवर्षीय मा० अ० पंचायतकी तृतीय दिवसकी कार्यवाही सोमवार दो पहरके ११॥ बजे श्रीमान् सेठ कन्हैयालालजी पोद्दारके सभापतित्वमें प्रारंभ हुई।

आरम्भमें सभापतिकी ओरसे गत वर्षके निम्नलिखित प्रसिद्ध जातिभाइयोंका स्वर्गवास हो जानेपर खेद प्रकट करनेके लिये प्रस्ताव किया गया जिसपर पंचायतने खडे होकर शोक प्रदर्शित किया:—

(१) श्री लक्ष्मीनारायणजी भदेरिया कलकत्ता निवासी (२) बदरीदासजी कारुडिया पटनानिवासी (३) श्री केशवरामजी पोद्दार कलकत्ता निवासीके पुत्र बा. देवीप्रसादजी।

जातिमें बढ़ी हुई बेकारी।

प्रस्ताव नं० ८

यह पंचायत समस्त भाइयोंसे अनुरोध करती है कि आजकल ज्यादा तादादमें, जातीय बांधव बे रोजगार हो रहे हैं ऐसी अवस्थामें जहां तक बन सके अपने व्यापार आदिमें तथा मिलकारखानोंमें जाति बंधुओंको स्थान दें और उनकी उन्नतिका पूरा ख्याल रखें।

श्रीब्रह्मादत्तजी पोद्दार (बंबई)ने प्रस्ताव उपस्थित किया तथा श्रीमंगतूरामजी रूइया (बंबई) और श्रीभीमराजजी भुवालका (बंगाल) के अनुमोदन तथा समर्थनके पश्चात् उपरोक्त प्रस्ताव पास हो गया।

असहायों अबलाओंकी दुर्दशापर विचार।

प्रस्ताव नं० ९

यह पञ्चायत प्रत्येक जातीय भाईसे अनुरोध करती है कि वे अपने यहांकी असहाय विधवाओंकी सूची तैयार करें और उन्हें सहायता देनेका प्रबन्ध करें यदि वे अपने यहां ऐसी विधवाओंकी सहायताका प्रबन्ध न करसकें तो उन विधवाओंकी सूचना इस पंचायतको भेज दें

श्रीबंशीधरजी चोखानी (बंबई)के प्रस्ताव उपस्थित करने पर तथा श्रीप्यारेलालजी बागला (बंबई)के अनुमोदन करनेपर प्रस्ताव सर्व सम्मतिसे स्वीकृत हुआ।

वनस्पति घीपर विचार।

प्रस्ताव नं. १०

यह पंचायत बनस्पति घीके नामसे बेचे जानेवाले विलायती घृतको जनताके स्वास्थ्यके लिये हानिकर समझती हुई भारत-सरकार, डिस्ट्रिक्टबोर्ड, म्युनिसिपलकमेटियों, एवं देशी राज्योंसे प्रार्थना करती है कि वे इस घृतके प्रचारको सर्वथा रोकनेके लिये शीघ्र कानून बना द ।

श्री दुर्गादत्त जी केजड़ीवाल (सी ०पी०)ने प्रस्ताव उपस्थित किया और श्रीवासुदेव सराफ (राजपुताना)तथा श्रीगणेशनारायणजी जोगानी(सी.पी.) के अनुमोदन तथा समर्थनके पश्चात् उपरोक्त प्रस्ताव सर्वानुमते पास हो गया।

एक स्त्री जीवित रहते हुए दूसरी स्त्री करनेका विरोध।

प्रस्ताव नं. ११

एक स्त्रीके रहते हुए दूसरा विवाह करना अत्यन्त घृणास्पद है अतएव यह पञ्चायत अनुरोध करती है कि कोई भाई ऐसा करनेका दुस्साहस न करें। अगर कोई ऐसा विवाह करे तो यह पञ्चायत ग्राम पंचायतोंसे अनुरोध करती है कि ऐसे व्यक्तियोंको उचित दंड दें।

श्री दुर्गादत्तजी केजड़ीवाल(सी०पी०)के प्रस्ताव करनेपर व श्रीभीमराजजी भुवालका(बंगाल)और श्री० गंगावक्षजी सराफ (बम्बई)व श्री रामवल्लभजी सलामपुरिया (राजपुताना)के अनुमोदन तथा समर्थनके पश्चात् प्रस्ताव सर्वसम्मतिसे पास हो गया।

बीकानेर राज्यमें बढ़ते हुए लगानपर असंतोष।

प्रस्ताव नं. १२

यह पञ्चायत बीकानेर राज्यकी वर्त्तमान जकातपर असन्तोष प्रगट करती हुई श्रीमान् बीकानेर नरेशसे सादर निवेदन करती है कि प्रजाकी इच्छानुसार जकातको उठा दी जाय यदि यह सर्वथा असम्भव हो तो कमसे कम जकात अवश्य घटा दें।

श्रीरामवल्लभजी रीड़खलेवाले(राजपुताना)के प्रस्ताव तथा श्री दुर्गादत्तजी केजड़ीवाल(सी० पी०) और श्री ब्रह्मादत्तजी पोद्दार (बंबई)के अनुमोदन तथा समर्थनके पश्चात् सर्वसम्मतिसे प्रस्ताव पास हो गया।

सगाई तोड़नेका विरोध।

प्रस्ताव नं. १३

समाजमें प्रायः देखा जाता है कि सगाइयां छूट जाती हैं। यह सर्वथा अनुचित है। धर्मशास्त्रोंमें सगाई आधे विवाहके बराबर मानी गयी है अतः यह पञ्चायत जातिभाइयोंसे निवेदन करती है कि कोई कारण विशेष होनेसे ग्राम्य पञ्चायतकी आज्ञा लिये बिना कोई सगाई नहीं छोड़े। यदि कोई भाई छोड़ दे तो यह पञ्चायत ग्राम्य पञ्चायतोंसे अनुरोध करती है कि छोड़ने वालेका उचित विचार करें।

श्री शिवरामदासजी केड़िया (बंबई) ने अपने प्रस्तावपर बोलते हुए कहा कि कुछ लोग अपनी लड़कीकी सगाई करनेके बाद और आभूषणादि लेनेके बाद भी सगाई तोड़ देते हैं यह अत्यन्त शोकका विषय है। इस प्रकार सगाई तोड़ देनेसे विचारे वरपक्षको कलंक लग जाता है क्योंकि समाजमें यह संदेह उत्पन्न हो जाता है कि वरमें कुछ अवश्य दोष होगा। उपरोक्त प्रस्ताव श्री हरिबख्शजी बगड़िया (बंबई) और श्री मंगतूरामजी रूइया (बंबई) के समर्थनके बाद सर्वानुमतसे स्वीकृत हो गया।

अनाथ विधवाओं तथा बालकोंकी सहायता।

प्रस्ताव नं० १४

यह पञ्चायत अपने समाजकी निराधार विधवाओं, अनाथ बालकों एवं बालिकाओं तथा अशक्त वृद्धोंकी सहायतार्थ प्रत्येक ग्रामपञ्चायतको अपना फंड खोलनेकी सिफारिश करती है।

श्रीशिवरामदासजीने प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि यह प्रस्ताव आजके प्रोग्राममें नहीं है क्यों कि सबजेक्ट कमेटीने इसे पसंद नहीं किया था। किन्तु मैंने सभापतिजीको पूर्वसे ही सूचित कर दिया था कि मैं यह प्रस्ताव खुली बैठकमें विचारार्थ रखूंगा और अब सभापति महोदयकी आज्ञासे यह प्रस्ताव रखता हूँ। हमारी केड़िया जातिमें ऐसे फंड हैं जिनसे विधवाओंको १०) रु० अनाथ बालिकाओंको ५) रु० निशक्त वृद्धोंको १०) रु० मासिक सहायता प्रदान की जाती है। कन्याके विवाह योग्य हो जाने पर विवाहोपलक्ष्यमें ऐसे फंडसे ५००) की सहायता प्रदान की जाती है। जिन वृद्धोंको काशीनिवास करनेकी इच्छा हो उनके लिये काशीनिवास खोला गया है। इसके अतिरिक्त गरमी तथा सरदीके लिये उन्हें कपड़े भी दिये जाते हैं। ऐसी व्यवस्था होनेसे किसीके ऊपर किसी प्रकारका व्यक्तिगत भार नहीं पड़ता। और अनाथ बालकोंको पढ़ने लिखनेके स्थानपर छोड़ सकते हैं। इस लिये मैं अपनी सर्व जातियोंके लिये ऐसे फंड खोलनेका अनुरोध करता हूँ।

एक भाईने इस पर संशोधन किया कि "ग्रामपञ्चायत" ऐसे फंड खोलें श्री शिवरामदासजी कंड़ियाने उपरोक्त संशोधन स्वीकार कर लिया।

श्री श्रीनिवासजी बजाज (बंबई) ने उपरोक्त प्रस्तावका विरोध करते हुए कहाकि समग्र भारतके लिये अपना एक जातीय कोष है और उसीके द्वारा विद्यार्थियों निराधार विधवाओं आदिको पृथक् २ सहायता दी जाती है। यदि अलग २ फंड खोला जायगा तो अखिल भारतवर्षीय जातीय कोष- रक्षति पहुंचेगी इस लिये पृथक् २ फंड स्थापित नहीं करना चाहिये। बादमें वोट लेनेपर मूल प्रस्ताव पास हो गया।

श्रीमान् सेठ आनंदीलालजीका पत्र।

पश्चात् बा० श्रीनिवासजी बजाजने सेठ आनंदीलालजी पोद्दार का आया हुआ पत्र पढ़कर सुनाया। उसमें लिखा था कि विगत रविवार- की आपकी पंचायतकी कार्यवाही समाचार पत्रोंमें पढ़नेपर मैं उस जग- न्नियन्ता भगवान्से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी पंचायतका कार्य निर्विघ्न समाप्त हो। मुझे खेद इस बातका है कि मारवाड़ी अग्रवाल महासभाके कार्य कर्ताओंने मिथ्या पूर्ण कार्य नीति ग्रहण कर अन्य जातिभाइयोंको म- हासभामें प्रवेश करना कठिन कर दिया है। मैं परमात्मासे प्रार्थना करता हूँ कि इन भूले हुए भाइयोंको सन्मार्गपर लावें, जिससे जातिके सम्पूर्ण भाई एकत्रित होकर देशकी समस्या हल करें।

शारदा बिल विरोध।

प्रस्ताव नं० १५

यह पंचायत स्वर्गीय महारानी विक्टोरियाकी घोषणाका स्मरण दिलाती हुई भारत सरकारसे प्रार्थना करती है कि वह इस बातका ध्यान रखे कि असेम्बिली तथा अन्य भारत सरकारकी धारा सभाओंको धार्मि- क कार्योंमें हस्तक्षेप करनेका कोई अधिकार नहीं है। हिन्दू समाज असे- म्बिलीके सदस्योंको केवल राजनैतिक विषयोंके ही हल करनेके लिये निर्वाचित करती है अतः उन्हें भी धार्मिक विषयोंको हल करनेकी चेष्टा करनेका कोई अधिकार नहीं है। इस लिये यह पंचायत सरकारसे तथा सदस्योंसे प्रार्थना करती है कि शारदा बिल या ऐसे और किसी बिलको स्वीकृत न करें और ऐसे विषयोंका भार हिन्दू समाज पर ही छोड़ देवें।

सभापति द्वारा—

पंचायतने उपरोक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिसे पास किया।

कन्याक्रयविक्रय निषेध।

प्रस्ताव नं० १६

दुर्भाग्यसे जातिमें कुछ ऐसे लोग पाये जाते हैं कि कन्या क्रय-विक्रय कर समाजको कलंकित करते हुए जातिको असीम हानि पहुँचा रहे हैं ऐसे

लोगोंको यह पञ्चायत अत्यन्त घृणाकी दृष्टिसे देखती हुई आदेश करती है कि ऐसे व्यक्तियोंको ग्राम पञ्चायतें उचित दण्ड दें।

श्रीदेवीसहायजी टीबड़ेवाले (बरार) के प्रस्ताव करने पर तथा श्रीजयदेवजी चुड़ीवाले (बरार) के तथा श्रीनागरमलजी पोद्दार (बम्बई) के अनुमोदन तथा समर्थनके पश्चात् प्रस्ताव सर्व सम्मतिसे पास हुआ।

षोडश संस्कार।

प्रस्ताव नं १७

यह पंचायत जाति भाइयोंसे अनुरोध करती है कि धर्म शास्त्रानुकूल षोडश संस्कारोंको अवश्य करावें, किन्तु बालकका यज्ञोपवीत संस्कार तो विवाहके पूर्व अवश्यही करा दें। सभापति द्वारा.

सभापति द्वारा उपस्थित किये जाने पर सकल सम्मतिसे पास हुआ

बाल एवं वृद्ध विवाहमें सरकारका हस्तक्षेप।

प्रस्ताव नं०१८

यह पंचायत बाल और वृद्ध-विवाहको अत्यन्त घृणास्पद समझती हुई भी विवाहादि धार्मिक-संस्कारोंमें भारतसरकार तथा देशी रियासतों एवं किसी भी व्यवस्थापिका सभा (असेम्बिली और कौंसिल) द्वारा हस्तक्षेपका घोर विरोध करती हुई सरकार तथा अन्यान्य हिन्दू मेम्बरोंको सावधान करती है कि धार्मिक विषयोंपर कानून बनवानेका प्रयत्न न करें।

श्री रामेश्वरजी लाट (बंगाल) ने उपस्थित किया व श्री शिवरामदासजी केड़ियाने अनुमोदन करते हुए सुधारकोंकी कड़ी आलोचना की और कहा कि सुधारक लोग अपनी धार्मिक क्रियाके आगे अपना मस्तक फोड़नेको तैयार हैं। वे धर्मकी जड़ खोदते बैठते हैं। सुधारक लोग सनातनियोंको सरकारका खुशामदी टट्टू कहते हैं, परन्तु अगर न्यायकी दृष्टिसे देखा जाय तो सच्चे खुशामदी खच्चर वे ही हैं। क्यों कि वे बिल पास करनेके लिये तारोंपर तार ठोंक रहे हैं और सरकारकी खुशामद करते हैं। अंतमें आपने सभासे प्रार्थना की कि आप लोग भी तारोंपर तार ठोंक धार्मिक विषयमें उनके हस्तक्षेप करनेपर विरोध प्रकट करें। पश्चात श्रीदुर्गादत्तजी केजड़ीवाल (सी. पी.) तथा श्रीलच्छीरामजी चुड़ीवाले (बम्बई) के समर्थनादि पर सर्व सम्मतिसे प्रस्ताव पास हुआ।

वृद्ध-विवाह-विरोध।

प्रस्ताव नं०१९.

यह पंचायत वृद्ध-विवाहका घोर विरोध करती हुई जाति भाइयोंसे अनुरोध करती है कि वह ४० वर्षसे अधिक आयु होनेपर कदापि विवाह न

करें। जो भाई ४० वर्षसे अधिक आयु होनेपर भी अपना विवाह करनेका दुःस्साहस करें, उन्हें ग्राम पंचायत पूर्णतया मर्यादित उपायोंद्वारा रोकनेका प्रयत्न करे, यदि वे न मानें तो यह पंचायत आदेश करती है कि जातीय भाई उनके सामाजिक कार्य्योंमें सहयोग न दें, और ग्राम पंचायतें उन्हें उचित दण्ड दें।

यह प्रस्ताव श्री० रामलालजी झुंझनुवाला (संयुक्तप्रान्त) द्वारा उपस्थित किये जानेपर श्री० राधाकृष्णजी बुधिया(बंगाल) ने अनुमोदन किया व प्रस्ताव सर्वसम्मतिसे पासहुआ।

स्कूलोंमे धार्मिक शिक्षा।

प्रस्ताव नं. २०

देखा जाता है कि वर्त्तमान शिक्षा प्रणालीमें पाश्चात्य सभ्यताका प्रबल प्रभाव है और भारतीय सर्वोच्च आदर्शके प्रति अनास्था पैदा करके उसको नष्ट करते हुए समाज और देशको (यह शिक्षा प्रणाली) पतनकी ओर ले जा रही है, अतः यह पञ्चायत भारत सरकार तथा देशी राज्योंसे अनुरोध करती है कि पाठ्यक्रममें जहां जहां हिन्दुओंके उच्च आदर्शोंपर आघात किया गया है, वहां २ संशोधन पूर्वक सनातन धर्मानुकूल आदर्श लेते हुए, पूर्व पुरुषोंके व्याख्यान और पावन चरितादिसे उन पुस्तकोंको विभूषित कर दिया जाय। यह पंचायत सरकार, व्यवस्थापिका सभाओं-के सदस्य और देशी राज्योंसे साग्रह प्रार्थना करती है कि सभी विद्यालयों-में धार्मिक शिक्षाका प्रबन्ध अनिवार्य रूपसे कर दिया जाय। जाति भाइयों-से अनुरोध है कि जहां कहीं उनके द्वारा सञ्चालित विद्यालय हों, वहां वे सनातनधर्मकी शिक्षाका प्रबन्ध तुरन्त कर दें।

उपरोक्त प्रस्ताव श्री० बनारसीलालजी जगनानी द्वारा उपस्थित होने-पर और श्री श्रीनिवासजी बजाज (बम्बई) श्री० जगन्नाथ प्रसादजी बजाज (सी० पी०) श्री० रामेश्वर दासजी लाठ (कलकत्ता) श्री० सांवल रामजी बजाज (सी० पी०) के अनुमोदन समर्थनानंतर सर्व सम्मतिसे जयघोषके साथ पास होगया।

प्रस्ताव नं. २१

यह पञ्चायत निश्चय करती है कि जातिके समस्त भाई महाराज श्रीअग्रसेनजीकी जयन्तीका उत्सव प्रतिवर्ष मिती आश्विन सुदी १को उत्सा-हपूर्वक प्रत्येक स्थानमें मनावें और उस दिन अपने काम-काजको बन्द रखें।

सभापति द्वारा

प्रस्ताव नं. २२

यह पञ्चायत जाति भाइयोंको परामर्श देती है कि आपसके झगडोंको अदालतमें न ले जाकरग्राम पञ्चायतों द्वारा निपटानेका प्रयत्न करें।

सभापति द्वारा

प्रस्ताव नं. २३

पञ्चायतकी रायमें जाति भाइयोंको भगवद्गीता आदि धार्मिक ग्रंथोंका अध्ययन करनेका विशेष प्रयत्न करना चाहिये।

सभापति द्वारा

प्रस्ताव नं. २४

यह पंचायत समस्त मारवाड़ी अग्रवाल भाइयोंसे आग्रह करती है कि अपने बच्चोंका सम्बन्ध करनेके पहले इस बातकी अवश्य जांच कर ले कि जिनसे सम्बन्ध किया जानेवाला है वे विधवानाता, असवर्ण विवाह, स्पर्शास्पर्श भेदको तोड़नेवाले तथा धर्म्म विरुद्ध विचार रखनेवाले तो नहीं है।

सभापति द्वारा

ऊपर लिखित चारों प्रस्ताव सभापति द्वारा उपस्थित किये जानेपर 'जयघोष' के साथ सर्वानुमते पास होगये।

सरकार, पुलिस तथासमाचार पत्रोंका आभार।

श्रीशिवरामदासजी केड़ियाने सरकार, पुलिस तथा वर्तमान समाचारपत्रोंका आभार मानने वाला मन्तव्य पेश किया, और कहा कि सुधारकोंने हम लोगोंके प्रति ऐसी झूठी एवं निर्मूल अफवाहें उडा दी थीं कि हम लोग तूफानी हैं। इसी लिये उन लोगोंने सरकार तथा पुलिसकी मदद मांगी थी, परन्तु मैं सरकार, पुलिस तथा सर्व साधारणको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग संधि तथा शांति चाहनेवाले हैं। हमारे तीन दिन का कार्य, तीनों दिन ही शांतिपूर्वक बीता।

श्री वीरसेनजी श्रावगी (पंजाब) तथा अन्य सभ्योंने इसका समर्थन किया।

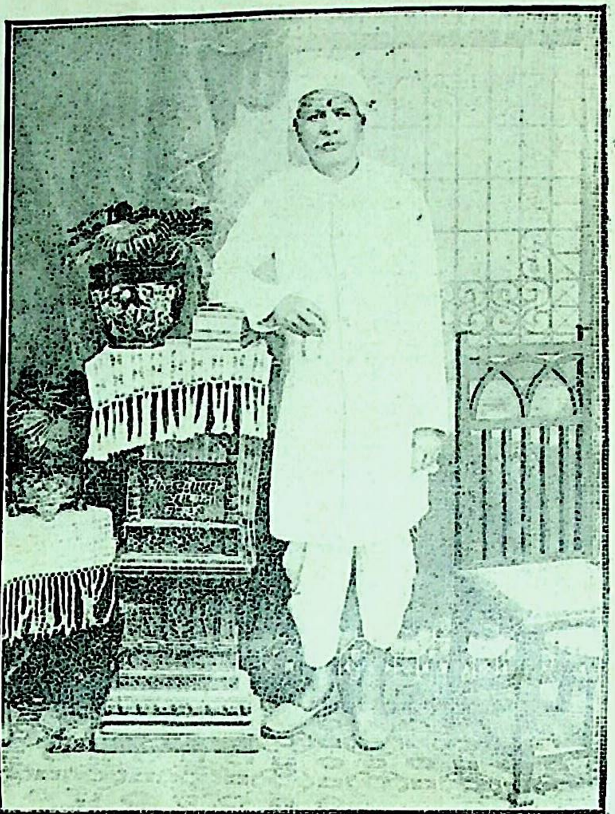
तदनंतर सभापतिजीने अपना अंतिम भाषण किया जो इस प्रकार है:—

अ० भा० मा० अग्रवाल पंचायतके मंत्री.





विशेषाधिवेशनके विशेष सहायक.



सभापतिका अन्तिम भाषण।

मान्यवर श्रीमान् स्वागताध्यक्ष और प्रिय बन्धुगण,

मुझे आज यह बात प्रगट करते हुए बड़ा हर्ष होता है, कि आपकी इस अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी अग्रवाल पंचायतका यह विशेष अधिवेशन आप महानुभावोंके अकथनीय उत्साह और धार्मिक भावोंकी दृढ़तासे आनन्दकन्द श्रीनन्दनन्दनके अनुग्रह द्वारा आज बड़े समारोहके साथ पूर्ण हो गया। आप महानुभावोंने इस अवसरपर इस पंचायतका विशेष अधिवेशन करके एक परमावश्यक कर्त्तव्यकी पूर्त्ति तो की ही है, पर साथ ही आपने इनेगिने सुधारक नामधारी मारवाड़ी भाइयोंको यह भी दिखला दिया कि समाज और धर्मकी अवहेलनाका कैसा दुष्परिणाम और पश्चात्ताप होता है। जो उनकी महासभा नामक संस्थाके गत दिनके प्रस्तावोंसे केवल ध्वनित ही नहीं किन्तु अभिधेयार्थ द्वारा भी स्पष्ट विदित होता है। पर समय निकल जानेपर सिवाय पश्चात्तापके और हो ही क्या सकता है। अविचारका फल भी यही होता है। प्यारे बन्धुओ! इतना मैं अवश्य कहूँगा कि हमारे उन भाइयोंने आगत मारवाड़ी बन्धुओंका अनादर करके बड़ी गलती की। सामाजिक और धार्मिक वैमनस्य दूर करनेके लिये सभी उपाय हो सकते हैं। और मुझे आशा है कि यह वैमनस्य अवश्य दूर भी हो जायगा। पर आगत सज्जनोंके अनादरका परिमार्जन या प्रायश्चित्तका समय उनको न मिलेगा। यह बात उनके हृदय पटलपर अवश्य ही अंकित रहेगी। किसी कविने कहा है—

समय न चूकै चतुर नर, कहत सयानें कूक।
चतुरनके खटकत रहै, समय चूककी हूक॥

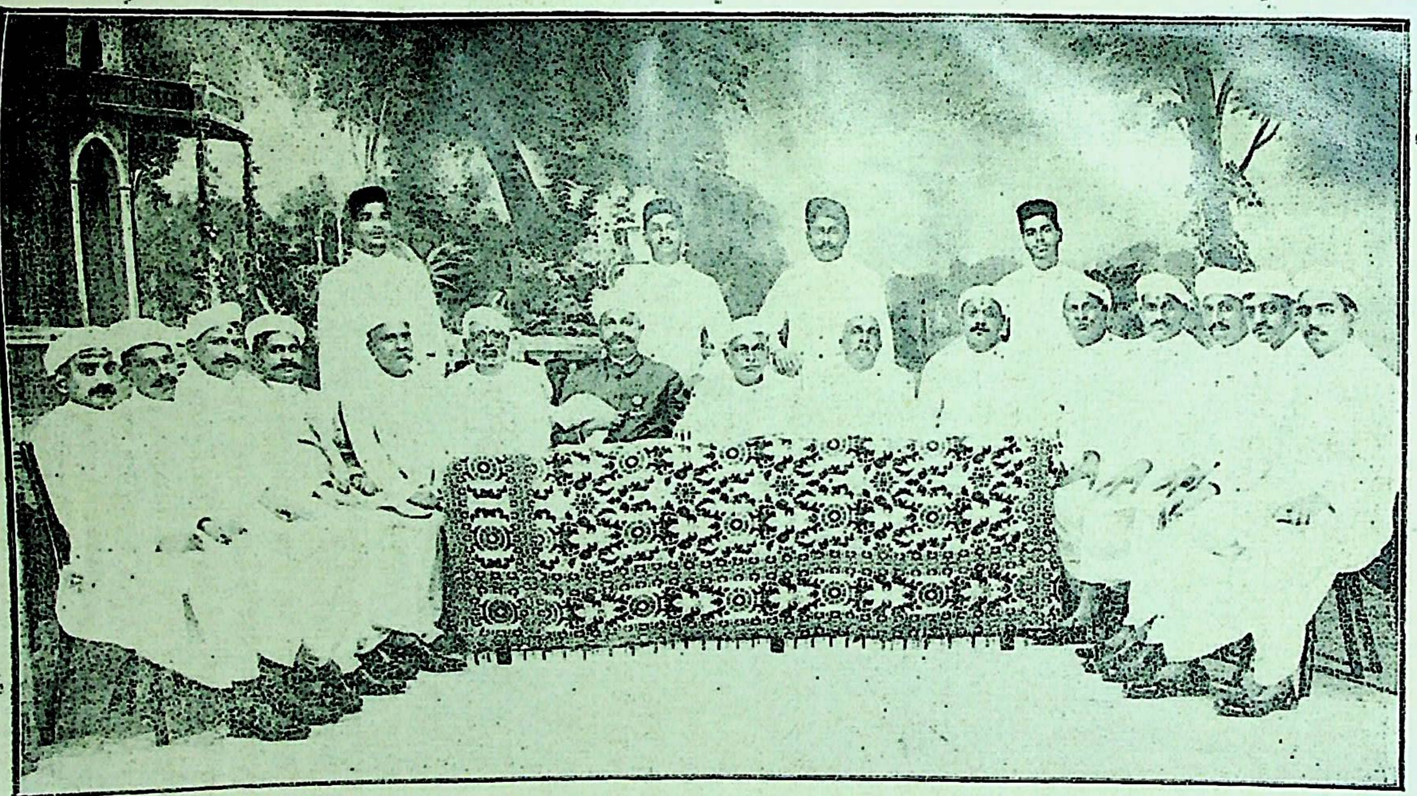
अस्तु! इसके साथ यह बात भी आप लोगोंसे निवेदन कर देना मैं आवश्यक समझता हूँ कि जिन सामाजिक महत्त्वपूर्ण प्रश्नोंपर परस्परमें विद्वेष उत्पन्न हुआ था उन प्रश्नोंका उन्होंने कुछ व्यक्तियोंकी चालमें फंस कर फिर भी उस सभामें कुछ निराकरण नहीं किया है। जहांतक मुझे विदित हुआ है अछूतोंके साथ खानपानके विरोधमें तो उन्होंने कुछ शब्द प्रकट करना भी उचित नहीं समझा जिसका अर्थ यही है कि 'मौनं सम्मतिलक्षणम्' अर्थात् किसी विषयमें चुप रहनेसे उस कार्यमें उनका सहमत रहना सिद्ध होता है। रहा दूसरा प्रश्न विधवानातेके सम्बन्धका, उसके विषयमें ऐसे भ्रष्टाचार और पाप कर्म करनेवालोंका उन्होंने जातिसे बहि-

प्कार अनुचित समझा है। हां हमारे भोले भाले बन्धुजनोंको अपने जालमें फंसानेके लिये उसका स्मरण अवश्य कर लिया है और इतना कह भी दिया है उस समाजमें रोका जाय। इस कथनद्वारा स्पष्ट ध्वनित होता है कि जिन्होंने ऐसा पापकर्म कर लिया सो कर लिया, और आगेको ऐसा कार्य करनेवालोंके न करनेके लिये कहा जाय यदि वे मान जायँ तो अच्छा ही है और न मानें तो वे कर सकते हैं उनकी सभामें ऐसे नीच कार्योंके लिये कुछ दण्ड देना उचित नहीं। अस्तु वे जाने और उनकी सभा जाने। हम लोगोंको उनके प्रस्तावोंसे क्या सम्बन्ध है ? तथापि यहां इतना कहनेकी भी यों आवश्यकता समझी गयी कि उनके इस "ध्वनि काव्योक्त" व्यङ्गार्थको कोई हमारा भाई न समझकर उनके धोखेमें न आ जाय। अस्तु इस अवसर पर इस पंचायतके अधिवेशनका कार्य समाजके जिन महानुभावोंके वर्णनातीत उत्साह और घोर परिश्रमसे सुचारु रूपसे पूर्णताको प्राप्त हो सका है उनके समक्ष एतदर्थ कृतज्ञता प्रकाश करना और उनकी पवित्र सेवामें धन्यवाद अर्पण करना मैं अपना प्रधान कर्त्तव्य समझता हूँ। अतएव प्रथम ही मैं इस पंचायतके स्थानीय और बाहरसे पधारे हुये आदरणीय सभ्य महोदयोंको सादर धन्यवाद समर्पण करता हूँ, जिन्होंने महान् कष्ट उठाकर इस पंचायतको अपने पदार्पणसे विभूषित किया है।

फिर मैं इस पंचायतके प्रधान नेता कार्यकारिणीके सदस्योंको जिनके विषयमें मेरा कर्त्तव्य था कि उन महोदयोंका मैं पृथक् २ पवित्र नाम सुनाकर अपनी जिह्वा पवित्र करूं किन्तु इस विचारसे कि भूलसे यदि किसी महोदयका नाम मैं प्रकट न कर सकूंगा तो अनुचित होगा, इसलिये समदृष्टिसे सहर्ष और सानन्द कृतज्ञता प्रकाश करता हुआ सादर धन्यवाद अर्पण करता हूँ। जिन्होंने इस महान् कार्यको सुचारु रूपसे सञ्चालन करनेके लिये शारीरिक मानसिक और आर्थिक अत्यन्त परिश्रम उठाया है और अपनी अमूल्य सम्मतियों द्वारा मुझे इस कार्यके संचालनमें पूर्ण सहायता प्रदान की है और उस सहायताके बलपर मैं इस कामको सञ्चालन करनेमें समर्थ हो सका हूँ। मैं सच कहता हूँ यदि यह सहायता मिलनेका सौभाग्य मुझे प्राप्त न होता तो मेरे जैसे अनभिज्ञ व्यक्ति द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण कार्यका संचालन होना कदापि संभव न था।

एक बात मुझे अब हमारी इस पञ्चायतके सभी महानुभावोंके समक्ष आग्रहपूर्वक और अत्यन्त खेदके साथ कहनेकी और आवश्यकता है और वह यह है कि उस सभाके मन्तव्योंमें और इस हमारी पञ्चायतके मन्तव्योंमें यद्यपि घोर मतभेद है, तथापि मुझे कहते दुःख होता है कि गत दिन जो महासभाके विषयमें एक चित्रका कारटून चक्रसुदर्शनमें दृष्टिगत हुआ है, और उसमें हमारे सुप्रतिष्ठित भाइयोंका व्यक्तिगत अपमान किया गया है, वह अवश्य अवाञ्छनीय है इसके सिवा उनके पेपरोंमें उनके लिये अपशब्दोंका प्रयोग और ऐसे निन्दनीय कार्योंसे समाजका कुछ

पंचायतके विशेषाधिवेशनको सफल बनानेके श्रेयी कुछ महानुभाव.



दाहिनी ओरसे—बाबू मुरलीधरजी झुंझुनवाला, बा. रामकुमारजी हरलालका, बा. गुलराजजी डालमियाँ, बा. रामयश रामजी टिबेडवाला. बा. लच्छीरामजी चुडीवाला, बाबू श्रीनिवासजी बजाज, बा. शिवरामदासजी केडिया, बा. केदारमलजी लडिया, बा. गंगाबकसजी सराफ बा. मुरलीधरजी चोखानी, बा० नन्दलालजी देवडा, बाबू इंदरलालजी देवडा बा. महादेवजी गाडोदिया बा शिवचंदरायजी झुंझुनुवाला, बाबू किशनलालजी जालान— (खडे हुये) श्री बाबूलाल बगड़िया, बा० बैजनाथजी नांगलिया स्वर्गीय—फूलचंदजी सराफ, बा. रामेश्वरजी सराफ।

भी कल्याण होनेकी कदापि सम्भावना नहीं है। प्रत्युत परस्परकी विद्वेषाग्नि अधिक प्रज्वलित होती है जो समयान्तरमें भयङ्कर रूप धारण करके समाजके हितमें बड़ी हानिकारक हो जाती है। यद्यपि मेरी जहांतक धारणा है ऐसे कार्योंमें हमारी पञ्चायतके जोखमदार कोई भी व्यक्तिका न तो हाथ ही है और न सहानुभूति ही है; इसके साथ यह भी है कि ऐसा होना विपक्ष पार्टीके कार्योंसे क्षोभ उत्पन्न हो जानेका परिणाम है, तथापि मेरी विनीत प्रार्थना है कि ऐसे निंदनीय कार्य हमारी पञ्चायत द्वारा अवश्य रोके जायँ इसीमें समाजका हित है। यदि विपक्षपार्टी ऐसा करनेको उचित भी समझे तो समझे; आप लोगों द्वारा उसकी उपेक्षा करना ही हमारे समाजका गौरव है--कहा है

छमा बड़नको चाहिये, छोटनको उत्पात।
कहा विष्णुको घटगयो भृगुने मारी लात।

आशा है मेरे इस विनीत निवेदन पर आप लोग सदैव ध्यान रखकर ऐसे कार्योंको जिनसे परस्पर वैमनस्यकी वृद्धि हो रोकेंगे।

अब मैं अपने परम आदरस्पद मान्यवर साहजी साहिब श्रीमान् राजा बहादुर बन्सीलालजी महोदयकी पवित्र सेवामें अपनी कृतज्ञता प्रकाश करता हुआ बड़ी लज्जा और महान संकोचके साथ धन्यवाद अर्पण कर रहा हूँ। जिन्होंने अपनी इस मारवाड़ी अग्रवाल जातीय पञ्चायतके अधिवेशनमें पदार्पण करके और उनके सम्मानके योग्य न होनेपर भी केवल अपनी सादगी और स्वाभाविक उदारतासे स्वागताध्यक्षका पद स्वीकार करके इस पञ्चायतका गौरव बढ़ाया है। क्या ही अच्छा होता यदि सभापतिके स्थानपर श्रीमान् राजा साहिबको स्थित करनेका हम लोगोंको सौभाग्य प्राप्त हो जाता और मैं आप सब महानुभावोंका स्वागत करनेका सौभाग्यभाजन हो जाता। यद्यपि श्रीमान् राजा साहिब जैसे महजनोंके उदार हृदयमें ऐसी क्षुद्र बातोंके लिये कुछ भी स्थान नहीं पर मुझे अवश्य ही बड़ी लज्जा होती है कि ऐसे महानुभावकी उपस्थितिमें सभापतिके पदपर स्थित होकर मैंने यथार्थमें बड़ी धृष्टताकी है। पर क्या करूं मैं निरुपाय था, उस समय श्रीमान्के यहां पदार्पण करनेकी बात उस समय मेरे कर्णगोचर न हुई थी, जिस समय आप महानुभावोंने मुझे इस पदके लिये निर्वाचित किया था। जब मैंने श्रीमान्के दर्शन पञ्चायतके अधिवेशनमें किये तो मैंने विचार किया कि श्रीमान्को सभापतिके आसनपर विराजनेका मैं आग्रहपूर्वक निवेदन करूं। पर ऐसी परिस्थितिमें जब कि केवल निर्वाचन ही नहीं इस पदके सम्बंधमें सम्मान प्रदर्शित करनेके अन्य कार्य भी समाप्त हो चुके थे इस अवसरपर मैंने विचार किया कि इस पदको श्रीमान् कदापि स्वीकार न करेंगे और मेरे इस निवेदनका कुछ महत्त्व न समझा जायगा अतएव संकोच और लज्जाके साथ अगत्या मुझे श्रीमानोंके

समक्ष इस पदपर स्थित होना पड़ा एतदर्थ क्षमाप्रार्थी होता हुआ भी मैं अपने चित्तको संतोषित नहीं कर सकता हूँ। तथापि इस बातका मुझे बड़ा हर्ष है कि इस सुयोगको प्राप्त हो जानेसे श्रीमानोंकी अमूल्य सम्मतियां प्राप्त मिल जाने पर ही इस कार्यको संचालन करनेमें मैं समर्थ हो सका हूँ।

अब मैं अपने इस वक्तव्यके अन्तमें अपने इष्टदेव श्रीराधागोविन्ददेव भगवान्से मारवाड़ी अग्रवाल समाजके हितकी प्रार्थना करता हुआ और आप सज्जनोंसे मेरी अनेक त्रुटियोंके विषयमें जो समय समय पर मेरे द्वारा अनेक वार इस कार्य संचालनमें हुई हैं उनकी क्षमा मिलनेकी पूर्ण आशा करता हुआ और परम श्रद्धेय तथा पूजनीय विद्वज्जन ब्रह्ममंडलीके महानुभावोंको सादर प्रणाम करता हुआ इस वक्तव्यको समाप्त करनेकी आज्ञा चाहता हूँ।

श्री १००८ गोस्वामी टिकायत श्रीदामोदरलालजीका शुभागमन।

पंचायतके विशेषाधिवेशनकी समाप्तिके दिन आशिर्वाद-स्वरूप माङ्गलिक अभिभाषण करनेके लिये नाथद्वारेके टिकायत श्री१००८ गोस्वामी श्री० दामोदरलालजी महाराजने अपने श्रीचरणोंसे सभामण्डपको पावन करनेकी कृपा की थी। आपने अपने संक्षिप्त किन्तु सारगर्भित भाषणमें सनातन धर्मकी सुन्दरसी व्याख्या करते हुए जो कल्याणकारी उपदेश दिया, उसका सारांश पाठकोंके ज्ञातव्यार्थ नीचे उद्धृत किया जाता है। सनातन धर्ममें प्रीतिका उत्पन्न होना ही दैवी-कल्याणकी प्रेरणा है। बगैर उसकी प्रेरणाके ऐसे सद्भाव हृदयमें जागृत होते ही नहीं। इस मार्गमें हमारा पथप्रदर्शन करनेके लिये ही स्वयं वेद भगवान् अवतारित हुए हैं। यों कहनेके लिये तो सभी कहा करते हैं कि हम वेदोंको मानते और उनका ही अनुसरण करते हैं परन्तु, वेद-वाक्योंके अर्थका ठीक-ठीक पालन ही सत्य-मार्गका द्योतक हो सकता है। अर्थके हेर फेरपर ही समस्त भारतीय-सम्प्रदायिकता अवलम्बित है। ऐसे लोग अपने मतलब भरका भाग इस ढंगसे उसमेंसे चुनकर ले लिया करते हैं जिससे उनके सिद्धान्तमें गड़बड़ी उपस्थित न हो सके और शेषको तो बगैर देखे हुए भी त्याग देते हैं। इस प्रकार वास्तविकताका लोप हो व्यर्थका भ्रम उत्पन्न हो जाता है। विवाहके समय पाणिग्रहण करते हुए यह प्रतिज्ञा करायी जाती है कि "दशास्यां पुत्रानाधेहिऽपति मेकादशं कृधि" अर्थात् इस कन्यामें १० पुत्रका आधान करूंगा और पति ११ वे स्थानमें होगा। इसका अर्थ स्त्रीके लिये ११ पति करना कदापि नहीं हो सकता। पुत्र कितने ही अंशमें पतितुल्य माना गया है। आत्मा वै पुत्र नामासि। पिता कहता है कि पुत्र! तुम मेरे आत्मारूप हो। पुत्र इसी अभिन्नताको दिखलानेकेही लिये १० पुत्र और ग्यारहके स्थानमें पतिका जिक्र किया

सुपथपर लाना सम्भव न ज्ञात हुआ तो जातिने नामधारी मारवाड़ी अग्रवाल महासभाको परित्याक्त कर दिया; इसे अनुचित कोई भी न कह सकेगा। अब जनसत्तावादके नामपर अ०भा०मा०अ०पंचायत स्थापित हो चुकी है। अब भविष्यमें पंचायतके द्वारा ही मारवाड़ी अग्रवाल बंधुओंको अग्रसर होना है। इसलिये प्रत्येक मारवाड़ी अग्रवालका यह स्वाभाविक कर्तव्य है कि पञ्चायतके अंगीकृत महान कार्यमें सहयोग दें—हाथ बटावें। पञ्चायतके विशेषाधिवेशनमें स्वीकृत प्रस्तावोंका देशके समस्त मारवाड़ी अग्रवाल भाइयोंने स्वागत किया है। आज और अभीतक उन प्रस्तावोंका कहींसे विरोध अप्राप्त है। ऐसी अवस्थामें धर्म-संरक्षणार्थ स्थापित पञ्चायतका सदस्य प्रत्येक मारवाड़ी अग्रवाल होगा, इसमें सन्देह ही क्या है। आवश्यकता है पञ्चायतका सन्देश घर घर पहुँचानेकी। मारवाड़ी अग्रवाल जातिकी भावी आशालतायें अर्थात् नवयुवकगण खम ठोककर अग्रसर हो जायँ। उठा लें उस प्रभावोत्पादक प्यारे केशरिया झण्डेको जिसे स्वेच्छचारियोंने आघात पहुँचाया है और एक हाथमें वह जातीय पताका तथा दूसरे हाथमें पंचायतका सन्देश लेकर प्रत्येक मारवाड़ी अग्रवाल भाईके द्वारपर पहुँच जायं। सबको पञ्चायतकी विशाल गोदमें बिठा दें। पञ्चायतके शाखाओंकी ग्राम ग्राममें कस्बे कस्बेमें धूम मच जाय और संसारमें पुनः एक वार सिरमौर मारवाड़ी अग्रवाल जातिका मस्तक उठा दें। यही प्रत्येक मारवाड़ी अग्रवाल भाईसे मेरा नम्र-निवेदन है।

पञ्चायत कार्याधिक्यताके कारण यह विवरण प्रकाशित होनेमें विलम्ब हुआ इसके लिये सकल प्रतिनिधी बन्धु हमारी विवशता देखकर क्षमा प्रदान करें। प्रेसके भूतोंकी भूलें छपनेमें स्वाभाविक ही हैं इसके लिये भी परिपाठयानुसार क्षमा प्रार्थी हूँ।

प्रभूसे प्रार्थना है कि वे धम संरक्षणार्थ एवम् जनसत्तावादके प्रसारार्थ स्थापित अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी अग्रवाल पञ्चायतको बल दें कि वह स्वधर्म, स्वजाति एवम् स्वदेशसेवार्थ आशातीत सफल हो!

जाति सेवक—

श्रीनिवास बजाज—

मन्त्री स्वागतकारिणी समिति.

